खण्ड-370, अंक-5
गुरूवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1907
(18 जुलाई, 1985 ई0)

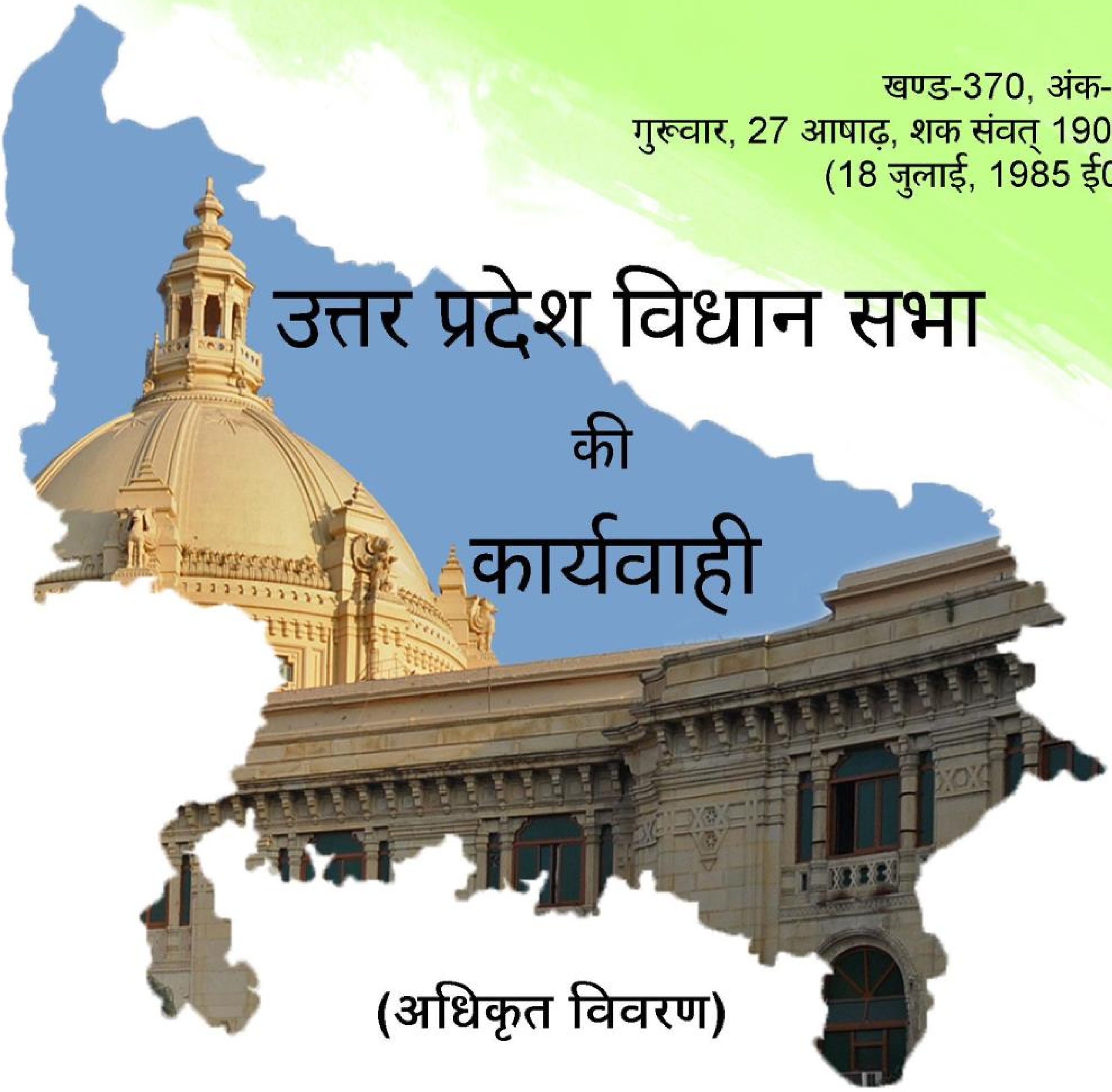

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल को सदन की कार्यवाही के संचालन करने के श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश	3
प्रश्नोत्तर	3–55
अतारांकित प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	55–57
सदन के उपवेशन की संख्या तथा प्रत्येक उपवेशन का समय बढ़ाये जाने की मांग	57–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	58–59
हैदरगढ़–बाराबंकी मार्ग पर बसों की कमी से यात्रियों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59–60
लखनऊ शहर में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
एलोपेथिक चिकित्सालय, दारुलशफा की दवाओं के ठेकेदार की बकाया धनराशि के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
ग्राम रुस्तमपुर जिला बलिया में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा कमजोर भवन बनाये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6
फैजाबाद नगर पालिका की जलापूर्ति व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
महापालिका के गठन से पूर्व चुंगीकर न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षा खुलवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62–63
जनपद फैजाबाद के थाना गोसाईगंज क्षेत्र में पुलिस की सांठ-गांठ से व्यापक भ्रष्टाचार की खुफिया जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	(
जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुरी सीकरी में चालू समन्वित बाल विकास परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	(

ाय	पृष्ठ–संख्या
ुबन, आजमगढ़ के थानाध्यक्ष श्री तौकीर हसन के बर्बरतापूर्ण रवैये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
सोहावल, फैजाबाद के अभ्युदय पेपर मिल लि0 से निकले हुए गन्दे एवं जहरीले पानी को रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
गन्ना सहकारी समिति बभनान जिला बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
नेशनल हेराल्ड कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या की धमकी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यानाकर्षण	65
अभ्युदय पेपर मिल, फैजाबाद में एफ्लुएन्ट प्लांट न लगे होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65–66
बस्ती जनपद में हैंडपाइपों के लगाने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66–67
विधायको को दी जाने वाली स्टेशनरी की कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	67
मन्त्रि–परिषद में संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	68–72
र्वतीय विकास राज्य मंत्री श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध चल रहे मुकदमें को वापस लेने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	72–75
अधिकांश मन्त्रियों के एनेक्सी मे बैठने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75–76
पिछले सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही के विवरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	76
खाद्य मंत्री श्री वासुदेव सिंह द्वारा उर्दू के सम्बन्ध में दिये गये बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	77–78
विधान सभा के 1985 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ..	78–79
(सदन के पटल पर रखा गया)	
कतिपय विश्वविद्यालयों एवं राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता हेतु निर्वाचन कार्य–क्रम की घोषणा ..	79–80
माया पत्रिका तथा बिलट्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिये जाने का प्रयास ..	80–81
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	81

विषय	वि	पृष्ठ-संख्या
हुसैनाबाद तथा सम्बन्ध ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिये कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	81-82
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरः स्थापित किया गया।)	.. ..	82
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. ..	82-91
वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	.. .. ..	91-110
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. ..	111
नत्थियां	.. ..	113-126

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 18 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कामेश्वर उपाध्याय, श्री (देवरिया)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजा मोहम्मद अमीर
मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सखावत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट :—शिक्षा मन्त्री, श्री सिब्ते रजी

उत्तर प्रदेश

विधान सभा सचिवालय पटेश्वर

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल को सदन की कार्यवाही के संचालन करने के लिये श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश

(सदन की बिजली चली जाने पर)

श्री राम सरन—

श्रीमन्, अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ।

श्री सरदार सिंह—

रोशनी चली गई है, कैसे कार्य होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

आज अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके हैं । उनके निर्देश पर मुझे आज विधान सभा की कार्यवाही के संचालन का निर्देश दिया गया है । आपसे मेरा अनुरोध होगा नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी नेताओं से कि वह सदन के सुचारु रूप से संचालन के लिए हमें अपना सहयोग प्रदान करें ।

श्री सरदार सिंह—

आपका भी हम सहयोग चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

वह पूरा मिलेगा ।

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य

**1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य कितना है ? कितनी खरीद अब तक हो चुकी है और किन-किन माध्यमों से ? गेहूं की खरीद के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ है ? बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री मान पाल सिंह,) एडवोकेट—

रबी खरीद वर्ष 1985-86 में गेहूं की खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 28 लाख मी0 टन है ।

मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-7-85 तक राज्य सरकार की हाट शाखा, उ0 प्र0 सहकारी संघ, उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम, उ0 प्र0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम तथा कुछ मण्डलीय विकास निगम/संघ के माध्यम से 21,42,254 मी0 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है ।

राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए माह अप्रैल, 1985 में 50 करोड़ रुपया, अप्रैल-मई में 65 करोड़ रुपया और जुलाई के अन्त तक 100 करोड़ रुपया जो बाद में बढ़ाकर 125 करोड़ रुपया कर दिया गया है तक की कैश क्रेडिट सीमा स्वीकृत किया है । बाद में 15 जुलाई तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसके अनुसार 21 लाख 49 हजार 524 मी0 टन की खरीद की जा चुकी है ।

शासन ने कृषकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्रों के खोलने, उनके सम्यक् संचालन सुनिश्चित करने, किसी भी हालत में बिचौलियों से गेहूं न खरीदने एवं क्रय केन्द्रों के नियमित निरीक्षण करने आदि की व्यवस्था की है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने क्रय केन्द्र खोले गये ? किसी भी हालत में बिचौलियों से गेहूं न खरीदने की व्यवस्था की गई थी, तो वह क्या व्यवस्था की गई थी क्या

कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि यदि कोई बिचौलिया पाया जाए अर्थात् क्रय केन्द्र पर गेहूं बेचता पाया जाए, तो उन पर कोई कानूनी कार्यवाही की जा सके ? क्या कोई ऐसा कानून बनाया है ?

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

पहला प्रश्न है कि कुल कितनी खरीद की दुकानें हैं....

(बिजली के चले जाने पर)

कई सदस्य—

आवाज नहीं आ रही है, बिजली चली गई है ।

श्री वासुदेव सिंह—

लाउड स्पीकर हो या न हो, हमारी आवाज माननीय सदस्यों को सुनाई पड़ेगी । इस वक्त 4 हजार 8 सौ से ऊपर दुकानें हैं। पारसाल साढ़े 4 हजार पांच सौ के करीब थीं । मोटेतौर पर यह हैं । उसका अभिप्राय यह है, इतने क्रय केन्द्र होने से कि 10 किलो मीटर तक के और उसके आसपास के लोगों को अपना गेहूं क्रय केन्द्रों तक ले जाने में सुविधा होगी । पंजाब में ऐसा नहीं है । वहां पर तो हजार के नीचे ही हैं । हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं । दूसरा बिचौलियों के बारे में प्रश्न है, एक भ्रम हो सकता है कि मैं एक गांव का जो छोटा व्यापारी है वह जो अपने जीवन के लिए धंधा करता है, उसको हम बिचौलिया नहीं मानते । माननीय सदस्य उसको बिचौलिया समझ रहे हैं । शाहजहांपुर में जहां-जहां मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया वहां किसानों से पूछा था कि क्या आपका गेहूं कम दाम पर तो नहीं लिया जा रहा है सबने नहीं कहा । आगरा और झांसी में जहां पर बाजार में ज्यादा भाव थे, 157 रुपये से ज्यादा थे, वहां किसानों ने बाहर बेचा है । मूल्य समर्थन की योजना में हमारा लक्ष्य है कि किसानों को ज्यादा पैसा मिले, चाहे जहां से मिले । मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों ने चिठ्ठी लिखकर पूछा था । मैंने पाया कि कई जगह, जैसे रुद्रपुर और ऐसी कई जगहों पर दाम ज्यादा थे । मेरे पास सूची है कि कहां-कहां पर दाम ज्यादा थे । माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं । तो किसानों के शोषण की बात नहीं है । गोरखपुर डिवीजन में मैं नहीं गया । वहां के बारे में प्रत्यक्ष नहीं है मेरी जानकारी ।

एक सदस्य—

बलिया में भी नहीं पहुंचे हैं ।

श्री वासुदेव सिंह—

बलिया जिले में तो गेहूं मिलता नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि निरीक्षण के समय यदि बिचौलियों से खरीदता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाय तो उसके लिए कौन सा कानूनी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जा सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

3/7 में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं । जैसे कोई ट्रक लेकर आया, तो ऐसे बहुत लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है कानून में इसकी व्यवस्था है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि गेहूं की खरीद पर प्रति क्विन्टल 8 रुपये का बोनस दिया जायगा । तो यह बोनस गेहूं की खरीद के समय ही किसानों को दिया गया है या नहीं ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री जी का ऐसा कोई वक्तव्य मेरी

नजर से नहीं गुजरा है। माननीय हरीश जी को कैसे मालूम हो गया ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बताने की कृपा करेंगे कि खरीद केन्द्रों पर जो खुला गेहूं पड़ा है और भीग रहा है क्या उसको ठीक से रखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, इस वक्त कुल 21 लाख, 49 हजार, 524 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है जिसमें से 21 लाख, 22 हजार, 399 मी0 टन गेहूं एफ0सी0आई0 को दे दिया गया है। अब अवशेष 27,125 मी0 टन बचा है। जो गेहूं एफ0सी0आई0 को दिया गया है वह आच्छादित है, खुले में है लेकिन उस पर पोलीथीन लगी है और उसके खराब होने की आशंका नहीं है। सिर्फ 27,125 मी0 टन हमारे पास है तो उसमें से हो सकता है कि 2–4 हजार मी0 टन अब तक जमा हो गया हो।

(सदन से बिजली चले जाने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, बिजली चली गई है।

(बिजली आने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य विभाग ने बिचौलियों के माध्यम से 1 करोड़ रुपये से अधिक इकठ्ठा किया है जिसमें तमाम बड़े अफसरों का हिस्सा है। माननीय मन्त्री जी, ने उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे किसी न किसी तरह से उनका भी उसमें हिस्सा प्रतीत होता लगता है। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसे भ्रष्ट विभाग के, जो भ्रष्टाचार से सराबोर है, मन्त्री को हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने नितांत भ्रामक, निराधार और सत्य से परे आरोप लगाया है।

(सदन की बिजली चली जाने पर भी कार्यवाही चलती रही)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, भ्रष्टाचार से जो विभाग सराबोर है, क्या ऐसे मंत्री को माननीय मुख्य मंत्री जी हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

अगर माननीय सदस्य मुझे बार–बार हटाने की कहेंगे, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मैं प्रस्ताव करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री से पूछा है कि क्या वह ऐसे भ्रष्ट विभाग के मंत्री को हटाने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य किसी का नाम लेकर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

अगर माननीय सदस्य ने यह संकल्प कर लिया है कि जातिगत द्वेष एवं भाषा पर बार–बार आक्षेप करेंगे, तो मैं उसका जवाब देने में सक्षम हूं।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, बिना आज्ञा के माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आपने उनको रोका नहीं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा दल सबसे बड़ा है और आपने आते ही सहयोग की बात थी, लेकिन आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, यह गलत बात है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, सामान्य रूप से किसानों को दाम नहीं मिला है ।

(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके लिए कौन सा प्रभावशाली कदम उठाया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, एफ0 सी0 आई0 के जो कार्य हैं, उसके प्रति जो हमारा रुख होना चाहिए, शासन ने उसके संबन्ध में केन्द्र शासन को अवगत करा दिया । अब गेहूं की खरीद करीब-करीब समाप्त प्राय है, अभी करीब-करीब एक महीने खरीद चलेगी, लेकिन हमें रोक का पता चल गया है । अगली बार जब गेहूं की खरीद की जायेगी, तो कोई बेईमानी या अनियमितता नहीं हो पायेगी ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

मान्यवर, बिजली की व्यवस्था क्या है ? अभी तक बिजली नहीं आई और आप कार्यवाही चला रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन स्थगित कर दें । मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

बिजली ठीक की जा रही ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जब कोई आदमी खरीदने के लिए केन्द्र पर आता है, तो यह क्या सुनिश्चित है कि वहां गड़बड़ी नहीं हुई ? दूसरा मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काश्तकार को गेहूं उत्पादन लागत के हिसाब से उचित मूल्य नहीं मिला, अन्य प्रदेशों ने गेहूं पर बोनस भी दे दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो गेहूं खरीदती है, उस पर 8 रु0, 5 रु0 प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस दिया जायगा ? यदि हां, तो जो वहां पर खरीद हुई है, उसके एरियर का भुगतान किया जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके बारे में वह सब निर्देश जारी किये जा चुके हैं । रह गयी बोनस की बात, बोनस के सम्बन्ध में अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन्होंने बोनस के विषय में केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखा था ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

जी हां, पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने असमर्थता व्यक्त की ।

(शोर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं पांच बार खड़ा हो चुका हूं । आप इधर क्यों नहीं देख रहे हैं ! जबकि हमारा दल सबसे बड़ा दल है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि माननीय

मुख्य मंत्री जी ने किस तरह का पत्र केन्द्र सरकार को भेजा था, केन्द्र सरकार नेय उनके पत्र की अवहेलना किन कारणों की ? दूसरी बात में माननीय खाद्य सेत्री जी से बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद जनपद में आधा गेहूं बिचौलियों के जरिये खरीदा गया है । मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक सर्वे आप करायें उसमें आप गजरौला केन्द्र को ले लें, जहां पर मान्यवर, चेकों का भुगतान होता है, जिनके नाम चेकों पर हैं उसको देखने का कष्ट करें, कि कितना गेहूं बिचौलियों के जरिये खरीदा गया है और उन अधिकारियों को दंड दें जिन्होंने ऐसा किया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

बिचौलियों के माध्यम से कोई गेहूं नहीं खरीदा गया है । मैं यह मान सकता हूं कि कुछ अनियमिततायें हुई हैं ।

एक सदस्य--

प्रदेश भर में बिचौलियों के माध्यम से गेहूं की खरीद हुई है ।

श्री वासुदेव सिंह--

यदि माननीय सदस्य लिखकर दें कि फलां जगह गड़बड़ी हुई है तो मैं जांच कराऊंगा । इस तरह का मुझे भी भ्रम था और मैंने जाकर एक-एक स्थल पर देखा था हर ढंग से, कि क्या-क्या गड़बड़ी की है । कुछ गड़बड़ी है यह मैं मानता हूं लेकिन इतनी नहीं है जितनी माननीय सदस्य समझते हैं । बिचौलियों के जरिये से कुछ इधर-उधर जरूर हुआ है । या तो हम यह करें कि बिचौलियों को बिल्कुल ही खत्म कर दें । वे छोटे ग्राम व्यापारी हैं ।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, मैंने केन्द्र में कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा था कि पंजाब की तरह यहां पांच रुपये प्रति कुंतल बोनस दिया जाए, लेकिन जो अभिप्राय निकला कि उत्तर प्रदेश के लिए यह संभव नहीं है, यदि उत्तर प्रदेश में करते हैं तो पूरे भारत में करना पड़ेगा । पंजाब की जो स्थिति चल रही है वह ठीक नहीं है कभी कर्फ्यू लागू होता है कभी कुछ होता है, तो वहां की स्थिति को देखते हुए किसानों को प्रोत्साहन देना आवश्यक था । क्योंकि शान्ति व्यवस्था का सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से होता है इसलिए पंजाब में बोनस की व्यवस्था की गई । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था देखते हुए यह संभव नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 5 से 10 रु0 कुंतल तक की खरीद बिचौलियों द्वारा की गई । हमको माननीय मंत्री जी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है और वह ईमानदार हैं भी लेकिन इनका विभाग इस बार भ्रष्टाचार में लिप्त है । जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य बुनियाद हुसैन ने किया जिसको सुनकर माननीय मंत्री जी उत्तेजित हो गये उनको नहीं होना चाहिए था । प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी है, हम सब सदस्यों को जानकारी है कि गेहूं की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है । जो बिचौलिये थे क्रय केन्द्रों पर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री वासुदेव सिंह--

जहां-जहां माननीय सदस्य कहेंगे कि गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करा लूंगा । अगर कोई माननीय सदस्य अपने आस-पास की कोई बात हमारे संज्ञान में लायेंगे तो जांच होगी । जिन्होंने गड़बड़ी की है उसकी जांच होगी और सजा भी दी जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का किसान देश के कुल गेहूं उत्पादन का 31 प्रतिशत उत्पादन करते हैं । गेहूं उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं है तो

क्या उत्तर प्रदेश सरकार बोनस देने पर विचार करेगी बिना केन्द्र सरकार की सहायता के ?

श्री नारायन दत्त--

माननीय सदस्य आज बजट पर बोलने वाले हैं आज उनका भाषण होगा, बजट उनके सामने है वह अपने भाषण में बता देंगे कि इसके लिए संसाधन कहां से जुटाये जायं ।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन--

मैं, पहली बार खड़ा हुआ हूं मुझे एक प्रश्न का मौका दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

एक प्रश्न पर 25 मिनट हो गये ।

श्री राम सरन--

मुझे एक प्रश्न करने दें । सीजन के दरमियान मैंने एक चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री को लिखा था कि सहारनपुर में गंगोह, अम्बेटा, रामपुर केन्द्रों के बारे में लिखा था । मुख्य मंत्री का जवाब आया आपका पत्र खाद्य सचिव को भेज दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें ।

श्री राम सरन--

जांच नहीं कराई गई । आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शिकायत करेंगे तो जांच करायेंगे । जब सीजन चल रहा था तो जांच क्यों नहीं कराई गई ? अब सीजन समाप्त हो रहा है तो कह रहे हैं कि जांच करायेंगे । उस समय जांच क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जांच हुई है और कार्यवाही भी की गयी है ।

श्री राम सरन--

मैं बुनियाद हुसैन अन्सारी की तरह बात नहीं करता । मैंने नाम दिया है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस भाड़े में वृद्धि का कथित प्रस्ताव

**22-श्री मित्रसेन तथा श्री विष्णु देव--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश ने बस भाड़ा वृद्धि सम्बन्धी कोई प्रस्ताव शासन को हाल ही में प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो बस भाड़ा वृद्धि का कारण और उसकी दर क्या है ?

परिवहन मन्त्री (राजकुमार संजय सिंह)--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस भाड़े में वृद्धि सम्बन्धी कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया है । नगरीय बसों के कुल किराये की धनराशि को 50 पैसे के गुणांक में करने तथा नगरीय सीमा का विस्तार 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर तक करने एवं 5 किलोमीटर की स्टेज निर्धारित करने के बारे में शासन को प्रस्ताव परिवहन निगम के पत्र दिनांक 9-7-85 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मित्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि जिस प्रस्ताव का परीक्षण करा रहे हैं उस प्रस्ताव का प्रारूप और आधार क्या है ? माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि इनके पूर्व मंत्री श्री गुलाब सेहरा ने सदन में यह घोषणा की थी कि बस का जो बढ़ा हुआ किराया है उसको कम करेंगे । उस पर सरकार क्या कर रही है ?

राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, बस भाड़ा कम करने का कोई प्रस्ताव शासन में नहीं है । जैसा कि हमारे माननीय विधायक मित्रसेन जी

ने पूछा कि उसका प्रारूप क्या है। अभी तक जो किराया सिटी बसेस में है वह 5 कि0 मी0 तक 45 पैसे है और 12 कि0 मी0 तक 85 पैसे हैं, 15 कि0 मी0 तक 180 पैसे है और 20 कि0 मी0 तक 2.20 पैसे हैं। इसके लिए जो नया सुझाव आया है वह यह है कि चूंकि यह आपकी जनसंख्या भी बढ़ रही है और हमारी बसों की तादाद भी कम है और व्यवस्था भी इतनी चुस्त नहीं है इसलिए ओवर आल किराया राउण्ड आफ कम करने के लिए 5 कि0 मी0 पर 50 पैसे, 10 कि0 मी0 तक 1.00 रु0, 15 कि0 मी0 तक 1.50 रु0 और 20 कि0 मी0 तक 2 रु0 किया जाय। पहले जो किराया था 5 कि0 मी0 तक 37.38, 10 कि0 मी0 तक 74.75, 15 कि0 मी0 तक 1.45 रु0 उसको घटा करके 1.29 रु0 किया गया है और 20 कि0 मी0 तक का किराया 1.90 रु0 उसको 1.72 रु0 किया गया है और इसका परीक्षण चल रहा है।

श्री विष्णु देव—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगरीय बसों के कुल किराये की धनराशि को 50 पैसे के गुणांक में करने तथा नगरीय सीमा का विस्तार 12 कि0 मी0 से बढ़ाकर 20 कि0 मी0 तक करने एवं 5 कि0 मी0 की स्टेज निर्धारित करने का जो प्रस्ताव आया है तो उससे भाड़े में क्या बढ़ोत्तरी नहीं होगी ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, ऐसा करने का सुझाव इसलिए आया है क्योंकि इसमें बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं। फुटकर पैसों की कमी है। इस कारण यदि कोई यात्री 50 पैसे कंडक्टर को दे देता है तो 5 पैसे मुश्किल से ही वापिस हो पाते हैं और यात्रियों द्वारा इसकी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उनसे पैसे अधिक लिए जा रहे हैं। इसलिए इसको राउण्ड आफ करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी चीज जो 12 कि0 मी0 से बढ़ाकर 20 कि0 मी0 तक करने की बात है। चूंकि हर शहर का इक्सपेंशन हो रहा है, छोटे-छोटे शहर बहुत बढ़ रहे हैं इसलिए नगरीय सीमा का विस्तार 15 कि0 मी0 से बढ़ाकर 20 कि0 मी0 किया गया है। पहले किराया 20 कि0 मी0 तक का 2.20 रु0 था उसे न बढ़ाकर 2.00 रु0 घटाकर किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया नगरीय सीमा 15 कि0 मी0 थी उसके बाद रूरल किराया होता था, जिससे टिकट में गड़बड़ी होती थी। 20 कि0 मी0 तक नगरीय सीमा हो जाने से इस समस्या का भी निराकरण हो जायेगा।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि वर्ष 1985-86 में बस भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्य फैजाबाद ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो एक वित्तीय वर्ष की परिधि से सम्बन्धित है। श्रीमन्, यह ऐसा प्रश्न होता है जो किसी एक वित्तीय वर्ष की परिधि या योजना वर्ष की परिधि या पंच वर्षीय योजना की परिधि को एक आश्वासन दिए जाने या आश्वासन न दिए जाने से सम्बन्धित है। श्रीमन्, यह प्रश्न ऐसा है जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रणालियों, अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में टायरों की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आदि अन्य कीमतें जिनका भुगतान परिवहन निगम को करना पड़ता है, उनसे सम्बन्धित है। श्रीमन्, सभी जानते हैं कि हमारे निगम घाटे पर चल रहे हैं। हमारा राजकीय परिवहन निगम है, यह घाटे पर चल रहा है घाटा क्यों होता है, घाटा इसलिए होता है क्योंकि निगमों से

(शोर)

यह ध्वनि में नहीं समझता कि सहयोगात्मक है या सुझावात्मक यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर कोई ऐसा तरीका निकल सके जिससे परिवहन निगम बिना घाटे में जाए, माननीय सदस्य का मैं आभारी हूं कि वह कोई ऐसा सुझाव दे सकें जिससे निगम घाटे में न जाए ऐसा कोई आश्वासन दिया जा सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा है और परिवहन निगम की जो स्थिति है कि जिलों में चले जाइये तो प्राइवेट बसें चल रही हैं और निगम की बसें खड़ी हैं। तो जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव मांगा है कि परिवहन निगम घाटे में न चले, तो क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि इस आदरणीय सदन की एक समिति बना दी जाय जो परिवहन निगम के कार्यों का परीक्षण करे कि आखिर परिवहन निगम घाटे में क्यों जा रहा है ?

श्री नारायन दत्त—

इसके लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठान समिति है जो स्वविवेक से चाहे तो उसका मूल्यांकन कर सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की कार्यप्रणाली की जानकारी हमें भी है। वह सन् 1980, सन् 1975 यानी पुराने मामलों का परीक्षण करती है। हम आज की बात करते हैं। इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति को ही अधिकृत कर दें। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों की एक समिति गठित कर दी जाय जो परिवहन निगम के कारोबार का परीक्षण करे ?

श्री नारायन दत्त—

इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति विचार कर सकती है। सदन के नियमों में इसका उल्लेख है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, प्रस्तावित किराया वृद्धि में क्या इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि पिछले पांच वर्षों में बसों के किराय में वृद्धि की गई थी ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितनी बार और कितनी-कितनी वृद्धि की गई और क्या इसको देखते हुए निगम के घाटे को पूरा करने के लिए अन्य वैकल्पिक साधन जुटाने का प्रयास किया जायगा ?

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर न हां में दिया जा सकता है और न ना में। माननीय सदस्य वाराणसी कहते हैं कि वृद्धि की जायगी, तो ऐसा नहीं है। यह कह दिया जाय कि वृद्धि नहीं होगी, तो भी ठीक नहीं है। तो यह प्रश्न ऐसा है, जिसका कोई उत्तर नहीं है। यह केवल परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि भविष्य में क्या होगा। सदा के लिए आश्वासन देना कठिन है। माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि पिछले पांच साल में कितनी बार किराया बढ़ाया गया और कितना-कितना ?

श्री नारायन दत्त —

मान्यवर, माननीय सदस्य, वाराणसी ने जो कहा है और जो उनकी भावना है, उसका अवश्य ध्यान रखा जायगा।

(श्री काशी सिंह ऐरी प्रश्न पूछने की अनुमति न मिलने के कारण सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, तीन बार घाटे को पूरा करने के लिए किराए में वृद्धि की गई फिर भी निगम घाटे पर चल रहा है, तो क्या आप इस बात का परीक्षण करेंगे कि यदि किराया बढ़ाने से घाटा पूरा नहीं हुआ तो इस समय जो निगम की कार्यप्रणाली है, उसमें जो गड़बड़ी है, जिसकी ओर अभी माननीय सदस्यों ने संकेत किया, उनको कैसे दूर किया जायगा, क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त --

मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे योग्य परिवहन मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें । अब हम आगे बढ़ गए हैं ।

[वृहस्पतिवार दिनांक 18 जुलाई 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बोरियों के अभाव में गेहूं की खरीद में रुकावट से कृषकों एवं सरकार को क्षति

*2--श्री सरदार सिंह--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1984 में गेहूं की खरीद के समय बोरियों के अभाव से प्रदेश में सरकारी खरीद केन्द्रों पर गेहूं काफी दिन तक पड़ा रहा तथा वर्षा के कारण सड़ता रहा जिससे किसान एवं सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी थी ? यदि हां, तो इस कमी को आगामी वर्ष के लिए दूर करने हेतु शासन कौन-कौन उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

रबी खरीद वर्ष 1984-85 में बोरियों के अभाव से खरीद केन्द्रों पर न तो गेहूं काफी दिन तक पड़ा रहा और न ही वर्षा के कारण सड़ता रहा, अतः क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रबी खरीद वर्ष 1985-86 के लिए राज्य सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में बोरों का प्रबन्ध कर लिया है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है, मैं बतलाना चाहता हूं कि इसमें गुमराह किया गया है । मान्यवर, बोरियों के अभाव में गेहूं केन्द्रों पर सड़ता रहा किसान का भी और सरकार का भी और बहुत दिनों तक नहीं उठाया गया । तो, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे क्या इस तरह का उत्तर तैयार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

उत्तर ठीक है । इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । मैं माननीय सदस्य को अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि बोरों की कमी नहीं थी । यह बात थी कि कलकत्ता में हड़ताल थी 16-1-84 से 8-4-84 तक, यह सही है कि बोरे नहीं आये । लेकिन, बोरे हमारे पास थे । यह बात सही है कि बोरे कहीं-कहीं ज्यादा हो गये हों और कहीं-कहीं कम हो गये । लेकिन, इसको हमने पूरा कर दिया ।

मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं काशीपुर जा रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि बाजपुर के पास एक छोटा केन्द्र, नाम याद नहीं, वहां बोरे नहीं थे । मैं बाजपुर गया और उन्हें बोरे दिलवाये । बोरे जो हैं कुछ तो भारतीय खाद्य निगम उनकी व्यवस्था करता है, कुछ बोरे हमारे विभाग के

हैं। यह हो सकता है कि विकास निगम कहीं-कहीं गड़बड़ी करता हो।

मैं बताना चाहूंगा कि 79,97,100 बोरे शुरू में ही थे और, इसके बाद 40 हजार गांठे और मंगायी गयीं। एक गांठ में, मान्यवर, 300 बोरियां होती हैं। मान्यवर, इस हड़ताल के बीच में जो विलम्ब हुआ, उसका असर नहीं पड़ा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिस मात्रा में हमने लिया बोरे का अभाव नहीं था। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यदि उनकी जानकारी में है कि कहीं बोरे के अभाव में गेहूं सड़ा है, तो वे बता दें, मैं जांच करा लूंगा।

मैं यह भी यहां बताना चाहूंगा कि मैं किसी प्रश्न पर, पूरी तरह से आश्वस्त हो कर ही, उसे यहां रखता हूं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

आपके अधिकारी आपको गुमराह करते हैं। काफी बरबादी हुई है मान्यवर।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य भ्रम में हैं, मैं गुमराह नहीं हूं।

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी अगर मैं आपके सरकारी दस्तावेजों से यह साबित कर दूं कि गेहूं सड़ रहा है और पानी में खराब हो गया है तो जिन अधिकारियों ने आपको यह गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

उत्तर देने से कोई गेहूं सड़ता व बचता नहीं है। तथ्य तो दूसरे हैं। गेहूं सड़ा है, यह मैं मानता हूं। आपका मतलब यदि बरेली में 640 मैट्रिक टन, गोरखपुर में 15.80 मैट्रिक टन, हल्द्वानी में 190 मैट्रिक टन और लखनऊ में 11.07 मैट्रिक टन से है तो इसकी सूचना हमारे पास भी है। यह तो हमेशा ही होता है गेहूं सड़ता है, चीनी घटती है। जो जवाब में आपको दे रहा हूं, यह प्रमाणिक है।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ललितपुर में जो भारतीय खाद्य निगम का गल्ला हवाई पट्टी पर रखा हुआ है, उसमें प्रतिदिन एक ट्रक गल्ला चोरी चला जाता है। क्या शासन को इसकी जानकारी है ? यदि शासन को इसकी जानकारी है तो इसे रोकने के लिए शासन ने क्या उपाय किये हैं और वह व्यक्ति कौन है जो चोरी कराता है। तिरपाल के अभाव में वह गल्ला सड़ रहा है शासन ने इस ओर ध्यान दिया ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, तिरपाल व पौलीथीन की कहीं भी कमी नहीं है। माननीय सदस्य को बता दूं कि झांसी, बनारस व कानपुर से तो बहुत कम गेहूं आता है। यदि यह कहा जाय कि बनारस में इतना गेहूं खराब हो गया, बलिया में इतना गेहूं खराब हो गया, यह ठीक नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, प्रति वर्ष बोरों के अभाव में किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। जब बोरे नहीं रहते हैं तो क्रय केन्द्र बन्द रहते हैं। क्या इसके लिए शासन कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि अगर कोई किसान इनके यहां लिखा दे कि मेरे पास इतना कुंतल गेहूं है तो उस समय उसे आधा मूल्य का भुगतान कर दिया जाय और जब बोरे आ जांय तो उसका गेहूं उठा लिया जाय और उसे पूर्ण भुगतान कर दिया जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

बोरे का अभाव नहीं है। जो कार्यवाही हो रही है, वह अपने में पूर्ण है। दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। कुछ खराब हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

*3--श्रीमती गेन्दा देवी--

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*4--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*6--श्री सुखपाल पाण्डे--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*7--श्री औसान सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।

*8--श्री पूरन सिंह--

[20 वें मंगलवार तारांकित प्रश्न 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के विकास खंड अहिरौला और अतरौलिया के कतिपय ग्रामों में धान की फसल को हानि तथा क्षतिपूर्ति की मांग

*9--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड अहिरौला और अतरौलिया के ग्राम मानोपुर, एदिलपुर, हरदिया, मदनपट्टी, देवडीह अमयपुर, गोपालपट्टी, अजिगरा, मदेवरा, मौरी, कबीरपुर आदि ग्राम के लोगों ने नवम्बर, 1984 में कोई दरख्वास्त दिया था जिसमें उन्होंने खरीफ 1391 फसली की धान की फसल को सैनकीट कीड़े द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिये जाने की सूचना देते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवबालक पासी)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या 9 के प्रश्नकर्त्ता के खड़े न होने से प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप खड़े नहीं हुए थे इसलिए मैंने आगे का प्रश्न पुकार लिया था।

हरीश जी, आप प्रश्न करिये।

एक सदस्य--

मान्यवर, 9 का उत्तर दिलाइये।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इनको पढ़ना था दूसरा जवाब और पढ़ गये दूसरा।

(हंसी)

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, मुझे तो 10 के लिए आज्ञा हुई थी।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न संख्या 9 के पूरक प्रश्न हरीश जी करना चाहते हैं ? तो करिये।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मैं इस चीज से मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 5-11-84 का रजिस्ट्री संख्या 73 द्वारा मुख्य मंत्री

जी को इस सम्बन्ध में पत्र गया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करायेंगे अपने दफ्तर में और दूसरे 12 गांवों की सारी फसल बरबाद हो गयी है, अतरौलिया, अहरौला में कीड़ों ने फसल को खा डाला था, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव बालक पासी—

विभाग में छानबीन करायी है, वहां पर कोई ऐसी शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य के पास अगर शिकायती-पत्र हो, मुझे दे दें।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

फोटो स्टेट कापी है, यदि मंत्री जी कहे तो मैं पुनः उन्हें दे दूंगा लेकिन जो दूसरा प्रश्न था—क्या जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव बालक पासी—

करा लेंगे।

(हंसी)

(प्रश्न संख्या 15 पुकारे जाने तथा मंत्री द्वारा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पढ़े जाने पर)

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप किस प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा 10 की थी।

(व्यवधान)

तिलहनी, दलहनी फसलों के लिए मिनीकिट कार्यक्रम का प्रभाव जानने हेतु रैंडम सर्वेक्षण

*10—श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित किए जाने वाले दलहनी एवं तिलहनी मिनीकिट का वितरण करने के पश्चात् उनकी बुवाई फसल की उपज इत्यादि चेक करने हेतु कोई रैंडम चैकिंग भी की जाती है ? यदि हां, तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज एवं लाभ सम्बन्धी क्या आंकड़े सामने आये हैं और प्रदेश में उन फसलों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज एवं लाभ से उनकी तुलना क्या रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)—

जी हां। तिलहनी-दलहनी फसलों के लिए मिनीकिट कार्यक्रम का प्रभाव जानने हेतु रैण्डम सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में लाभार्थियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिनीकेट से बोये गये खेतों में, साधारण बीजों से बोये गये खेतों की अपेक्षा चना, मटर, राई, सरसों की उपज में प्रति हेक्टेयर 20 से 40 प्रतिशत एवं मसूर में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

*11—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*12—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*13—श्री काशी सिंह ऐरी—

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर 2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*14—श्री किशन लाल दिलेर—

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर 3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर जिले के सहजनवां स्थान पर मंडी समिति के भवन निर्माण का निर्णय

*15—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सहजनवां क्षेत्र में सहजनवां नामक स्थान पर मंडी समिति के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त समिति के भवन निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री शिवबालक पासी—

जी हां ।

मंडी समिति निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण किये जाने के प्रश्न पर प्रत्यावेदन प्राप्त होने के कारण उसका परीक्षण किया जा रहा है । तब तक के लिए निर्माण कार्य रोक दिया गया है ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मंडी समिति के भवन के निर्माण के निर्णय के बाद किस प्रत्यावेदन के दबाव पर निर्माण कार्य रोक दिया गया ? दूसरी बात, मेरी निश्चित जानकारी है कि इसके पूर्व भी कुछ लोगों के दबाव पर कार्य रोका गया था और जांच के बाद उक्त स्थगन आदेश संख्या 1-12/84-45 रा-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 1984 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था । फिर दुबारा जांच कराने का स्वांग रचकर जनहित की उपेक्षा कर निर्माण कार्य क्यों रोका गया ?

श्री शिव बालक पासी—

यह मंडी स्थल 12.012 एकड़ भूमि पर बनना प्रस्तावित था, जमीन अधिगृहीत भी कर ली गयी थी । यह किसी के दबाव पर नहीं रोका गया है । मंडी स्थल की जमीन अधिगृहीत कर ली गयी है और उस पर कब्जा भी हो गया है । जो फसल खड़ी थी उसके कारण किसानों के आग्रह पर काम रोक दिया गया था । जब फसल कट गयी तो निर्माण कार्य शुरू किया गया । इसमें 3 हरिजनों की जमीन पूरी की पूरी जा रही थी इसलिए राजस्व विभाग से यह आदेश हुए कि जब तक अग्रिम आदेश न दिये जायं तब तक के लिए काम रोक दिया जाय । फिर वहां से जिलाधिकारी की तरफ से जांच होकर रिपोर्ट आयी है कि उसी स्थल पर मंडी समिति के भवन का निर्माण किया जाना उचित होगा । ऐसी व्यवस्था है कि जिन हरिजनों की जमीन इसमें जा रही है, उनको रेवेन्यू ऐक्ट के धारा 432 के अनुसार उस स्थान पर जमीन दी जाय । पूरे निर्देश दे दिये गये हैं । थोड़े ही दिनों बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया था ? जांच करा ली गयी थी, शासन से जानकारी आ गयी थी, आपके आदेशानुसार कार्य प्रारम्भ हुआ फिर किस मापदन्ड के अनुसार कार्य रोक दिया गया ? मुझे निश्चित जानकारी है कि कोई भी हरिजन इससे भूमि हीन नहीं हो रहा है ।

अधिष्ठाता—

इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया है, आप बैठें ।

*16—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर दूसरे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सिकन्दराबाद की मंडी में विभिन्न व्यापारियों के यहां मारे गये छापे

*17—श्री किरनपाल सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 जुलाई, 1984 को उन्होंने स्वयं जनपद बुलन्द-

शहर में विभागीय अधिकारियों के साथ सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर की मंडी में व्यापारियों के यहां छापे मारे थे ? क्या यह भी सही है कि छापे मारने के दौरान हुये कथित ज्यादतियों के कारण अपनी मांगों को लेकर सिकन्दराबाद की मंडी के व्यापारियों ने कुछ दिनों तक हड़ताल की थी ? यदि हां, तो व्यापारियों की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उनके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

जी हां, दिनांक 26 जुलाई, 1984 को तत्कालीन खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सिकन्दराबाद की मंडी में विभिन्न व्यापारियों के यहां छापे मारे गये थे ।

छापे के दौरान व्यापारियों के विरुद्ध कोई ज्यादती नहीं की गई थी परन्तु अवैध कार्य करने वाले व्यापारियों को छुड़ाने के उद्देश्य से सिकन्दराबाद मंडी व्यापारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर हड़ताल की गई थी ।

व्यापारियों की मुख्य शिकायत थी कि प्रश्नगत छापे उन्हें डराने व परेशान करने के लिए डाले गये थे तथा खाद्यान्न की सरकारी खरीद में क्रय केन्द्रों पर कृषकों का शोषण किया जाता है । यह आरोप निराधार हैं । अतः उनके समाधान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि प्रोफेसर साहेब को मालूम है कि मेरठ में आर0 एफ0 सी0 के अन्दर श्री भगत सिंह वर्मा जो कि खाद्य के लुटेरे के नाम से मशहूर थे, उनके कार्यकाल के दौरान जिन व्यापारियों ने उन्हें पैसा नहीं दिया था, रुपया नहीं दिया था उनको वे बराबर से तंग करते थे और करते हैं और व्यापारियों पर छापे डलवा कर उन्हें परेशान करते थे । जब छापे डलवाते थे तो उनकी लिस्ट दूसरी होती थी और बाद में वह लिस्ट बदल दी जाती थी । फर्जी लिस्ट के माध्यम से वे व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करते थे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न तो करिये ।

श्री किरनपाल सिंह--

इससे सिकन्दराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे बुलन्दशहर जिले में आतंक व्याप्त था । यह प्रोफेसर साहेब को मालूम है तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास यह जानकारी है कि व्यापारियों की तरफ से सिकन्दराबाद कोतवाली के अन्तर्गत आपके कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी ? यदि करायी गयी थी, तो फिर उस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने बहुत तोड़-मरोड़ के बात की है । माननीय सदस्य का रोब इतना जबरदस्त है कि उस आर0 एफ0 सी0 के खिलाफ वहां उनके सामने कोई मुंह ही नहीं खोल सकता है । इसलिये दूसरी क्या राय थी कोई रोब के कारण बता नहीं पाया । हां, उसका स्थानान्तरण हो गया है लेकिन वह इसलिये नहीं हुआ है कि उसके काम में कोई ऐब था । उस समय के तत्कालीन खाद्य एवं रसद मन्त्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने अपना एक अभियान चलाया था । उन व्यापारियों के बारे में माननीय किरनपाल को बेहतर जानकारी है, यह किसको नहीं दुख देते हैं ? यह तो दिल्ली तक दुख ही देते हैं । भला एक आर0 एफ0 सी0 की हिम्मत है कि इनके खिलाफ टिक सके । आपका जो भ्रम है उसका सत्य रूप यहां आना चाहिये ।

उन व्यापारियों की बहुत ज्यादा वकालत माननीय सदस्य कर रहे हैं। उन्होंने लिख कर दिया है जिसमें कहा है कि जब कोई अधिकारी नहीं जाता है तो हमारी तौहीन होती है और परेशानी होती है। लेकिन यह सही है कि नियम और कानून के अन्दर सबको रहना पड़ेगा। वह कहता है कि माननीय सदस्य की शान के खिलाफ किसकी हिम्मत है कि वह व्यापारियों का चालान करे। इसमें माननीय सदस्य यदि हमारा सहयोग करेंगे तो मैं इसका समूल उन्मूलन कर दूंगा।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं। न्याय सबको चाहिये और उसके मांगने में मैं संकोच नहीं करता हूं। यदि प्रोफेसर साहेब इस तरह का संकोच करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल प्रश्न करिये।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने मुझसे खुद ही तस्लीम किया था कि उन्होंने आर0 एफ0 सी0 की वकालत की है। उन्होंने मेरठ मंडल में रहने के दौरान व्यापारियों की सम्पत्ति को लूट लिया है और उसी की वकालत मन्त्री जी यहां कर रहे हैं। मैंने सवाल किया है कि व्यापारियों के खिलाफ आपके अधिकारी ने जो अनियमितता बरती तो उसके खिलाफ अपने कोई कानूनी कार्यवाही की थी? क्या उसके खिलाफ सिकन्दराबाद थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं?

श्री वासुदेव सिंह--

कार्यवाही हुई है। एक को छोड़कर बाकी सभी का नाम है और केस तो चल ही रहा है। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो वह मेरे पास है। केस चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य माननीय मन्त्री जी से मिल लें और स्थिति की सारी जानकारी कर लें।

श्री सुखपाल पांडे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मुकदमा कोतवाली में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वासुदेव सिंह--

जो हमारी तरफ से चलाया गया है, वह तो चल रहा है लेकिन किन व्यापारियों ने किन अधिकारियों के विरुद्ध किया है, उस की जानकारी नहीं है।

एक सदस्य--

माननीय मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर से एक रेक गेहूं मद्रास के लिए गया था, जो वापस लौट आया है। उन बोरों में गेहूं 60 किलो था और 100 किलो कह कर भेजा गया, तो क्या आप उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

यह इस प्रश्न से नहीं उठता है। इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है।

(प्रश्न संख्या 18 पुकारे जाने पर।)

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया और माननीय मन्त्री जी दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ने लगे। क्या कार्यवाही की गयी है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ, इसका उत्तर तो आप दिला दीजिये।

श्री सुखपाल पांडे--

(व्यवधान के मध्य)

आप नियम 49 में इसको ले लें। इस पर आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

कृषि विभाग द्वारा आइसोप्रोटान की खरीद एवं जांच

*18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गत वर्ष अनावश्यक 7 करोड़ रुपये के आइसोप्रोटान की खरीद का मामला शासन के ध्यान में लाया था और जांच की मांग भी की थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कृषि मन्त्री जी पूरा विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव बालक पासी--

जी हां।

जी नहीं।

जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि वर्ष 1983-84 में कृषि विभाग द्वारा मांग के अनुसार 7 करोड़ रु0 का नहीं वरन् 3·4 करोड़ का आइसोप्रोटान दर अनुबंधन के आधार पर नियमानुसार क्रय किया गया था। प्रदेश में लगभग 80 लाख हेक्टेयर गेहूं के क्षेत्रफल में से लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गेहुआं खरपतवार से प्रभावित था। इस खरपतवार से भारी क्षति को देखते हुए संसाधनों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा 180 मै0 टन आइसोप्रोटान रसायन का किया गया, जिसका कुल मूल्य 3·4 करोड़ रु0 था। चूंकि यह खरीद पूर्णतया नियमानुकूल एवं दर अनुबन्धन के आधार पर हुई थी। अतः इसमें किसी प्रकार के जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न करने के पूर्व मैं माननीय मन्त्री के विरुद्ध सदन को गुमराह करने की सूचना देता हूं। मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी में है कि 292 मी0 टन की खरीद की गयी है जिसका मूल्य 7 करोड़ रुपया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1983-84 के पहले आइसोप्रोटान की कितनी खरीद की गयी थी और कितने-कितने टन की डिमान्ड किस-किस जिले से आयी थी ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, यह प्रश्न सन् 1983-84 से सम्बन्धित था। उसके पहले का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

सूचना की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 1982-83 में 10 मीट्रिक टन आइसोप्रोटान रसायन खरीदा गया था जो कि 1983-84 में 292 मीट्रिक टन हो गया जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपये होती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोगों की मांग पर खरीदा गया और किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा की मांग की गई थी ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, आगरा में 8 मीट्रिक टन, अलीगढ़ में 5 मीट्रिक टन, मेरठ में 70 मीट्रिक टन, बरेली में 22 मीट्रिक टन, मुरादाबाद में 20 मीट्रिक टन

(व्यवधान)

आप पूछ रहे हैं कि किस जिले में कितनी मांग थी तो मैं उसे बता रहा हूं। मान्यवर, लखनऊ में 10 मीट्रिक टन, इलाहाबाद में 5 मीट्रिक टन, फैजाबाद में 5 मीट्रिक टन, वाराणसी में 5 मीट्रिक टन, गोरखपुर में 4 मीट्रिक टन, नैनीताल में 25 मीट्रिक टन तथा झांसी में 1 मीट्रिक टन की मांग थी जो कि कुल मिलाकर 180 मीट्रिक टन होता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह --

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं वह क्या डिमान्ड थी या सप्लाई किया गया। दूसरी बात यह है कि किन-किन महीनों में यह आइसोप्रोटान जिलों में भेजा गया ? क्या कंटिनजेन्सी फंड से इसके लिये पैसा लिया गया था ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, यह प्रश्न कई बार सदन में रखा गया। पहले इस प्रश्न को 18-6-84 के दूसरे सत्र में और दूसरी बार 21-6-84 को उसी सत्र में रखा गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

कृषि विभाग में अलग-अलग श्रेणियों में पदोन्नति व लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*19--श्री प्रदीप माथुर--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभागीय नियमानुसार पदोन्नति के बाद एक वर्ष की अवधि में लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से पिछले 21 वर्षों से किस वर्ग व श्रेणी में अनुमोदन नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शिवबालक पासी—

जी हां। दुरूह तकनीकी औपचारिकतायें, ज्येष्ठता सूची सही निर्धारित न होना, कुछ न्यायिक अड़चनों, लोक सेवा आयोग से विभिन्न निचले सम्वर्गों में अनुमोदित/नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों का न होना, आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी विभिन्न जिज्ञासाओं के कारण समयान्तर्गत अनुमोदन नहीं कराया जा सका। फिर भी कुछ मामलों में जहां अड़चनें कम थीं, लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया गया। शेष मामलों में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर---

क्या माननीय कृषि मंत्री बतायेंगे कि किस वर्ष किस श्रेणी के अथवा वर्गों के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित कराये गये ?

श्री शिव बालक पासी---

मान्यवर, इस प्रश्न में जो उत्तर आये हैं उसमें इतनी समस्यायें हैं पदोन्नति आदि के बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इनका हल करना जरूरी है। मान्यवर, मैंने निश्चय कर लिया है प्रदेश स्तर पर, निदेशालय स्तर पर जल्दी इसका निराकरण हो।

(व्यवधान)

आपने जो प्रश्न किया है उसको मैं बता रहा हूं इस मामले में मैंने तय किया है इसमें जो समस्या है उसको पूर्णतया सही किया जाए। उसको ठीक करने के लिए अतिशीघ्र प्रदेश स्तर पर अधिकारियों की समिति गठित कर के ठीक किया जाय।

श्री अधिष्ठाता ---

माननीय मंत्री जी आप उधर सम्बोधित न करें। चेयर की तरफ सम्बोधित करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में एक नीति सम्बन्धी प्रश्न जानना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी विद्यमान हैं। अक्सर इसमें विलम्ब पत्रावलियों के गड़बड़ होने तथा आयोग द्वारा पूछे गये जवाबों को विलम्ब से देने के कारण हो जाता है। इन मामलों में चूंकि लोक सेवा आयोग का भी इनवाल्वमेंट है तो सरकार किसी ऐसी प्रक्रिया का निर्धारण करने जा रही है जिससे अनावश्यक रूप से इतना समय लोक सेवा आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने में न लगे और प्रशासनिक विभाग द्वारा जो पत्रावलियां भेजी जाती हैं वह यथासमय भेजी जा सकें। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य सीतापुर से सहमत हूं मैंने स्वयं इसमें प्रयास किया है। लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष से इसमें दो तीन बार परामर्श किया। बहुत बार ऐसा होता है कि नियमावली पूरी नहीं हो पाती है और अगर पूरी हो जाती है तो लोग अदालत में चले जाते हैं और उसमें स्थगन आदेश हो जाते हैं। इस तरह से मामला रुक जाता है। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है कृषि सेवा नियमावली में अलग-अलग श्रेणियों में प्रोन्नति के अलग-अलग नियम हैं जैसे श्रेणी एक में सेक्शन सी का है, इसी तरह श्रेणी दो में सेक्शन डी है। इनमें प्रोन्नति के अनुपात के निर्धारित न होने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इन सभी के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। मैं लोक सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष से परामर्श करूंगा कि नियमावली शीघ्र स्वीकृत हो। जो नियम उपनियम को लेकर पत्र व्यवहार चल रहा है वह शीघ्र तय हो कि किसको कैसे किया जाय। कृषि रक्षा शाखा के अन्तर्गत कुछ वर्गों को अनुमोदन किया गया है, वर्ग एक में कुछ अनुमोदन किया गया है। इसमें मैं समझता हूं कि कृषि विभाग को भी सावधानी बरतनी होगी। मैं स्वयं इस मामले में पूरी चेष्टा करूंगा।

*20—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में दलहन व तिलहन की बोयी गयी फसलें

1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में वर्ष 1983-84 में दलहन व तिलहन की फसलें कितने क्षेत्रफल में बोयी गई और कितने क्षेत्रफल में उक्त फसलें रोगग्रस्त हुईं तथा रोग निवारण हेतु फसलों की रक्षा में कितने मूल्य की दवाओं का प्रयोग हुआ ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में वर्ष 1983-84 में क्रमशः दलहन व तिलहन की फसलें 7313 हेक्टेयर व 6926 हेक्टेयर में बोयी गयीं और 555 हेक्टेयर तथा 973 हेक्टेयर की फसलें रोग/कीट से प्रभावित हुईं, 436.3 हेक्टेयर तथा 833.7 हेक्टेयर में कृषि रक्षा उपचार किया गया रु0 32,287.78 एवं रु0 52,709.31 की दवाओं का प्रयोग हुआ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर की गयी नियुक्तियां

2—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आफिसरों/फार्मेसिस्टों के कब से कितने पद रिक्त हैं और रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां हो जायंगी ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में अनियमितताओं की जांच

4—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में अनियमितताओं की जांच कराने के लिए श्री अरविन्द सिंह का 19-2-82 का पंजीकृत शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री अरविन्द सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 19-2-82 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा करायी जा रही है ।

महानगर, लखनऊ में ई0 एस0 आई0 चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

5—श्री राम सागर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर, लखनऊ में ई0 एस0 आई0 चिकित्सालय के चिकित्सक के विरुद्ध समय से चिकित्सालय न जाने, मरीजों को दवा न देने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित स्थानीय जनता व कर्मचारियों द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-3-85 को माननीय मन्त्री जी को भेजा, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र मूल रूप में अपर निदेशक (कर्मचारी बीमा योजना) को जांच हेतु प्रेषित किया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु निवास-स्थान से बाहर होने पर उनकी लाश को निवास-स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की मांग

6—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु उसके निवास-स्थान से बाहर होने पर उसकी लाश को सरकार अपने खर्चे पर ले जाने के विषय पर भविष्य में नियमों में संशोधन करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लाश को उनके निवास-स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

जेल एवं राजनैतिक पेंशन मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री सरदार सिंह—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

8—श्री सरदार सिंह—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हरदोई जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने का आधार

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत कितने चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण जून/जुलाई, 1984 में हुए, उनके क्या-क्या आधार थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

चार चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ। उनमें से दो चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक तथा दो का उनकी प्रार्थना के आधार पर किया गया।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मांगों के सम्बन्ध में पत्र

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1983 से जून, 1984 के मध्य राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मांगों के सम्बन्ध में कितने पत्र शासन को प्राप्त हुए ? उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मांगों के सम्बन्ध में जनवरी 1983 से जून 1984 तक अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

संघ की मुख्य मांगों और उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

†देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 113 पर।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में टेक्नालाजिस्ट से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर अभ्यर्थियों की सामूहिक वरिष्ठता सूची

11—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्नालोजिस्ट से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में जो तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति दिसम्बर, 1982 में की गई उसमें अभ्यर्थियों की सामूहिक वरिष्ठता सूची बिना कैडर के विद्युत् सेल के स्तर पर बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या उस सूची से सहायक अभियंताओं को अवगत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्नगत अभ्यर्थियों की कोई सामूहिक वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई थी, वरन् ट्रेडवार उनकी वरिष्ठता सूची बनाई गई थी। अतः सामूहिक वरिष्ठता सूची प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत सामूहिक वरिष्ठता सूची से सहायक अभियन्ताओं को अवगत कराये जाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री पवनकुमार की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में शिकायती पत्र तथा उनके द्वारा इलेक्ट्रीशियन श्री हरीश चन्द्र की पिटाई के सम्बन्ध में जांच

12—श्रीमती शारदा देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ

के विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में (श्री पवन कुमार) की सहायक अभियंता के पद पर गलत प्रोन्नति के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, भूतपूर्व विधायक का कोई शिकायती पत्र शासन को माह जनवरी, 1984 में प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13--श्रीमती शारदा देवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल, लखनऊ में दिनांक 15-3-1984 को श्री पवन कुमार, सहायक अभियंता द्वारा इलेक्ट्रीशियन श्री हरीश चन्द्र पंत की पिटाई की गयी थी एवं उसकी जांच भी कराई गई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की एवं जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार, सहायक अभियंता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्रीमती पूनम चौहान, सहायक अभियन्ता द्वारा की गई थी । जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः किसी को भी दोषी नहीं पाया गया । अतः श्री पवन कुमार के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

14--श्री सरदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय लखनऊ के विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल के पवन कुमार, सहायक अभियंता (यांत्रिक) के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण-2, लखनऊ में प्रोन्नति से सम्बन्धित मामले का निर्णय नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इनके विनियमितीकरण हेतु लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से शासन स्तर पर कोई अग्रिम कार्यवाही करने का आधार क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

ऐसी कोई अन्तिम कार्यवाही अभी नहीं की गयी है ।

स्वास्थ्य कर्मचारियों का निलम्बन तथा चेतावनी

15--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र, फरेन्दा के प्रभारी चिकित्साधिकारी ने फर्जी नसबन्दी कराने के सम्बन्ध में सात स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर द्वारा निलम्बित कराया गया है ? यदि हां, तो क्या पहले चार्ज शीट अथवा चेतावनी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आकस्मिक निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में अरुचि दिखाने के कारण कथित कर्मचारी निलम्बित किये गये । निलम्बन से पूर्व चेतावनी या चार्जशीट देना आवश्यक नहीं है ।

खीरी-लखीमपुर जिला जेल के तत्कालीन जेलर श्री हरिनाम चन्द्र सिन्हा को निलम्बित किये जाने की मांग

16--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि कारागार उप महानिरीक्षक, कानपुर क्षेत्र श्री उदित सिंह ने 1984 में खीरी

लखीमपुर जिला जेल के तत्कालीन जेलर (श्री हरिनाम चन्द्र सिन्हा) को किसी बन्दी को रिहा कर देने सम्बन्धी आरोप में उक्त जेलर को निलम्बित करने की संस्तुति शासन को की थी ? यदि हां, तो उक्त जेलर को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है तथा उन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर सिंह यादव--

कारागार उप महानिरीक्षक, कानपुर क्षेत्र में खीरी लखीमपुर जिला जेल के तत्कालीन जेलर (श्री हरिनाम चन्द्र सिन्हा) के निलम्बन की संस्तुति कारागार महानिरीक्षक को की थी, न कि शासन को ।

निलम्बन का औचित्य न पाये जाने के कारण जेलर को निलम्बित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17--24--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

श्रीमती विद्यावती गौड़, ए0 एन0 एम0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज (फैजाबाद) की सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा अनुमन्य समस्त सुविधाओं की मांग

25--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम नाथ मुन्शी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विद्यावती गौड़, ए0 एन0 एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज, फैजाबाद की सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य ने पत्र संख्या 220/एस0 एम0 एच0 एफ0 04/84, को सी0 एम0 ओ0, फैजाबाद को भेजा था? यदि हां, तो उनकी सेवा पुस्तिका उपलब्ध हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इनकी सेवा पुस्तिका विभाग के कर्मचारियों द्वारा कई बार गायब कराई गई है ? यदि हां, तो उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमती विद्यावती गौड़, स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज (फैजाबाद) में दाई के पद पर नियुक्त हैं न कि ए0 एन0 एम0 के पद पर । उनकी सेवा पुस्तिका किसी कर्मचारी द्वारा गायब नहीं करायी गयी है बल्कि श्रीमती गौड़ पहले खंड विकास अधिकारी टांडा एवं जहांगीरगंज जनपद फैजाबाद के अधीन कार्यरत थीं जहां से उनकी सेवा पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई थी । अतएव उनकी नयी सेवा पुस्तिका तैयार की गयी है । उक्त परिस्थिति में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

26--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम नाथ मुन्शी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विद्यावती गौड़, ए0 एन0 एम0 जहांगीरगंज, फैजाबाद की सेवा पुस्तिका कितनी बार गायब कराई गई और उनके द्वारा सन् 1977 से अपनी सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कितने रजिस्टर्ड पत्र शासन को भेजे गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि उनकी सेवा पुस्तिका गायब होने से उनकी पदोन्नति व अन्य कार्यवाहियों में व्यवधान होता रहा है और अपने सेवा सम्बन्धी सभी लाभान्वित कार्यवाही से वंचित रह गई ? यदि हां, तो उनके सेवा संबंधी हुए सभी नुकसान को सरकार पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमती विद्यावती गौड़ की सेवा पुस्तिका किसी कर्मचारी द्वारा गायब नहीं की गई। वास्तव में वर्ष 1965-66

के पूर्व वह विकास खण्ड अधिकारी, टांडा तथा जहांगीरगंज जनपद फैजाबाद में दाई के पद पर कार्यरत थीं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज में तैनात किये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिका अभिलेखों के आधार पर तैयार की गयी है। इसी मध्य उन्हें अनुमन्य समस्त सुविधायें जैसे अवकाश नकदीकरण तथा अवकाश की सामान्य स्वीकृतियां निरन्तर प्राप्त होती रही हैं जिससे उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, निर्धारित प्रशिक्षण के पश्चात् ही दाई की ए0 एन0 एम0 के पद पर नियुक्ति की जाती है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार शासन को जो भी पत्र प्राप्त हुए वे कार्यवाही करने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद को निरन्तर प्रेषित किये जाते रहे।

स्वर्गीय श्री बशारत हुसैन फार्मेसिस्ट के पुत्र श्री तौकीर हुसैन की वार्ड ब्वाय के पद पर नियुक्ति के आदेश

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैयद बशारत हुसैन फार्मेसिस्ट जिला चिकित्सालय, जौनपुर का दिनांक 7 जुलाई, 1984 को आकस्मिक ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री सैयद हुसैन नवाब तथा उनके भाइयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1985 व उसके पूर्व मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव, निदेशक, चिकित्सा होम्योपैथिक, को दिनांक 12 मार्च, 1985 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर तथा अधीक्षक जिला चिकित्सालय को दिनांक 8 जुलाई, 1984 से कितने प्रार्थना-पत्र मृतक सेवा नियमावली (1974) के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु प्राप्त हुये? क्या शासन ने उन्हें उक्त नियमावली की सुविधा प्रदान की है? यदि नहीं की है, तो उनके आश्रितों को कब तक सेवा में लिये जाने की सम्भावना है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत तीनों प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। उक्त नियमावली के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री बशारत हुसैन, फार्मेसिस्ट के एक पुत्र श्री तौकीर हुसैन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1984 को वार्ड ब्वाय के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

सचिवालय डिस्पेन्सरी, लखनऊ को दवाओं हेतु आवंटित धनराशि

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि सचिवालय डिस्पेंसरी को वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में दवाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? क्या कर्मचारियों को दवाओं की उपलब्धता में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था पर विचार करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सचिवालय डिस्पेन्सरी, लखनऊ को वर्ष 1983-84 में औषधियों हेतु 15,50,000 रु0 तथा 1984-85 में 20,25,000 रु0 की धनराशि आवंटित की गई। कर्मचारियों हेतु पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था उपलब्ध है।

बस्ती जिले में अमीनों और चपरासियों की समाप्त सेवायें तथा की गई नयी नियुक्तियां

29—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1975 तक बस्ती जिले में कुल कितने अमीनों और चपरासियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं? प्रेषित शासनादेशों के तहत अब तक कितने अमीनों और चपरासियों को किन पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं? शेष सभी कर्मचारी कब तक सेवा कार्य में ले लिए जायेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

दिनांक 1 सितम्बर, 1975 तक जनपद बस्ती में कुल 385 अमीनों और चपरासियों को सेवा से पृथक किया गया था। अब तक 4 अमीनों को अमीन के पद पर, एक अमीन को ट्यूबवेल आपरेटर के पद पर तथा 6 चपरासियों को चपरासी के पद पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं। शासनादेश संख्या 41/2/1967-कार्मिक दिनांक 21-7-1984 द्वारा छटनीशुदा कर्मचारियों को खपाने की तिथि 22 मई, 1987 तक बढ़ायी जा चुकी है।

प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अंशकालिक डिमांस्ट्रेटर व प्रवक्ता की नियुक्ति

30—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अंशकालिक डिमांस्ट्रेटर व व प्रवक्ता की नियुक्ति की गयी है? क्या यह भी सही है कि बार-बार उक्त डिमांस्ट्रेटर व प्रवक्तागण का कार्यकाल बढ़ाया जाता है? यदि हां, तो क्या शासन पूर्णकालिक डिमांस्ट्रेटर व प्रवक्तागण की व्यवस्था तक कार्यरत अंशकालिक डिमांस्ट्रेटर्स व प्रवक्तागण का कार्यकाल बढ़ायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

जी हां।

स्वीकृत अंशकालिक डिमांस्ट्रेटर व प्रवक्ता के पदों की निरंतरता दिनांक 28-2-1986 तक स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है। उक्त अवधि के उपरान्त प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय व नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समायोजन पर विचार

31—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, 2, नबी उल्ला रोड, लखनऊ व नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, कैन्ट रोड, लखनऊ का समायोजन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो शासन इस पर कब तक निर्णय ले लेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। किन्तु अभी यह मामला अत्यन्त अपरिपक्व है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

32—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश के चिकित्सालयों में एक्सरे सम्बन्धी आपातकालीन सुविधा

33—श्री झिलमिट राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में एक्सरे सम्बन्धी आपातकालीन सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो यह कार्य किसके द्वारा सम्पन्न किया जाता है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के जिन चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, वहां गम्भीर

रोगियों के लिये आपातकालीन स्थिति में एक्स-रे की व्यवस्था है। यह कार्य अस्पताल में नियुक्त रेडियोलाजिस्ट तथा एक्स-रे टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है।

चिकित्सालयों में कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन का मूल वेतन तथा सेलेक्शन ग्रेड

34—श्री झिलमिट राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन का मूल वेतन फार्मेसिस्टों एवं लैब टैक्नीशियनों से ज्यादा है परन्तु उनका सेलेक्शन ग्रेड कम है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

दिनांक 1-7-79 से पूर्व एक्स-रे टेक्नीशियन को रु0 250-425 का सामान्य वेतनमान मिलता था और सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं था जबकि फार्मेसिस्ट के पदों पर रु0 300-500 तथा लैब टैक्नीशियन के पदों पर रु0 280-460 का सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य था। द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुति के आधार पर शासकीय संकल्प दिनांक 29-9-81 में लिये गये निर्णय के अनुसार फार्मेसिस्ट के पदों पर उनके पुराने सेलेक्शन ग्रेड रु0 300-500 के सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रु0 515-860 में सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया जबकि एक्स-रे टेक्नीशियन तथा लैब टेक्नी0 के पदों पर वेतन आयोग द्वारा संस्तुत सेलेक्शन ग्रेड रु0 470-735 स्वीकार किया गया।

स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद साहू के उत्तराधिकारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन का भुगतान

35—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि स्व0 शीतला प्रसाद साहू, जी0 सी0 अनुभाग, कृषि निदेशालय का लखनऊ में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 17-2-82 को स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो उनके जीवन बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी पारिवारिक पेंशन तथा बकाया नकदीकरण का उनके वारिसों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

स्व0 श्री शीतला प्रसाद साहू के उत्तराधिकारियों का मामला विवादग्रस्त होने तथा वांछित अभिलेख अभी तक उनके द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्व0 साहू के देयों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

संयुक्त चिकित्सालय, डुमरियागंज, जनपद बस्ती का शिलान्यास तथा निर्माण कार्य

36—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 60 शैय्या वाले तहसील स्तरीय संयुक्त चिकित्सालय, डुमरियागंज जनपद बस्ती का शिलान्यास 5-7-84 को किया था ? यदि हां, तो डी0 सी0 यू0 विभाग को 14 लाख रु0 से अधिक धन प्राप्त हो जाने के बावजूद उक्त चिकित्सालय का निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

जनपद बस्ती की बांसी तहसील में चलाई गई फसल बीमा योजना

37—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1983-84 के

खरीफ तथा रबी की फसलों का बस्ती जनपद के बांसी तहसील में फसल बीमा योजना चलाई गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उपरोक्त वर्ष के दोनों फसलों में जिन-जिन कृषकों द्वारा फसल बीमा करायी गयी उनकी सम्पूर्ण सूची मय नाम पतों के सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी कृषक को क्षतिपूर्ति की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1983-84 में खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में जनपद बस्ती की बांसी तहसील में फसल बीमा योजना चलाई गई थी ।

सूची संलग्न है ।

कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 115 पर ।)

कृषि विभाग के अन्तर्गत सहायकों तथा मंडी सचिवों के पदों से सम्बन्धित-पत्र पर की गयी जांच

38--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत सहायकों तथा मंडी सचिवों के पदों के बारे में प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 1300, दिनांक 15-10-84 माननीय मुख्य मन्त्री जी को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच समिति के कौन-कौन सदस्य थे और जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 11-10-84 को प्राप्त हुआ । जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री बिरजू राम, सुपरवाइजर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद जनपद बस्ती की पत्नी को समस्त देयों का भुगतान

39--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वर्गीय श्री बिरजू राम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खलीलाबाद, जनपद बस्ती में सेनिटरी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और सेवाकाल में ही दिनांक 10-9-1982 को उनकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी विधवा श्रीमती सम्पाती देवी की फेमिली पेंशन, प्रावीडेंट फंड तथा अन्य देय धनराशियों का भुगतान विभाग द्वारा किया गया अथवा नहीं ? यदि भुगतान किया गया तो कब और यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिरजू राम ने अपनी सेवानिवृत्ति के विरोध में दिनांक 16-7-1981 को लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में याचिका दायर कर दी, उक्त याचिका अभी भी अनिर्णीत है इसी कारण उनके देयों का भुगतान नहीं हो सका है ।

वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, रामपुर द्वारा लेवी के रूप में लिया गया सरकारी गेहूं तथा भुगतान की कार्यवाही

40--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर० एफ० सी०, मुरादाबाद एवं डिप्टी आर० एम० ओ०, रामपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 1-9-1984 व 3-9-1984

को 120-120 बोरी गेहूं सरकारी लेवी के रूप में लिया गया, जिसका बिल रु0 35544 दिनांक 3-9-1984 को आर0 ए0 ओ0, मुरादाबाद के कार्यालय में दे दिया गया परन्तु गेहूं देने वाले श्री मंजूर अहमद खां को किन परिस्थितियों में अभी तक पैसा नहीं दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, रामपुर द्वारा (सं0 खा0 नि0, मुरादाबाद एवं उप सं0 वि0 अ0 द्वारा नहीं) दिनांक 1-9-1984 व 3-9-1984 को क्रमशः 120, 120 बोरी गेहूं लेवी के रूप में लिया गया जिसका रु0 35,544 का बिल दिनांक 4-9-1984 (3-9-1984 को नहीं) सम्भागीय लेखाधिकारी, मुरादाबाद के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया । इसमें से रु0 34,128 का भुगतान लेवी दाता फर्म मे0 कुमार ट्रेडिंग कम्पनी, रामपुर को कर दिया गया । क्रय कर के रूप में काटी गई धनराशि रु0 1416 के क्रय कर अदा करने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित फर्म ने दिनांक 5-7-1985 को प्रस्तुत किया है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में शैक्षणिक पदों पर की गयी नियुक्तियों/प्रोन्नतियों का नियम

41--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 एम0 सी0, लखनऊ एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल कालेज है और यहां का टीचिंग स्टाफ भी अपने विषय का विशेषज्ञ होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उक्त कालेज के टीचिंग स्टाफ के प्रमोशन तथा नियुक्तियों के लिये चयन अखिल भारतीय स्तर पर खुले रूप में आयुर्विज्ञान संस्थान के किसी वरिष्ठ डाक्टर की अध्यक्षता में हो ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों की भांति एक राजकीय मेडिकल कालेज है तथा इसके शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां/प्रोन्नतियां प्रचलित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है जो अभ्यर्थियों का चयन आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की सहायता से करते हैं । इस व्यवस्था में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता ,

42--श्री किशन लाल दिलेर--

[3 रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

मेडिकल कालेज के भू0 पू0 विभागाध्यक्ष, डा0 एन0 एन0 गुप्ता द्वारा लारी कार्डियालाजी सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया जाना

43--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लारी कार्डियोलाजी सेन्टर हृदय रोग विभाग के0 जी0 मेडिकल कालेज को 29 मार्च, 1985 को स्वास्थ्य सचिव (श्री श्याम सूरी) की अध्यक्षता में मेडिकल कालेज के भू0 पू0 विभागाध्यक्ष, डा0 एन0 एन0 गुप्ता द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया ? यदि हां, तो मेडिकल कालेजों के वर्तमान विभागाध्यक्षों प्रिन्सिपल तथा स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए एक भू0 पू0 विभागाध्यक्ष द्वारा यह समर्पण कराने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

डा0 एन0 एन0 गुप्ता के मेडिसिन के क्षेत्र में किये गये योगदान एवं उनकी उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुये लारी कार्डियोलाजी सेंटर के0 जी0 मेडिकल कालेज को उनके द्वारा समर्पित कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ की स्थापना तथा नियमावली

44—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास केन्द्र एवं कृत्रिम अंग लखनऊ की स्थापना कब हुई और संस्था की नियमावली बनाने में कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी हैं ? उक्त संस्था की नियमावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी । केन्द्र के बाइलाज के परीक्षण का कार्य केन्द्र की प्रबन्ध समिति द्वारा चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति को सौंपा गया था जिसमें निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, निदेशक पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र तथा प्रो0 एम0 के0 गोयल थे । केन्द्र के बाइलाज को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । इस बीच केन्द्र की प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1985 की बैठक में केन्द्र को के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में विलीन किये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः इस केन्द्र की अलग से नियमावली बनाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय शामा, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में चिकित्सक का रिक्त पद

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, तह0 बागेश्वर, शामा में राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक, कम्पाउन्डर आदि कर्मचारी कब से नहीं हैं तथा उनके लिए सरकार ने क्षेत्र की जनता को सुविधा देने हेतु क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय शामा, तहसील बागेश्वर जिला अल्मोड़ा में चिकित्सक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप दिनांक 20-3-1980 से चिकित्सक का पद रिक्त था । सी0 एम0 ओ0 अल्मोड़ा ने अपने स्तर से चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण कर दो बार इस पद को भरने का प्रयास किया था लेकिन दोनों बार चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

लैब टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन का चयन

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4894-ए/बी-964/55, दिनांक 22 जून, 1956 के द्वारा लैब टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के चयन हेतु स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था ? क्या उक्त आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षित शासनादेश जारी किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा 1983-84 में किये जाने का आधार क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । शासनादेश सं0 3978/5-8-आठ-11/81, दिनांक 19-12-1983 में स्वास्थ्य सेवा निदेशक को, जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अध्यक्ष भी हैं, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से चयन कराने का अधिकार दिया गया था ।

खुमाड़ (सल्ट) में शहीद स्मारक का निर्माण

47--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में स्वतन्त्रता संग्राम के बीच 19 अगस्त, 1942 को देवाद में, 23 अगस्त, 1942 को जयन्ती में 5 सितम्बर, 1942 को खुमाड में शहीद हुये स्वतन्त्रता संग्रामियों की याद को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए बहुधंधी शहीद स्मारक बनाने सम्बन्धी भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के दिनांक 1-10-1984 के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

खुमाड़ (सल्ट) में शहीद स्मारक का निर्माण हो चुका है और इसमें उद्योग विभाग द्वारा कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ।

शेष स्थानों के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज में डीन, रीडर एवं प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति

48--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ अधिग्रहण अध्यादेश लागू करने के कारणों में यह बताया गया था कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में टीचिंग एवं प्रशासन सही नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में जो डीन, रीडर्स और प्रोफेसर्स के प्रमोशन हुए हैं वे उन्हीं प्रोफेसर्स तथा रीडर्स में से हुये हैं जो कि विश्व-विद्यालय के प्रशासन में थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

यह सत्य है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में के0 जी0 मेडिकल कालेज में जो अध्यापक कार्यरत थे उन्हीं को डीन, रीडर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रोन्नति दी गई है क्योंकि लखनऊ मेडिकल कालेज का अधिग्रहण करने के पश्चात रिट हो जाने के कारण इसे अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों से पृथक् एक विशेष दर्जा दिया गया है । विधिक कठिनाई के कारण उसके स्टाफ को अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों के संवर्ग में संविलीन नहीं किया जा सका है ।

49--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रोफेसरों को प्रोन्नत करके डीन या हेड बना दिया गया है परन्तु रीडर्स व लेक्चरर्स की कोई प्रोन्नति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? उनको कब तक प्रोन्नत किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

विभिन्न विभागों के रीडर तथा लेक्चरार्स को भी उपलब्ध रिक्तियों में उनकी वरिष्ठता एवं कार्य के आधार पर क्रमशः प्रोफेसर तथा रीडर के पदों पर प्रोन्नति दी गई है ।

50--श्री काशी सिंह ऐरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में चिकित्सा हेतु यूनेस्को से प्राप्त वाहन व उनका मूल्य

51—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में तथा दिनांक 1-5-85 तक जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में चिकित्सा हेतु यूनेस्को आदि संस्थाओं से कुल कितने वाहन प्राप्त हुये थे ? इन वाहनों में प्रत्येक का क्रमशः मूल्य कितना था ? इनमें से कौन-कौन से वाहन किस आधार पर किस अधिकारी की पूर्व संस्तुति पर बेची गई ? कितना मूल्य बेचकर प्राप्त किया गया ? सरकार इन बिक्रियों की जांच कर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दन्ड देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में यूनेस्को से कोई वाहन प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1984-85 में यूनिसेफ की सहायता के अन्तर्गत दानस्वरूप जनपद पिथौरागढ़ में 1 तथा अल्मोड़ा में 2 वाहन प्राप्त हुए।

यूनिसेफ के इन्वायस के अनुसार उक्त प्रत्येक वाहन का मूल्य 69,249.00 रुपया था।

उक्त वाहनों में से कोई भी वाहन नहीं बेचा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

52-53—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 127-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

54—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

55—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में खाद्यान्न/सीमेन्ट की ढुलाई की दरें

56—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या खाद्य व रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में गल्ले, खाद्य सामग्री तथा भवन निर्माण सामग्री की ढुलान दर क्रमशः किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी है ? क्या सरकार इन ढुलान संस्थाओं के सहकारीकरण करने पर शीघ्र विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

निविदा व्यवस्था के आधार पर ठेकेदारों/परिवहन कम्पनियों के माध्यम से रेल शीर्ष से प्रश्नगत जनपदों के आन्तरिक गोदामों पर ट्रक द्वारा खाद्यान्नों/चीनी की ढुलाई दरों का विवरण संलग्न है। भवन निर्माण सामग्रियों में से केवल सीमेन्ट पर ही शासन का आंशिक नियन्त्रण है सीमेन्ट की शासन द्वारा निर्धारित ढुलाई दरें भी उक्त विवरण-पत्र में अंकित है। ढुलाई की वर्तमान व्यवस्था जो निविदा द्वारा सम्पादित की जाती है, अधिक सरल एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोगी है, अतः इसके सहकारीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 120 पर।)

जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व ननीताल में मलेरियाग्रस्त रोगियों की जांच व उपचार

57—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल में कितने मलेरिया ग्रसित रोगियों की जांच व उपचार किया गया ? सरकार ने इसके स्थायी समाधान हेतु क्या-क्या यत्न किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कथित जनपदों से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है :—

जनपद	वर्ष	जांच की गई रक्त पट्टिकाओं की संख्या (लाख में)	मलेरिया से ग्रसित रोगियों की संख्या (लाख में)	उपचारित रोगियों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5
1—पिथौरागढ़	1982	0.16	310	293
	1983	0.17	551	519
	1984	0.20	1,189	1,063
	1985	0.06	183	180
2—अल्मोड़ा	1982	0.45	795	769
	1983	0.48	1,448	1,438
	1984	0.59	3,415	3,299
	1985	0.20	842	794
3—नैनीताल	1982	1.77	10,616	10,201
	1983	2.10	20,232	19,896
	1984	2.51	39,240	38,206
	1985	0.99	13,930	12,322

रोग की रोकथाम हेतु उक्त तीनों जनपदों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जनपद के ऐसे कार्यकर्ताओं के क्षेत्रों में जहां गत वर्षों में दो या उससे अधिक मलेरिया धनात्मक केसेज प्रति एक हजार (1000) जन-संख्या पाए जाते हैं वहां कीटनाशक औषधियों का नियमित छिड़काव किया जाता है ।

मलेरिया विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ को नवीन वेतन-मान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

58—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेबोरेटरी टेक्निशियन मलेरिया विभाग (वेतनमान रु0 280-460) का 1975 के बाद नवीन वेतन आयोग बैठने के बावजूद, वेतनमान नवीनीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने नवीन वेतनमान देने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर मलेरिया विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, जो रुपया 280-460 के सेलेक्शन ग्रेड में थे, को वेतनमान रुपया 470-735 दिनांक 26 जुलाई, 1984 को स्वीकृत किया गया था परन्तु पुनः दिनांक 22 अगस्त, 1984 के आदेशानुसार उसका कार्यान्वयन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

पर्वतीय जनपदों, विशेषकर तराई क्षेत्र में नकली दवाईयों के विक्रय को रोकने हेतु उठाये गये कदम

59—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों, विशेषकर तराई क्षेत्र में नकली दवाइयों के विक्रय को रोकने हेतु शासन ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं विगत 3 वर्षों में किन-किन अपराधियों को इस सम्बन्ध में दंडित किया जा चुका है ? क्या सरकार दवाई विक्रय हेतु सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

60—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

61—श्री काशी सिंह ऐरी—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

62—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4 थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

63—श्री काशी सिंह ऐरी—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

पंतनगर विश्वविद्यालय तथा चौबटिया अनुसंधान संस्थान द्वारा पर्वतीय जनपदों में विक्रय किये गये अन्नादि व शाकभाजी का वितरण

64—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंत नगर विश्वविद्यालय तथा चौबटिया अनुसंधान संस्थान (रानीखेत) के द्वारा विगत 5 वर्षों में पर्वतीय जनपदों में क्रमशः कुल कितनी शाक भाजी व अन्नादि के बीज वितरित या विक्रय किये गये ? क्या सरकार अनुसंधान को इन संस्थाओं से पर्वतीय जनपदों में नियमित बीज विक्रय हेतु प्रत्येक विकास खंड स्तर पर सुनिश्चित नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना संलग्न है।

छापी नहीं गयी।

यह कार्य विभिन्न माध्यमों से पहले से ही किया जा रहा है ।

पर्वतीय जनपदों में कृषि एवं फल के अनुसंधान केन्द्र

65—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 मार्च, 1984 तक पर्वतीय जनपदों में कृषि एवं फल अनुसंधान के कौन-कौन से केन्द्र कार्यरत थे ? इनका क्षेत्रफल क्रमशः कितना था ? इनमें विगत 5 वर्षों में क्रमशः कुल कितनी राशि की आय व व्यय हुयी ? क्या सरकार इन केन्द्रों द्वारा उत्पन्न फल फूल व धान्यों को स्थानीय कृषकों में विक्रय हेतु प्राथमिकता देने की योजना तैयार कर क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना संलग्न† है ।

इन केन्द्रों द्वारा उत्पन्न फल-फूल व धान्यों का स्थानीय कृषकों को विक्रय करने का कार्य पहले से ही किया जा रहा है ।

मानचित्रकारों की ज्येष्ठता सूची व स्थानान्तरण

66—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि मानचित्रकारों की ज्येष्ठता सूची मंडल स्तर पर निर्धारित की जा रही है तो उन्हें विभाग में मंडल से बाहर क्यों स्थानान्तरित किया जाता है ? अन्य विभागों (जैसे लोक निर्माण सिंचाई, विद्युत तथा नगर विकास) की तरह मानचित्रकारों को कोई भी पदोन्नति के अवसर 25 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी नहीं दिये गये हैं ?

†छापी नहीं गयी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अधीनस्थ कृषि सेवा के अन्य सदस्यों की भांति मानचित्रकारों का स्थानान्तरण भी स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः एक मण्डल से दूसरे मण्डल में 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही किया जाता है । पदों की संख्या कम होने के कारण पदोन्नति के अवसर सीमित हैं जिसके कारण कई वर्षों की सेवा के पश्चात पदोन्नति के अवसर सुलभ होते हैं ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में थल स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का किराया बढ़ाये जाने की मांग

67—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के किराये बढ़ाये जाने या खाली कर देने की मकान मालिक द्वारा लगातार की जा रही मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या उसकी वर्तमान दर के अनुसार किराया देने अथवा मकान खाली करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

भवन पति के अनुरोध पर भवन के किराये में दो बार वृद्धि की जा चुकी है । एक बार 25 रु० तत्पश्चात् 5 रु० की वृद्धि की गई थी ।

भवन का उचित किराया दिया जा रहा है । भवन की वर्तमान दशा को देखते हुए किराया बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में खाद्यान्न का मासिक आवंटन

68--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य व रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में वर्षवार जनपदवार क्रमशः कितना व क्या-क्या मासिक खाद्यान्न दिया गया ? क्या सरकार इस वर्ष वहां पड़े विकट सूखे को ध्यान में रखते हुए विशेष कर सीमान्त जनपदों में खाद्यान्न की दरें सस्ती करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह :-

वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) के लिए प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत खाद्यान्न (गेहूं तथा चावल) के मासिक आवंटन का विवरण संलग्न† है ।

खाद्यान्न की वर्तमान दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गत मूल्य में विविध प्रासंगिक व्यय आदि को सम्मिलित करके निर्धारित की गयी हैं, जिसमें किसी प्रकार की कमी, सीमान्त पर्वतीय जनपदों के लिये किया जाना, वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत कुष्ठ निवारण अस्पताल

69--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने कुष्ठ रोग निवारक अस्पताल कार्यरत हैं ? इनमें विगत 5 वर्षों में कितने रोगियों का सफल उपचार हुआ ? इस समय कुल कितने मरीज भर्ती हैं ? यहां कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पेट्रोल खर्चा/यात्रा भत्ता व अन्य सुविधा किन-किन मानकों मूल्य सूचियों के आधार पर दिया जाता है ? विस्तृत क्षेत्र महंगाई को देखते हुए क्या सरकार उपरोक्त खर्चा बढ़ाते हुए चिकित्साधिकारियों को और अधिक सुविधा प्रदान प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद पिथौरागढ़ में दो कुष्ठ निवारण अस्पताल कार्यरत हैं इनमें विगत पांच वर्षों में 371 रोगियों का सफल उपचार हुआ है । इस समय इनमें 78 रोगी भर्ती हैं ।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भारत सरकार से प्राप्त शत प्रतिशत वित्तीय सहायता और निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है ।

जनपद पिथौरागढ़ के कुष्ठ कार्यक्रम से सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को पेट्रोल पर व्यय होने वाली धनराशि तथा अन्य सुविधायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर अनुमन्य हैं । भारत सरकार द्वारा मानक में संशोधन किये जाने पर ही पेट्रोल खर्चे व अन्य सुविधाओं में वृद्धि सम्भव हो सकेगी ।

उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में जनपदवार रबी खरीफ की औसत उपज

70--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में जनपदवार विगत 3 वर्षों की रबी खरीफ की औसत उपज कितनी रही ? इसी अवधि में प्रदेश व देश का इन फसलों का औसत क्रमशः कितना रहा ? सरकार पर्वतीय जनपदों की कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कौन-कौन से, नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को कृषकों को सुलभ करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†छापी नहीं गयी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

गत तीन वर्षों 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में प्रदेश के पर्वतीय जनपदों प्रदेश व देश की रबी खरीफ फसलों का औसत उपज की सूचना संलग्न† है।

विभिन्न अनाजों, दालों सब्जियों, तिलहनों तथा चारे की अधिक उपज देने वाली रोगरहित किस्मों को विकसित कर पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को सुलभ कराई जा रही है, जैसे गेहूं में बी0एल0 42 निचले पर्वतीय क्षेत्रों में धान में बी0 एल0 8 निचली घाटियों में बी0 एल0 के0 390 ऊंची घाटियों में मक्का में बी0एल0 16 तथा बी0 एल0 43, रागी में बी0 एल0 मडुवा 204 दालों में बी0 एल0 मटर-1 इत्यादि। फसलों के लिए उचित शस्य विधियां विशेषकर कमलागत वाली तकनीक का विकास कर सुलभ कराई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपर्युक्त उन्नत फसल चक्र का विकास, विशेष कर असिंचित अवस्था के लिए विकसित कर कृषकों को सुलभ करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फल उत्पादन व उपयोग विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लम्बित वाद

71--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या फल उत्पादन व उपयोग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के कुल कितने वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं? इनमें से कौन-कौन से वादों का उत्तर सरकार विगत 2 वर्षों से नहीं दे पायी है? क्या सरकार इन वादों को अति शीघ्र निपटाने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

†छापी नहीं गयी।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कुल 13 वाद लम्बित हैं। इनमें से केवल दो वादों का उत्तर अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वादों को अतिशीघ्र निपटवाने की कार्यवाही की जा रही है।

72--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

73--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत डाक्टर रामनिवास गुप्त को स्थायी किये जाने की मांग

74--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (इन्टोमोलोजी) के डाक्टर राम निवास गुप्त को जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में निरन्तर 18 वर्षों के अस्थायी सेवा कर रहे हैं, अब तक स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

वर्ष 1975 में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की स्थापना के फलस्वरूप शासनादेश संख्या ए-1099/12 (1)-140/75, दिनांक 13-9-76 के अनुसार डाक्टर गुप्ता को उक्त विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माना गया। वर्णित शासनादेश के प्रस्तर, 5 के अनुसार इन्हें कृषि विश्वविद्यालय की सेवा में संविलियन हेतु राजकीय सेवा

का विकल्प पत्र/त्याग पत्र देना था, परन्तु इनका विकल्प पत्र/त्याग पत्र समय से प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका था ।

75—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[उरे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

कृषि निदेशालय, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु साक्षात्कार

76—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु दिनांक 21-12-82 को जो साक्षात्कार हुआ था उसका परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों तथा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 20, 21, 22, 23, 24, 27 तथा 28 दिसम्बर, 1982 को साक्षात्कार हुआ था । साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठतम 17 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश कृषि निदेशालय के आदेश दिनांक 28-6-84 द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

जलालपुर कस्बा जनपद फैजाबाद में मेसर्स शान्ता देवी के नाम से मिट्टी के तेल की एजेन्सी के विरुद्ध शिकायत तथा जांच

77—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जलालपुर कस्बा जनपद फैजाबाद में मेसर्स शान्ता देवी के नाम से मिट्टी के तेल की कोई एजेन्सी कार्यरत है ? यदि हां, तो उसके संचालक कौन-कौन लोग हैं और वर्ष 1984 में उनको कब-कब कितना कोटा दिया गया ? क्या यह सही है कि माह अप्रैल, 1985 में विकास खण्ड भियांव व जलालपुर के प्रमुखों द्वारा स्थानीय विधायक के संस्तुति के साथ उक्त एजेन्सी के विरुद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आरोप-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख आरोप क्या-क्या हैं ? उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । मेसर्स शान्ता देवी के नाम से मिट्टी तेल की एजेन्सी के संचालक सर्वश्री राम सिंगार त्रिपाठी, बिनय प्रकाश त्रिपाठी एवं विजय प्रकाश त्रिपाठी हैं । माह जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक उक्त एजेन्सी को क्रमशः 72, 76, 64, 74, 78, 94, 88, 86, 92, 86, 82 तथा 84 किलोलीटर मिट्टी तेल का कोटा मिला ।

जी हां । उक्त शिकायत में मुख्य आरोप सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में मिट्टी तेल न दिया जाना, अधिक मूल्य पर तेल बेच कर नाजायज धन वसूल करना तथा तेल का कृत्रिम अभाव पैदा करना है । प्रश्नगत शिकायत की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा करवायी जा रही है । प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारी डाक्टर पुष्पा बाजपेई के स्थानान्तरण की मांग

78—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी की जानकारी में है कि श्रीमती डाक्टर पुष्पा बाजपेई वर्ष 1976 से ही लखनऊ में चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त डाक्टर को एक ही जनपद में 7 वर्ष से अधिक हो गये हैं, अविलम्ब लखनऊ से अन्यत्र स्थान-

तरित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डाक्टर (श्रीमती) पुष्पा बाजपेई लखनऊ में दिनांक 6-10-77 से चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसी महिला डाक्टर जिसके पति भी उसी नगर में कार्यरत हैं, को इस वर्ष स्थानान्तरित न करने की नीति अपनायी गयी है। डाक्टर पुष्पा बाजपेई के पति लखनऊ में ही कार्यरत हैं, अतः उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद इब्राहीम, चौकीदार
कृषि विभाग, विकास खंड
चायल की समाप्त
सेवायें तथा
पुनर्नियुक्ति

69--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित अत0 प्र0 सं0 177 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद इब्राहीम, चौकीदार, कृषि विभाग विकास खंड चायल, इलाहाबाद की सेवायें सन् 1975 में समाप्त कर दी गई थीं जबकि उनसे अन्य जूनियर चौकीदार अभी भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी की ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए उसे अविलम्ब सेवा में लेने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री मोहम्मद इब्राहीम, चौकीदार, कृषि विभाग, विकास खंड चायल, इलाहाबाद की सेवायें अधिष्ठान में कमी के कारण समाप्त कर दी गयी थीं। जिला कृषि अधिकारी इलाहाबाद के आदेश संख्या 1469, दिनांक 17-6-1985 द्वारा उन्हें पुनर्नियुक्त कर दिया गया है।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक
मेडिकल कालेज के प्रवक्ता
डाक्टर अरुण प्रकाश को
अन्य संस्थाओं में कार्य
करने की प्रधाना-
चार्य द्वारा दी
गयी अनुमति

80--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरुण प्रकाश जो गत 14-15 वर्षों से नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, उनके अतिरिक्त वे किन-किन अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं तथा वहां से उन्हें कितना वेतन मिलता है और उन संस्थाओं में कार्य करने के लिए उनको कोई लिखित आदेश दिये गये हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डाक्टर अरुण प्रकाश, दिनांक 31-3-1971 से राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा केवल यूनियन कार्बाइड इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों को प्रोफेशनल सेवा उपलब्ध कराई जाती है जिसके लिये उन्हें वर्तमान समय में 925 रु0 प्रतिमास मानदेय मिलता है। उन्हें उक्त प्रयोजन हेतु दिनांक 15-12-1972 को कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी जिसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा0 लि0
मोतीनगर, फैजाबाद के
विरुद्ध शिकायती-पत्र
तथा जांच
रिपोर्ट

81--श्री मित्रसेन--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26-2-1985 को जिला पूर्ति

अधिकारी, फैजाबाद व दिनांक 28-2-1985 को आयुक्त, फैजाबाद मन्डल, फैजाबाद को विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा0 लि0 मोतीनगर, फैजाबाद के विरुद्ध स्ट्रीम कोल की अवैध बिक्री के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर यादव, अध्यक्ष, नौजवान सभा उत्तर प्रदेश का कोई गम्भीर शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों का मुख्य बिन्दु क्या है और उसकी जांच रिपोर्ट में क्या अनियमितता प्रकाश में आयी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा0 लि0, मोतीनगर, फैजाबाद के विरुद्ध श्री राजबहादुर यादव, अध्यक्ष, नौजवान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा एक शिकायती-पत्र दिनांक 27-2-1985 को जिला पूर्ति अधिकारी, फैजाबाद तथा दिनांक 28-2-1985 को आयुक्त, फैजाबाद मन्डल, फैजबाद को दिया गया ।

शिकायती-पत्र में मुख्य बिन्दु यह था कि इस फैक्ट्री को दिनांक 16-2-1985 से 22-2-1985 तक जो 18 वैगन कोयला अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हुआ उसे वहीं से ब्लैक में बेच दिया गया । इस शिकायत की जांच आयुक्त फैजाबाद मन्डल, फैजाबाद द्वारा सहायक आयुक्त (खाद्य) से कराई गई । जांच अधिकारी द्वारा मौके पर उपलब्ध कोयले का भौतिक सत्यापन करने पर अभिलेखों के अनुसार सही पाया गया । फिर भी एक तकनीकी बिन्दु के समाधान हेतु इस प्रकरण को सम्पूर्ण विवरण सहित महानिदेशक तकनीकी विकास, उद्योग भवन, नई दिल्ली को आवश्यक जांच एवं कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया है ।

गोरखपुर सदर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

82--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा

श्री हर्षवर्धन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर सदर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच संयुक्त निदेशक डाक्टर खरे ने गत वर्ष किया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला चिकित्सालय गोरखपुर से सम्बन्धित शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक डाक्टर जे0 बी0 खरे द्वारा नहीं करायी गयी है ।

दर्शननगर जनपद फैजाबाद स्थित याश पेपर मिल के प्रदूषण से क्षति

83--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दर्शननगर, जनपद फैजाबाद स्थित याश पेपर मिल का प्रदूषण जिसके निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के कारण पास पड़ोस के गांवों के जन स्वास्थ्य की भारी हानि पहुंच रही है तथा सदैव गम्भीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्षेत्रीय जनता के जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दर्शननगर, जनपद फैजाबाद स्थित याश पेपर मिल के पास-पड़ोस के गांवों में संक्रामक रोगों के प्रकोप अथवा जन स्वास्थ्य की हानि की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है । सरयू नदी के जल के प्रदूषित होने की संभावना के कारण बीमारियों की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है । प्रश्नगत प्रदूषण की रोकथाम हेतु यथोचित निर्देश दे दिये गये हैं ।

84-85--श्री रामनाथ मुंशी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

86--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 में (कृषि रक्षा) कर्मचारियों का लोक सेवा द्वारा अनुमोदन तथा नियुक्तियां

87—श्री प्रदीप माथुर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966 में लोक सेवा आयोग में अ0 व0 से वर्ग 2 (सामान्य) के 400 पदों पर व्यक्ति अनुमोदित हुए थे और वर्ष 1972 में प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में प्रकाशित भी किया था परन्तु वर्ष 1979 में जब सूची पुनः प्रसारित हुई तब इनमें से 116 व्यक्ति के नाम निकाल दिये गये? इन 116 कर्मचारियों के नाम क्यों ज्येष्ठता सूची में शामिल किये गये और क्यों निकाल दिये गये ? क्या अ0 व0 सं0 वर्ग 2 (कृषि रक्षा) में कभी ऐसा ही मामला है जिसमें 45 को अनुमोदित के बाद भी ज्येष्ठता में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ग 2 (विकास) में 2-8-83 को किस आधार पर नियुक्तियां की थीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह —

जी नहीं । अपितु लोक सेवा आयोग से 494 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी जिसमें से 351 सदस्य मुख्य सूची में तथा 143 सदस्य आरक्षित सूची में थे । आयोग की सहमति के प्रत्याशा में 116 व्यक्तियों का नाम अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 की वरिष्ठता सूची में जोड़ दिया गया था परन्तु चूंकि वरिष्ठता सूची को पुनरीक्षित करते समय तक आयोग की सहमति प्राप्त नहीं हुई इसलिए उनके नाम वरिष्ठता सूची से पृथक कर दिए गए । अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 (कृषि रक्षा) के 45 सदस्यों का नाम, लोक सेवा आयोग से अनुमोदित होने के कारण वरिष्ठता सूची में जोड़ दिया गया है । आयोग से अनुमोदित होने के कारण ही उनकी नियुक्तियां वर्ग 2 में दिनांक 2-8-83 को की गयी थी ।

कृषि रक्षा एवं कृषि सामान्य तथा भूमि संरक्षण अंगों में सेवाकाल में मृत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

88—श्री प्रदीप माथुर—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि गत 5 वर्षों में कृषि विभाग के कृषि रक्षा एवं कृषि सामान्य तथा भूमि संरक्षण अंगों में कुल कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी अकाल की काल के मुख में चले गये हैं ? ऐसे सेवारत स्वर्गवासियों का क्या प्रतिशत है ? क्या यह सही है कि कृषि रक्षा सेवा में मरने वालों का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार कृषि रक्षा सेवा वालों को विष जोखिम भत्ता देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

कृषि रक्षा एवं कृषि सामान्य तथा भूमि संरक्षण अंगों में, सेवाकाल में मृत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न है :—

	संख्या	प्रतिशत
कृषि रक्षा	41	0·98
कृषि सामान्य	251	1·17
भूमि संरक्षण	71	1·42

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

कोई औचित्य नहीं है ।

श्री इन्द्र मोहन पांडे, अवकाश प्राप्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हल्द्वानी की सेवानिवृत्ति तथा पेंशन तथा ग्रेच्युटी न मिलने का कारण

89—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्र मोहन पांडे, अवकाश प्राप्त खाद्य

क्षेत्र अधिकारी (हल्द्वानी), जिला नैनीताल किस तिथि को सेवा निवृत्त हुए थे उनको अभी तक पेंशन तथा ग्रेच्युटी न मिलने का क्या कारण है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री इन्द्र मोहन पांडे, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद से दिनांक 31-12-81 को सेवा-निवृत्त हुए थे । वर्ष 1979-80 में श्री पांडे हल्द्वानी में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर तैनात थे तो एक जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई और उनका वर्ष 1979-80 के लिए सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका गया तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी । उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री पांडे को पेंशन स्वीकृत करने के मामले में अभी अन्तिम निर्णय शेष है । निर्णयोपरान्त श्री पांडे के पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को भेजना सम्भव हो पायेगा । इसके लिए कोई सरकारी सेवक दोषी नहीं है ।

कैलिसयम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का अधिकतम उपभोक्ता विक्रय मूल्य

90--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सजीवन--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैलिसयम उर्वरक को अग्रवाल फर्टीलाइजर एजेन्सी, मंगारी बाजार, पो० बाबतपुर, जिला वाराणसी 77 रु० बोरी के हिसाब से एवं पांच फीसदी सेल्स टैक्स एवं सेल्स टैक्स पर अतिरिक्त पांच फीसदी लेकर थोक विक्रेताओं को बेच रहा है ? यदि हां, तो कैलिसयम को सरकार ने किस रेट पर बेचने का आदेश दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

कैलिशयम अमोनियम नाइट्रेड (25 प्रतिशत) उर्वरक का अधिकतम उपभोक्ता बिक्रय मूल्य 1,550 रु० एवं केन्द्रीय बिक्री-कर, बिक्री-कर पर अधिभार अतिरिक्त, अर्थात् कुल रु० 1,689.54 प्रति मै० टन या रु० 84.48 प्रति 50 किलोग्राम बोरी सरकार द्वारा निर्धारित है । निर्धारित दर से कम दर पर विक्रय करने के कारण जांच की आवश्यकता नहीं है ।

मेसर्स अग्रवाल फर्टीलाइजर एजेन्सी, मंगारी बाजार, जिला बाराणसी द्वारा यूरिया उर्वरक की बिक्री तथा विक्रय मूल्य

91 --श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सजीवन--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेन्सी मंगारी बाजार, पो० बाबतपुर, जिला बाराणसी ने यूरिया की कीमत 14-1-85 को रु० 108 बोरी एवं 23-6-84 को 2140 रु० टन एवं 2150 रु० टन के हिसाब से थोक में बिक्री किया है ? यदि हां, तो क्या यूरिया के दामों में भी अन्तर है ? यदि नहीं, तो बढ़ा कर दाम लेने के बारे में क्या सरकार इनकी उपरोक्त तारीख के कैश मेमो नं० 6423 व 6224 की जांच तथा पूरे 1984-85 के रजिस्टर व कैश मेमो की जांच करायेगी? सरकार द्वारा अधिकृत बिक्रेताओं को यूरिया किस रेट पर बेचने को कहा गया है ? यदि उसका पालन नहीं हुआ है तो क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

संदर्भित की जांच उपरान्त स्पष्ट हुआ कि मेसर्स अग्रवाल फर्टीलाइजर

एजेन्सी, मंगारी बाजार, पोस्ट बाबतपुर, जिला वाराणसी द्वारा 46 प्रतिशत नत्रजन वाली यूरिया उर्वरक की बिक्री इस उर्वरक के लिये अधिसूचित अधिकतम उपभोक्ता विक्रय मूल्य रु0 2,256.05 प्रति टन या रु0 112.80 प्रतिशत 50 कि0 ग्रा0 बोरी, कर सहित से अधिक दरों पर नहीं की गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में आलू क्रय हेतु खोले गये केन्द्र

92--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में आलू क्रय हेतु खोले गये केन्द्रों से कुल कितने आलू की खरीद की गई ? क्या यह सही है कि यह क्रय केन्द्र 8-10 दिन ही चलाये गये और इस बीच में आलू की खरीदारी किसानों से न करके व्यापारियों से की गई ? देवा क्रय केन्द्र के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को सम्बोधित शिकायती-पत्र की जांच कराई गई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

जनपद बाराबंकी में आलू क्रय हेतु खोले गये क्रय केन्द्रों से कुल 51.015 मै0 टन आलू की खरीद की गयी ।

जी नहीं ।

देवा क्रय केन्द्र के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को भेजे गये शिकायती-पत्र की जांच परगनाधिकारी, नवाबगंज के माध्यम से कराई गयी, जिसमें कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी । फिर भी भविष्य में कार्य सुचारु रूप से करने के लिए जिला प्रबन्धक पी0 सी0 एफ0 को सचेत कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में स्थित देवारा शिवपुर डिपेंसरी का निर्माण तथा डाक्टर की स्थायी नियुक्ति

93--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित देवारा शिवपुर डिपेंसरी का निर्माण कब हुआ और तब से आज तक वहां कौन-कौन से डाक्टर नियुक्त हुए और कितने-कितने दिन कार्य किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

94--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या यह सही है कि सुदूर देवारा क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोई डाक्टर दो महीने से ज्यादा वहां नहीं टिकता है जिसके कारण ग्रामीणों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विद्युत् सेल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री हरीश चन्द्र सक्सेना को उनके पैतृक विभाग वापस भेजने की मांग

95--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत वित्त सेल में एक सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति स्व आये हुए हैं जो कि वित्त एवं कार्मिक विभाग की नीति के प्रतिकूल पिछले लगभग 7 वर्षों से लगातार उसी परपर कार्यरत हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री हरीश चन्द्र सक्सेना जनहित में लगभग सात वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्होंने विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में अपनी सेवाओं को विलीन करने हेतु प्रार्थना की है, जो विचाराधीन है ।

96—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त अधिकारी पिछले 4 वर्षों से कोई भी अपने वर्तमान विभाग का कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जिस सचल इकाई के इंचार्ज हैं वह इकाई कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त इकाई के समस्त कर्मचारियों को लखनऊ वापस बुला लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियंता को उनके पैतृक विभाग में वापस भेजने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी नहीं ।

श्री सक्सेना अपने कार्य का निष्पादन निरंतर ही संतोषजनक रूप से कर रहे हैं । प्रश्नगत सचल इकाई की अलीगढ़ में आवश्यकता न रह जाने पर उसके समस्त कर्मचारियों को, श्री सक्सेना सहित, मुख्यालय, लखनऊ वापस बुला लिया गया था । कार्यहित में ही श्री सक्सेना की सेवाओं का उपयोग स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है । अतः उन्हें अभी उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सीतापुर जनपद में कार्यरत फार्मेसिस्ट तथा सीनियर फार्मेसिस्ट को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने पर विचार

97—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ के परिपत्र संख्या 4-डी/2/19603-703 दि० 14-12-82 के अनुसार सीतापुर जनपद में वर्तमान समय में कार्यरत ऐसे कौन-कौन फार्मेसिस्ट तथा सीनियर फार्मेसिस्ट हैं जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड नहीं मिला है, न मिलने का क्या कारण है, कब तक मिल जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सीतापुर जनपद के 13 फार्मेसिस्टों में से निम्नलिखित दो फार्मेसिस्टों को उनके सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है :

1—श्री अयूब अली अन्सारी ।

2—श्री डी० के० श्रीवास्तव ।

उनके सेवा अभिलेख पूर्ण होने पर उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

98—श्री किरन पाल सिंह—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

जिला अस्पताल, आगरा में लिपिक के पद पर कार्यरत श्री एच० एन० पाठक की नियुक्ति रद्द किये जाने की मांग

99—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एच० एन० पाठक को वर्ष 1979 में सी० एम० ओ०, आगरा के कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त किया गया था जबकि उक्त पद के लिए कम से कम इन्टरमीडिएट की योग्यता अनिवार्य है और श्री पाठक सिर्फ हाई स्कूल पास हैं ? यदि हां, तो इस अनियमित नियुक्ति को अभी तक रद्द न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इसे तुरन्त रद्द करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री एच0 एन0 पाठक जो जिला अस्पताल, आगरा में लिपिक के पद पर कार्यरत थे उनको नियुक्ति आशुलिपिक के पद पर 7 नवम्बर, 1979 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में हुई। श्री पाठक की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल है।

इस विषय का परीक्षण किया जा रहा है।

उप कृषि निदेशक, फैजाबाद द्वारा बाराबंकी जनपद का निरीक्षण, आने जाने में व्यय

100—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में उप कृषि निदेशक, फैजाबाद, बाराबंकी जनपद में किन-किन स्थानों पर कितने दिन रुके और क्या कार्य किये और उनके आने-जाने तथा रुकने में शासन का कितना व्यय हुआ ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1984-85 में उप कृषि निदेशक, फैजाबाद मन्डल, फैजाबाद अपने बाराबंकी जनपद में भ्रमण के दौरान केवल बाराबंकी मुख्यालय पर ही 44 दिन रुके और विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों एवं बीज भंडारों का निरीक्षण किया, कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा किया, विभिन्न बैठकों में भाग लेने के साथ-साथ स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श किये, ऋण वितरण, जायद अभियान की रूपरेखा तथा किसान मेले की व्यवस्था कराने सम्बन्धी कार्य किये। आने-जाने में राजकीय वाहन का प्रयोग किया। दैनिक भत्ता के रूप में रुपये 616·00 का क्लेम किया।

मन्डी समिति, बरेली द्वारा शेरगढ़ शाही मार्ग से रम्पूरा होकर ग्राम बेरमनगर हेतु सड़क का निर्माण

101—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले सोमवार के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 सं0 27 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मन्त्री स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि वित्त संशाधन उपलब्ध करवाकर उपरोक्त सड़क को लेपन स्तर तक पूरा करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

वित्त संसाधन उपलब्ध हो गये हैं और अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

मेसर्स सेप्टाकोस ब्रोट एंड कम्पनी लि0 तथा बारडेक्स फार्मास्युटिकल्स लि0 द्वारा निर्मित हैप्टग्लोबिन तथा डिक्सोआरेंज में पशुओं के शरीर के तत्व

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में मेसर्स सेप्टाकोस ब्रोट एंड कम्पनी लि0, बम्बई द्वारा निर्मित हैप्टाग्लोबिन, जिसमें पशुओं के कलेजे का अंश रहता है तथा बारडेक्स फार्मास्युटिकल्स लि0, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद द्वारा निर्मित डिक्सोआरेंज जिसमें स्लाटर हाउस में काटे जाने वाले पशुओं का खून रहता है, भारी मात्रा में बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लेवल पर तुरन्त हिन्दी के मोटे अक्षरों में यह लिखना अनिवार्य करेगी कि इनमें किन-किन पशुओं के शरीर के तत्व हैं ताकि साधारण जनता अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ही इनके सेवन के सम्बन्ध में निर्णय कर सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, इनकी बिक्री हो रही है जी नहीं। ड्रग एन्ड कास्मेटिक ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि विभिन्न प्रदेशों की भाषा में यह लिखना

अनिवार्य ही हो कि प्रश्नगत औषधियों में किन-किन पशुओं के शरीर के तत्व मिलाये जाते हैं।

विकृति एवं जीवाणु विज्ञान विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की खत्म स्कीमें, नई स्कीमें स्थापित करने पर विचार

103—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकृति एवं जीवाणु विज्ञान विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की जो तीन स्कीम खत्म हुई हैं उनमें काम करने वाले विभागीय कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया गया है और नये कर्मचारियों को निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने नई स्कीमें स्थापित करने की क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। प्रश्नगत स्कीमें आई0 सी0 एम0 आर0, नई दिल्ली द्वारा निश्चित अवधि तक के लिए ही स्वीकृत की गई थीं। नई स्कीम स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज के पदों में आरक्षण कोटा

104—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में सभी प्रकार के पदों में आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है ? कुल सभी प्रकार के कितने पद हैं उनमें आरक्षण के कितने-कितने पद हैं ? यदि आरक्षण नहीं पूरा हुआ है, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। के0 जी0 मेडिकल में सभी प्रकार के कुल पदों की संख्या 954 है। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के पूर्व अर्थात् 18 जुलाई, 1981 तक यह कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय के नियंत्रण में था और विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत आरक्षण के पद निर्धारित नहीं थे तथा अधिग्रहण के खिलाफ रिट दाखिल हो जाने के कारण अभी प्रचलित नियमों में संशोधन नहीं किया जा सका है।

उपर्युक्त उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में आई0 सी0 एम0 आर0 की पेरी-फेरल रजिस्ट्री आफ इंडियन पैथोलोजी की योजना की समाप्ति

105—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1225, दि0 24-9-84 को लखनऊ के0 जी0 मेडिकल कालेज में आई0 सी0 एम0 आर0 की स्कीम पेरी फेरल, स्कीम को समाप्त कर देने के बारे में उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में किन-किन बातों के लिए अनुरोध किया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। उक्त पत्र मेरे कार्यालय द्वारा सीधे निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था, परन्तु उनके यहां यह पत्र प्राप्त हुआ नहीं बताया जाता है। ऐसी स्थिति में यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि पत्र में किन-किन बातों के लिये अनुरोध किया गया था। वैसे यह सही है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में आई0 सी0 एम0 आर0 की पेरी-फेरल रजिस्ट्री आफ इंडियन पैथोलोजी की योजना पर कार्य हो रहा था जो दिनांक 30 6-1984 से समाप्त हो गया है।

जिला अस्पताल, गाजीपुर परिसर में नर्सेज होस्टल को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही

106—श्री बटुकनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1550, दि0 22-8-84, जिला अस्पताल, गाजीपुर परिसर में बने नर्सेज होस्टल को नर्सों के हवाले करने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 21-8-84 का दिनांकित था। संदर्भित पत्र में जिन बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है उनके उत्तर क्रमानुसार निम्नवत् हैं :

(1) होस्टल का उद्घाटन 10-10-1981 को किया गया था परन्तु होस्टल के सुचारु रूप से संचालन के लिए अपेक्षित साज-सज्जा एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन न होने के कारण होस्टल चालू न हो सका है। साज-सज्जा एवं पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है जैसे ही वित्त विभाग की सहमति से साज-सज्जा के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाती है तथा पदों का सृजन हो जाता है होस्टल चालू कर दिया जायेगा।

(2) स्टाफ एवं सज्जा उपलब्ध न होने के कारण पत्रकारों के समक्ष लिये गये निर्णय का अनुसरण नहीं हो पाया।

(3) साज-सज्जा के लिए धनराशि उपलब्ध कराने एवं पदों के सृजन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) बिन्दु 3 में इंगित कार्यवाही पूर्ण होने पर होस्टल नर्सेज के आवास हेतु उपलब्ध हो जायेगा।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं प्रदेश के अन्य जनपदों के कृषि रक्षा अनुभाग में रसायन कीट नाशक दवाओं की बिक्री की जांच

107—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं प्रदेश के अन्य जनपदों के कृषि रक्षा अनुभाग के द्वारा ऐसे रसायन कीटनाशक दवाओं को बेचा जा रहा है, जिनकी प्रयोग तिथि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

इस प्रकरण की जांच करवायी जायेगी।

प्रदेश में कृषि रक्षा अधिकारियों के रिक्त पद

108—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि रक्षा अधिकारियों के कुछ पद कई वर्षों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक भरा जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां ?

माननीय लोक सेवा अधिकरण के स्थगन आदेश के कारण पदों को न भरा जा सका। अब स्थगन आदेश सशर्त मुक्त हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में पदों को भरने का मामला शासन के विचाराधीन है।

आगरा मन्डी समिति की आय

109—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मंडी समिति की वर्ष 1984-85 की आमदनी क्या रही ? यदि वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1984-85 की आमदनी कम रही है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

आगरा मन्डी समिति की वित्तीय वर्ष 1984-85 में आय रु0 54,85,144.00 हुई जो गत वर्ष 1983-84 की आय से रुपये 25333.00 अधिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के पद हेतु कर्मचारियों का चयन

110—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2231/12 (9)-1982 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को अर्धशासकीय पत्र संख्या 223/12191, 1982, दिनांक 30 जून, 1982 से प्रेषित आदेश के अनुसार अब तक कितने कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के पद हेतु चयनित किया जा चुका है ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

48 कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--3 के पद पर नियुक्त किए जाने का अनुमोदन सम्बन्धित अधिकारियों को दिया जा चुका है ।

स्वास्थ्य सहायकों को चयन वेतनमान दिए जाने का विचार

111—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सहायकों को चयन वेतनमान दिए जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो कितने वर्ष की सेवा पर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो चयन वेतनमान न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के संवर्ग में समायोजित किया गया है । बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत उक्त कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का मामला विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कसमंडा, जिला सीतापुर में कार्यरत फार्मेसिस्ट श्री राधा रमण सिंह को अवशेष धनराशि का भुगतान

112—श्री राजेन्द्र गुप्त—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 4061.63 रु0 का जो भुगतान अनुमन्य पाया गया उसका भुगतान कब कर दिया गया है ? शेष धनराशि को भुगतान हेतु नियमानुकूल न पाये जाने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सम्बन्धित कर्मचारी को 1581.65 रु0 का भुगतान दिनांक 28-3-85 तक कर दिया गया है। शेष धनराशि का भुगतान किये जाने का मामला अभी विचाराधीन है।

कृषि उत्पादन मंडी समिति, समथर, जिला झांसी में मंडी के निर्माण का प्रस्ताव

113--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, समथर, जिला झांसी में मंडी स्थल के लिए जो भूमि खरीदी गई है उसे बेचकर दूसरी भूमि खरीदने की योजना है ? यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है और दूसरी भूमि इस हेतु कब तक खरीद ली जायेगी तथा मंडी का निर्माण क्या इसी वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

जी हां। इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

इसी वित्तीय वर्ष में मंडी का निर्माण भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रगति, निदेशक पद के सृजन पर विचार

114--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण आयुक्त की नियुक्ति के बाद से कार्यक्रम में प्रगति हुई ? यदि हां, तो पी0 एम0 एस0 के दबाव में निदेशक पद के सृजन पर विचार का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 20-3-85 से विशेष अभियान चलाये जाने के फलस्वरूप उपलब्धियों में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के हित में अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) के पद को निदेशक (परिवार कल्याण) के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है।

डाक्टर के0 कुमार, राज्य परिवार कल्याण अधिकारी का भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बन

115--श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाक्टर के0 कुमार, राज्य परिवार कल्याण अधिकारी का भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बन अनुमोदित हो चुका है ? यदि हां, तो आदेश जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

116-117--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

118--श्री राम आसरे वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

119--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

120-121--श्री राम आसरे वर्मा--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने कारण निरस्त]

लघु एवं सीमान्त कृषकों को मिनीकिट के वितरण में चक्रानुसार अवसर दिये जाने के निर्देश

122—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि मिनीकिटों के वितरण में चक्रानुसार सभी लघु एवं सीमान्त कृषकों को अवसर दिया जाय न कि उन्हीं कृषकों को बार-बार मिनीकिट वितरित किए जायं जिन्हें पिछले वर्ष भी मिनीकिट दिए गए ताकि सभी कृषकों को नई किस्मों एवं उन्नतशील विधियों से अधिक उत्पादन लेने की प्रेरणा मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां। जायद 84 के सम्बन्ध में कृषि निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 1983 में समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित परिपत्र में यह भी निर्देश थे कि चयनित कृषकों की सूची को क्षेत्रसमिति से अनुमोदित करा लिया जाये। जहां तक सम्भव हो रबी में चुने गये लघु एवं सीमान्त कृषकों को न चुना जाये। वर्तमान में खरीफ 85 के सम्बन्ध में प्रसारित निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि चयन समितियां इसका विशेष ध्यान रखेंगी कि विगत वर्षों में जिन कृषकों को मिनीकिट वितरित किया गया है उन्हें पुनः वितरण हेतु चयनित नहीं किया जायेगा।

हरदोई के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों का स्थानान्तरण

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई के जिला चिकित्सालय में कितने डाक्टर ऐसे हैं जो 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा से नियुक्त हैं ? उनके स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, हरदोई में दो डाक्टर्स पांच वर्ष से अधिक अवधि से नियुक्त हैं। इनके मामलों को अब देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में लिपिकों का कार्यकाल व स्थानान्तरण

124—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में कुल कितने लिपिक हैं और कौन-कौन एक ही काउन्टर पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या उन लिपिकों का स्थानान्तरण काउन्टर बदलकर तथा जिले में भेजने का प्राविधान है ? यदि हां, तो निदेशालय के लिपिकों को जिले में भेजने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में 331 लिपिक कार्यरत हैं। एक ही सीट पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 21 पर।)

निदेशालय में लिपिकों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग अथवा एक अनुभाग में एक सीट से दूसरी सीट पर स्थानान्तरित करने का प्राविधान है। किन्तु जिले में स्थानान्तरित करने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि जिला स्तर के लिपिकों का संवर्ग पृथक है।

जिला चिकित्सालय, देवरिया में मेसर्स माउन्ट मेट्रो, कानपुर द्वारा ग्लूकोज की सप्लाई तथा भुगतान

125—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, देवरिया में अधीक्षक द्वारा दवा की जनरल बुक वर्ष 1984-85 के पेज नं0 137 पर कुछ ऐसी लिखा-पढ़ी की गयी है जिससे लगता है कि अधीक्षक ने निजी लाभ के लिए विभाग को क्षति पहुंचाते हुए दवा की फर्म को भुगतान उचित मूल्य से अधिक किया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, देवरिया को मेसर्स माउन्ट मेट्रो, कानपुर द्वारा 500 बोतलें 10 प्रतिशत डेक्स्टोज ग्लूकोज की सप्लाई की गई थी। सत्यापन पर स्पष्ट हुआ कि फार्मेसिस्ट स्टोर ने उक्त दवा की 10 बोतलें टूटी दर्शायी थी जब कि वे टूटी नहीं थीं, वरन् एक पेटी में 10 बोतलें कम थीं तथा दूसरी पेटी में 10 बोतलें अधिक थीं। अतः अधीक्षक द्वारा सत्यापन के उपरान्त गलत प्रविष्टि को सही किया गया। चूंकि उक्त फर्म द्वारा बोतलों की सप्लाई में कमी नहीं थी अतः उन्हें उचित मूल्य का भुगतान कर दिया गया। किसी निजी लाभ का प्रश्न नहीं उठता है।

डी0 एम0 ओ0 जिला अस्पताल, देवरिया का स्थानान्तरण व उनके विरुद्ध जांच

126—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 में डी0 एम0 ओ0 जिला अस्पताल, देवरिया का स्थानान्तरण मैनपुरी हुआ था, जिसे मंत्री जी ने अपने हस्तक्षेप से फैजाबाद कर दिया ? क्या गोरखपुर में इनके कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इनका स्थानान्तरण गोरखपुर से किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण देवरिया जिला अस्पताल में जी0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर किया गया था परन्तु स्थान रिक्त न होने के कारण इन्हें आर0 डी0 एम0 ओ0 बनाया गया ? यदि हां, तो क्या इन्हें पुनः डी0 जी0 एम0 बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

127—श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर के भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री हीरा लाल बाजपेयी के विरुद्ध गबन के आरोप की जांच तथा प्रोन्नत किये जाने का आधार

128-129—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर के भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री हीरा लाल बाजपेयी के विरुद्ध दिनांक 17-9-1984 को नियम 301 के द्वारा स्टाक बुक गायब करके लाखों रुपयों का गबन करने का मामला उठाया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और क्या कार्यवाही हुई, सम्पूर्ण जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ल.ला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर के स्टोरकीपर श्री हीरा लाल बाजपेयी 1979 में स्टुवर्ड, 1982 में सहायक अधीक्षक और 1984 में उप अधीक्षक पद पर प्रोन्नत किये गये थे ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा क्या प्रोन्नति के समय श्री बाजपेयी की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका को दृष्टिगत रखा गया था ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि 1982 में शासन द्वारा तदर्थ नियुक्ति पर रोक थी ? यदि हां, तो नियुक्ति क्यों की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सम्पूर्ण बिन्दुओं पर संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है ।

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर में यूनानी अस्पताल खोलने पर विचार

130--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर में एक यूनानी अस्पताल खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना जिला सेक्टर के अन्तर्गत आती है । अतः जिला नियोजन समिति की संस्तुति होने पर ही विचार किया जा सकता है । वर्ष 1984 में ग्राम रसूलपुर में यूनानी चिकित्सालय खोलने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसे जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

जनपद रामपुर में कार्यरत मार्केटिंग इंस्पेक्टर एवं उनका स्थानान्तरण

131--श्री मोहम्मद आजम खां--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में कौन-कौन मार्केटिंग इंसपेक्टर ऐसे हैं जो सन् 1972 से अभी तक स्थानान्तरित नहीं किए गए हैं तथा वह कौन से एस0 एम0 आई0 हैं जो मार्केटिंग इंसपेक्टर का काम देख रहे हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार वर्ष 1972 के बाद के मार्केटिंग इंसपेक्टर को स्थानान्तरित करने के अविलम्ब आदेश देगी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद रामपुर में कोई भी ऐसा हाट निरीक्षक (मार्केटिंग इन्सपेक्टर) कार्यरत नहीं है जिसको सन् 1972 से अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया हो, जनपद में किसी ज्येष्ठ हाट निरीक्षक (एस0 एम0 आई0) से हाट निरीक्षक (एम0 आई0) का काम नहीं लिया जा रहा है, अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन द्वारा स्थानान्तरण संबंधी नीति निर्धारित की जाती है, और उसी के अनुसार स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में खाद्य भंडार एवं उनकी भंडारण क्षमता

132--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में किन-किन स्थानों पर खाद्य भंडार 1-5-1985 तक बने हुए हैं ? इनकी भन्डारण क्षमता क्रमशः कितनी है और दिनांक 1-5-1685 को इनमें क्रमशः कितना कौन-कौन सा खाद्यान्न भन्डारित था ? उपरोक्त

जनपदों में भीषण सूखे के कारण इन जनपदों में वित्तीय वर्ष 1985–86 हेतु क्रमशः कितने खाद्यान्न रबी व खरीफ की फसल की आवश्यकता होगी ? इस हेतु सरकार ने क्या–क्या कदम उठाये हैं ?

श्री वासुदेव सिंह––

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में दिनांक 1–5–1985 तक खाद्य विभाग के क्रमशः शून्य व 11 खाद्यान्न भन्डारागार खाद्य विभाग द्वारा निर्मित किए गए। इनके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में क्रमशः 23व14 खाद्यान्न भंडार किराये के भवनों में स्थापित किए गए। उन स्थानों की सूचियां संलग्न हैं जिनमें 1–5–1985 तक भन्डारित खाद्यान्नों का विवरण व अन्य सूचनायें अंकित हैं। वर्ष 1985–86 में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अल्मोड़ा जनपद में प्रतिमाह 2–2 हजार मी0 टन गेहूं व चावल और पिथौरागढ़ में 2000 मी0 टन गेहूं व 1800 मी0 टन चावल आवंटित किया जा रहा है जो इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. 134 पर)।

जनपद आजमगढ़ में कोयला डीलरों के नाम व पते

133––श्री राम जनम यादव––

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने कोयला डीलर एवं कितने लोगों को सप्लाई विभाग से कोयला लाने के लिए जनवरी, 1985 से अप्रैल, 1985 तक परमिट दिया गया है उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह––

आजमगढ़ जनपद में जिन डीलरों तथा व्यक्तियों के पक्ष में जिलाधिकारी की संस्तुति पर जनवरी, 1985 से अप्रैल, 1985 के मध्य सप्लाई विभाग द्वारा कोयला स्पान्सर किया गया है उनके नाम व पते की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 126 पर)।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के वर्तमान मानदेय को बढ़ाने पर विचार

134––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अनवरत बढ़ती हुई महंगाई और मूल्य सूचकांक में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए प्रदेश में सेवारत जन–स्वास्थ्य रक्षकों के वर्तमान मानदेय 50 रु0 प्रतिमास को बढ़ाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

जी नहीं। शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना होने के कारण भारत सरकार ही मानदेय में वृद्धि कर सकती है।

जनपद गोरखपुर में महिला चिकित्सालय, सिसवा बाजार के उच्चीकरण पर विचार

135––श्री शिवेन्द्र सिंह––

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में जिला मुख्यालय के उत्तरी तराई में केवल एक मात्र महिला चिकित्सालय सिसवा बाजार में कार्यरत है जहां हजारों महिलायें नित्य दवा के लिए आती हैं ? यदि हां, तो इस चिकित्सालय पर समुचित चिकित्सा हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या उक्त चिकित्सालय का उच्चीकरण सरकार करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

गोरखपुर जनपद की उत्तरी तराई में सिसवा बाजार, नौतनवा तथा फरेन्दा में अलग-अलग महिला चिकित्सालय हैं। सिसवा बाजार महिला चिकित्सालय में दवाओं की समुचित व्यवस्था है। उक्त चिकित्सालय से एक प्रसवोत्तर केन्द्र भी सम्बद्ध है। वर्तमान में इस चिकित्सालय के उच्चीकरण के प्रश्न पर शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

136--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1982 में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के अनुसार 46 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो 46 अंक से अधिक प्राप्तांक वाले डाक्टर पारसनाथ सिंह एवं डाक्टर राजीव कुमार का चयन न करने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी सही है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्राप्तांक 46 अंक से ज्यादा था और उनका चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या समस्त आवेदन-पत्रों की जांच शासन द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। सामान्य वर्ग में 46 अंक प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य वर्ग में 46 से 49 अंक तक प्राप्त करने वाले कुल 61 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी किन्तु इस सूची में से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक पेटेन्ट औषधियों का वितरण

137--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की करेंगे कि होम्योपैथिक पेटेन्ट औषधियों का वितरण सिद्धान्ततः उचित है ? यदि नहीं, तो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में पेटेन्ट औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

138--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

139-140--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

141--श्री राम आसरे वर्मा--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

142--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

143-144--श्री राम आसरे वर्मा--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

145-146--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

147-153--श्री राम आसरे वर्मा--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

154-157--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) की मांगें तथा कृत कार्यवाही

158--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) उत्तर प्रदेश, जिला शाखा सीतापुर द्वारा पारित कोई प्रस्ताव 3-5-1985 को अथवा उसके आस-पास मिला, जिसमें कि संघ की मांगों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव का संक्षेप क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

उक्त प्रस्ताव में हड़ताल की धमकी देते हुये कहा गया कि श्री केशव दत्त उपाध्याय, महामंत्री द्वारा प्रेषित संघ की 21 सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन किया जाये ।

दिनांक 10 मई, 1985 को संघ के प्रतिनिधियों के साथ शासन स्तर पर उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया गया जिसके उपरान्त निदेशक को आदेश दिये गये कि संघ की मांगों पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जाय । संघ के प्रतिनिधि इस वार्ता से सन्तुष्ट थे और उन्होंने हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया ।

सीतापुर नगर में मच्छरों का प्रकोप

159--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि सीतापुर नगर में मच्छरों का भीषण प्रकोप होने तथा उसके कारण मलेरिया फैलने के बावजूद रोकथाम के लिए सीतापुर नगर में शहरी मलेरिया यूनिट न स्थापित करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सीतापुर के शहरी क्षेत्र में मलेरिया का कोई प्रकोप नहीं है । शहरी मलेरिया इकाई की स्थापना हेतु भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, जो रोग की विषमता आदि का ध्यान रखकर प्रदान की जाती है । अभी सीतापुर में कथित इकाई, वहां पर मलेरिया के प्रकोप की स्थिति को देखते हुए, खोलना सम्भावित नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । नियमों के अनुसार 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न और तीसरा अतारांकित प्रश्न । माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों पर बहस हो जायेगी । तारांकित प्रश्नों पर बहस हो जायेगी । इसलिये उनके उत्तर कुछ-कुछ ठीक आते हैं । लेकिन अतारांकित प्रश्नों की पत्रावलियों को मंत्री ठीक से नहीं देखते हैं और अधिकारी भी जानते हैं कि अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा नहीं होती है, इसलिये ऊल-जलूल, अप्रासंगिक और असंगत उत्तर दिये जाते हैं । जैसे मेरे आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 को देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी यदि अतारांकित प्रश्नों की यही स्थिति रहेगी तो सैकड़ों प्रश्न जो रोज होते ह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह सब बेकार हो जायेंगे। इसलिये निवेदन करूंगा कि अतारांकित प्रश्नों पर उत्तर न भी देने हों तो भी ऐसे आदेश दें कि अधिकारी उनके उत्तर सही दें जिससे प्रशासन चुस्त बनेगा।

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न सं0 110 में पूछा था कि "क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि शासनादेश सं0 2231/12(9)/1982 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को अर्द्ध-शासकीय पत्र सं0 223/12(9)-1982 दिनांक 30 जून, 1982 से प्रेषित आदेश के अनुसार अब तक कितने कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के पद हेतु चयनित किया जा चुका है।" मान्यवर, 800 कर्मचारी सिंचाई विभाग में छटनी कर दिये गये थे उनको लेने की बात थी। जो शासन ने उत्तर दिया है उसको देखें-48 कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन सम्बन्धित अधिकारियों को दिया जा चुका है। मैंने पूछा था कि कितने चयनित किये गये क्योंकि 800 लोग तीन वर्षों से बेकार घूम रहे हैं, इसलिये ग्रुप-3 में समायोजित करने की बात थी। मेरी जानकारी है कि 28 आदमी समायोजित किये गये और बाकी सब बेरोजगार हैं, इसलिये मैंने चिन्ता व्यक्त किया था। अब इसमें व्यवस्था दें कि इस तरह के अतारांकित प्रश्नों के उत्तर आयेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये उनमें पहली बात यह है कि अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में भले ही पूरक उत्तर न आते हों लेकिन सामान्य व्यवस्था वही है जो तारांकित प्रश्नों के बारे में है। माननीय विद्वान सदस्य जानते हैं कि अतारांकित प्रश्न तारांकित प्रश्नों के स्वरूप लग सकते हैं। आप देखें फलां अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में तारांकित प्रश्न भी हुये हैं और अतारांकित भी हो सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि तारांकित प्रश्न वह कर सकते हैं। अतारांकित प्रश्न के उत्तर के अधूरेपन के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। जहां तक ध्यान रखने की बात है तो अवश्य सावधानी बरती जायेगी कि सभी विभाग अतारांकित प्रश्नों का सावधानी से उत्तर दें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं भी अपने अतारांकित प्रश्न सं0 40 में व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं हमारे पास सदन और आपका माध्यम सरकारी अधिकारियों या करप्शन को पकड़ने का और कोई इससे ज्यादा अच्छा माध्यम नहीं है। लिहाजा जब हम यहां प्रश्न करें तो उनके उत्तर तभी दिये जांय जबकि पूरी जानकारी मिल जाये अन्यथा प्रश्न बढ़ा दिया जाये। लेकिन जब गलत जानकारी मिलेगी तो हम गुमराह किये जायेंगे और सम्बन्धित विभाग की हिम्मत बढ़ेगी, आज एक गल्ती और कल ज्यादा वह गल्ती करेंगे। मेरे 40 वें प्रश्न पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसे आप देखें। एक रकम थी 35,500'00 का गेहूं खरीदा गया था, इसकी अदायगी नहीं की गई। इसकी अदायगी न करने का कारण नहीं बताया गया। जब मैंने प्रश्न किया तो उसके 34,128 रुपये अदा कर दिए गये, लेकिन 1416 रुपये का बिल रोक दिया गया। इसका जवाब नहीं आया कि किस चीज के तहत इतनी बड़ी रकम की अदायगी नहीं की गई थी। अब भी 1416 रुपया अदा नहीं किया गया। तो यह कौन सी वजह थी, जिसकी वजह से यह रकम रोक दी गई। इसके बारे में व्यापारी जानता है और विभाग जानता है। जब देखा कि सदन चलेगा और इस बारे में जवाब देना ही पड़ेगा तो उसके एक हिस्से का पेमेन्ट कर दिया गया और क्रय कर के रूप में उसका 1416 रुपया काट लिया गया, यह लिखकर कि क्रय कर के रूप में काटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई धनराशि 1416.00 रु0 के रूप कर अदा करने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित फर्म ने दिनांक 5-7-1985 को प्रस्तुत किया है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। मेरा खुला इल्जाम है कि यह टुकड़ा इसमें जोड़ा गया है यह बिलकुल गलत है। 5-7-1985 वाली बात फिट कर दी गई है, मेरे सवाल के जवाब के लिए। तो इस प्रकार रकमों को रोका जाना, व्यापारियों का हूमिलेशन करना और सवाल का गलत जवाब देने की परिपाटी जो बन चुकी है यह बिलकुल गलत बात है, इसको रोका जाना चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मुख्य मंत्री जी ने कहा है अतारांकित प्रश्न होंगे तो उन पर तारांकित प्रश्न हो सकते हैं, उसमें उत्तर आ जाएगा।

*श्री किरनपाल सिंह—

अभी कुछ समय पहले प्रश्न संख्या तारांकित 17 के बारे में जब मैं पूछ रहा था, उसके मध्य कुछ आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। इसमें स्पष्ट पूछा गया था, तो उसमें आपने भी यही कहा कि इस प्रश्न के बारे में आप मंत्री जी के कार्यालय में जाकर जानकारी कर लें। तो मैं उससे यह समझता हूं कि आपने यह विरोध पक्ष के विधायकों की गरिमा के विरुद्ध इस तरह की बात कही है। क्योंकि इस सरकार के अधिकतर मंत्रियों के कार्यालय में यह देखा गया है कि दलालों का डेरा है, वह वहां मंडराते रहते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न है। विरोध पक्ष की गरिमा के विरुद्ध आपने यह बात कही है। आर0 एफ0 सी0 पर गम्भीर आरोप थे, वहां हड़ताल हुई थी और उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई थी, उसके बारे में मालूम करना था कि कार्यवाही हुई या नहीं, किन्तु उसके बारे में आपने कहा कि मंत्री जी के दफ्तर में जाकर मालूम कर लें। तो जो आपने कहा वह सदन की गरिमा के अनुकूल था या नहीं, यह आप बताए?

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक माननीय सदस्यों—चाहे विरोध पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के, मंत्री के कमरे में जाने को मैं सदन की गरिमा का हनन नहीं मानता हूं। वे प्रायः जाते भी हैं, अपनी जनता की समस्याओं को लेकर वह जाते भी रहते हैं। मैं इसमें किसी माननीय सदस्य की गरिमा का हनन नहीं मानता हूं। जब वह लिस्ट पढ़ रहे थे, तो वह बड़ी थी, उसके पढ़ने से सदन का समय नष्ट होता, इसलिए मैंने कहा आपसे उनके कमरे में चले जाने को। चले जाते तो लिस्ट ले लेते और जानकारी पूरी हो जाती। यह भी कहा था कि आप नियम 49 में भी इसको ले आवें। वह समाप्त हो जावेगा।

सदन के उपवेशन की संख्या तथा प्रत्येक उपवेशन का समय बढ़ाये जाने की मांग

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आप सदन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत अपनी अनुज्ञा से चलाते हैं। अल्पसूचित तारांकित, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का अपना क्रम है। आपने कह दिया है कि प्रति दिन 2 अल्पसूचित, 20 तारांकित और 200 अतारांकित प्रश्न आएंगे। इस सदन का यह पांचवां दिन है आज आपने तारांकित प्रश्नों को समाप्त कर रखा है।

श्रीमन्, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से जनता की बात को सदन के सामने रखकर अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। लेकिन श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने देखा कि किसी भी दिन हो आज को छोड़कर, आज 11 प्रश्नों को स्थगित कर दिया गया क्योंकि सम्बन्धित मंत्री जो बाहर चले गये हैं, नहीं तो जो तारांकित प्रश्न हैं उन पर भी कोई चर्चा नहीं होती है । अभी माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के बारे में कह रहे थे, मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में कहना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्नों की बात कौन कहे जो तारांकित प्रश्न हैं समय के अभाव के कारण उन पर भी चर्चा नहीं हो पाती है जिससे तारांकित प्रश्नों की स्थिति अतारांकित प्रश्नों की होती जा रही है । इसका कारण समय का अभाव है । क्या यह सम्भव नहीं है कि हम यहां पर अपनी बात, जनता की आवाज को उठा सकें और अपने कर्तव्य का पालन कर सकें ? इसलिए जो सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक है उसको आप बढ़ा दें । आप पूरे साल में सदन की बैठक निश्चित 90 दिन करें या आवश्यकता हो तो बढ़ाकर 200 दिन करें ताकि सारे माननीय सदस्यों को जनता की बात को सदन में उठाने का मौका मिल सके और सत्ता पक्ष को पता चल सके कि जनता की समस्यायें क्या हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमने यह देखा है कि हम प्रश्न अल्प-सूचित या तारांकित देते हैं लेकिन हमको उत्तर मिलता है कि आपका प्रश्न अतारांकित कर दिया गया है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जवाब भी नहीं आता है कि हमारा प्रश्न स्वीकार हुआ या नहीं । इस प्रकार से हम महसूस करते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं और जनता के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उन कर्तव्यों का पालन हम यहां पर नहीं कर पाते हैं । अतः मैं मांग करता हूं कि जो हमारे अधिकार हैं उनकी आप रक्षा करें और ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिस गरिमा, जिस गति से, जिस भावना से माननीय सदस्य आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक मौका मिल सके और सदन के लोग सारी बातों से अवगत हो सकें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, बहुत सी बातें उधर से कही गयी हैं । मेरा सुझाव है कि एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को सदन का समय बढ़ा दिया जाय और उसका नाम "फ्री-फार आल" कर दिया जाय जिसमें माननीय सदस्य औचित्य के प्रश्नों के बारे में या अन्य प्रश्नों के बारे में अपनी बात उठा सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अगर आप कोई प्रस्तुत करेंगे तो जो नियम समिति हमारी यहां पर है उसमें उस पर विचार कर लिया जायगा । जहां तक कौन प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष जी करते हैं ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है । जैसा कि अभी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा था, दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा अतारांकित प्रश्न 16 था । उसमें मैंने मांग की थी कि क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार उप महानिरीक्षक, कानपुर क्षेत्र, श्री उदित सिंह ने 1984 में खीरी लखीमपुर जिला जेल के तत्कालीन जेलर, श्री हरिनाम चन्द सिन्हा को किसी बन्दी को रिहा कर देनेसम्बन्धी आरोप में उक्त जेलर को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निलम्बित करने की संस्तुति शासन को की थी। तो इसका जवाब आया है कि शासन को संस्तुति नहीं की थी बल्कि कारागार महानिरीक्षक को की थी। दूसरे खंड के उत्तर में यह कहा गया है कि यह उपयुक्त नहीं पाया गया इसलिये निलम्बित नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी सवाल हम पूछ नहीं सकते हैं। डी० आई० जी० ने संस्तुति की कि निलम्बित किया जाय क्योंकि गम्भीर जुर्म किया है लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों नहीं निलम्बित किया जा रहा है। निलम्बन की सजा अगर ज्यादा थी तो क्या उनको दूसरी सजा दी गयी। तो मेरा कहना है कि आप हमारे संरक्षक हैं। हमारे अतारांकित प्रश्नों का जवाब ऐसा दें ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें। ऐसा उत्तर न दें जिससे हम किसी निर्णय पर न पहुंच सकें। मान्यवर, इस पर निर्णय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन इसका अश्वासन दे चुके हैं।

हैदरगढ़, बाराबंकी मार्ग पर बसों की कमी से यात्रियों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 18 जुलाई, 1985 के उपवेशन हेतु नियम 301 अन्तर्गत 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से मैंने परम्परा से हट कर 12 सूचनाएं सदन के संज्ञान में लाने हेतु स्वीकार की हैं, शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

(व्यवधान)

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मुझे पहले सुन लें, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, ये पहली बार खड़े हुए हैं और ये अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कल से ये मुझसे मिल रहे हैं, मैंने इनसे कहा था कि व्यवस्था के रूप में आप अपनी बात कह दीजिएगा। मान्यवर, इनकी बात आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, आप थोड़ा इन्तजार कर लें, आपको पूरा मौका मिलेगा।

मैंने जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री राम सागर।
(2) श्रीमती प्रेमवती तिवारी।
(3) श्री फरीद महफूज किदवई।
(4) श्री विक्रमादित्य पान्डेय।
(5) श्री मित्रसेन।
(6) डाक्टर दिनेश जौहरी।
(7) श्री सत्यपाल सिंह।
(8) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी।
(9) श्री बदन सिंह।
(16) श्री विष्णु देव।
(11) श्री अवधेश प्रसाद।
(12) श्री सुखपाल पान्डे।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है ...

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, कानपुर में एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, जितनी सूचनाएं आती हैं, सबको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

अगले दिन मान्यवर, ले लीजियेगा ।

(व्यवधान)

*श्री राम सागर--

मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ बाराबंकी वाया कोठी हैदरगढ़ बाराबंकी वाया सिद्धौर मार्गों पर परिवहन की बसें पर्याप्त मात्रा में न चलने के कारण तहसील हैदरगढ़ की सम्पूर्ण जनता के सामने परिवहन की समस्या उठ खड़ी हुई है । इन मार्गों पर 1977 से 1980 तक प्रति घंटा के हिसाब से परिवहन की बसें चल रही थीं, जिन्हें पुलिस एवं सरकार की साजिश से हटा कर और पैसे लेकर प्राइवेट बसों के चलने की अनुमति दे दी गयी । पैसे वसूली के कारण पुलिस प्राइवेट बसें तथा जो भी एक-दो बसें परिवहन की चलती हैं, उनके भी आये दिन लूट-खसोट का संघर्ष बना रहता है । पुलिस जब भी चाहती है प्राइवेट बस चलने देती है और जब भी चाहती है बसों को रोक कर जनता के सामने समस्या खड़ी कर देती है ।

मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाते हुए उपरोक्त दोनों मार्गों पर परिवहन विभाग की पर्याप्त बसों को चलाकर तहसील की सम्पूर्ण जनता के सामने परिवहन की समस्या का निदान किये जाने की मांग करता हूं । यदि सरकार परिवहन की बसें नहीं लगा सकती है, तो अवैध रूप से इन सड़कों पर चल रही प्राइवेट बसों को सरकारी परिवहन के नियमों के अन्तर्गत चलाये जाने की अनुमति दिये जाने की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ शहर में व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । बरसात का मौसम आरम्भ हो चुका है । मुख्य सड़कों को छोड़कर शहर की तमाम बस्तियों में कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है जो सड़कर वहां रहने वाले निवासियों के लिए भीषण बीमारियों का कारण बना हुआ है । यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो तरह-तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा है ।

पूरे लखनऊ शहर में कहीं चले जायं गलियां अंधकार में डूबी हुयी हैं । बिजली के खम्भे केवल देखने को ही हैं उनमें राड तथा बल्ब खराब पड़े हुए हैं । उदाहरण के लिए आलमबाग, पुराना किला, हुसेनगंज में ढेर लगे हैं तथा भोलखेड़ा सुभाषनगर आलमबाग में सड़क पर जल भराव हुआ तथा नगरमहापालिका जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । सुन्दर बाग संस्कृत पाठशाला के पीछे की गली में सीवर के चोक हो जाने से जनता का चलना दूभर हो गया है । यदि इस ओर शीघ्र कदम न उठाया गया तो मलेरिया तथा दूसरी तरह की बीमारियां फैलने की संभावना है ।

अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर सरकार तत्काल ध्यान दे और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

एलोपैथिक चिकित्सालय, दारुलशफा की दवाओं के ठेकेदार की बकाया धनराशि के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फरीद महफूज किदवई--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय विधायकों की दवाओं की सुविधा हेतु एलोपैथिक चिकित्सालय दारुलशफा बी-ब्लाक में स्थित है। ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 का क्रमशः 14 लाख रुपया तथा 6 लाख रुपया ठेकेदार का बकाया है। इसलिए ठेकेदार ने उक्त चिकित्सालय को दवायें भेजना बन्द कर दिया है। जिसके कारण माननीय विधायकों को दवायें नहीं मिल रही हैं। यह माननीय विधायकों तथा उनके परिवार से सम्बन्धित है और बहुत ही गम्भीर है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि शासन उक्त ठेकेदार का अविलम्ब भुगतान करायें ताकि माननीय विधायक व उनके परिवार इस कठिनाई से बच सकें।

ग्राम रुस्तमपुर, जिला बलिया में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा कमजोर भवन बनाये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पांडेय--

महोदय, मैं जनपद बलिया के अपनी विधान सभा क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के ऐसे मामले को प्रस्तुत कर रहा हूं जहां हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा 10 हरिजन आवास का निर्माण हो रहा था, 16 मई, 1985 को कालिफ खोलते ही छत गिर गयी और मजदूर घायल हुये। एक दिन बाद आंधी से दीवाल गिर गयी। इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की गयी और जांचोपरान्त अब तक सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। हरिजन, जिनके लिए भवन बन रहा था और जांच में जिसने सही बात जांचकर्ता को बतायी उनको उक्त निगम के अधिकारी एवं वे लोग, जो ठेके पर इस कार्य को कर रहे थे, आतंकित कर रहे हैं।

इसी भ्रष्ट निगम को कई अस्पताल का निर्माण कार्य दिया जा रहा है जिससे पूरे जनपद की जनता में भय, रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। मैं शासन से मांग करता हूं कि तत्काल इसकी जांच करावे एवं दोषी व्यक्ति को सजा दें तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड को कोई निर्माण कार्य न दें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस निश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

फैजाबाद नगरपालिका के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा शासन का ध्यान फैजाबाद नगरपालिका के जलकल प्रतिष्ठान में विगत 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर दिलाने की अनुमति चाहता हूं। जो नगर की जनता की जल संभरण और जलापूर्ति व्यवस्था को बनाये रखने की आवश्यक सेवा में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी, फैजाबाद ने समय-समय पर पद सृजन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त विषय उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्र संख्या 5–701–श/281–पद0 सृजन/ज0 क0/81, दिनांक 24 सितम्बर, 1984, पत्रांक 5/3549/281–पद सृजन/ज0 क0/81, दिनांक 4 फरवरी, 1985 एवं पत्रांक 5/595/281–पद सृजन/ज0 क0/81, दिनांक 11 जून, 1985 के माध्यम से बराबर शासन से अनुरोध करने के बावजूद भी शासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। परिणामस्वरूप फैजाबाद नगरपालिका की जलकल प्रतिष्ठान के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे सैकड़ों कर्मचारी अपनी सेवाओं की नियमितीकरण की गम्भीर समस्या को लेकर आन्दोलित हो उठे हैं और गहरे असन्तोष के कारण एक सप्ताह से क्रमिक अनशन चला रहे हैं। किसी समय नगर की जल संभरण एवं जलापूर्ति की व्यवस्था भंग हो सकती है और जनजीवन संकटग्रस्त एवं अस्तव्यस्त हो सकता है। कर्मचारियों की मौलिक समस्या का निराकरण न किया जाना सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता का द्योतक है।

हम आप और शासन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित कर जलापूर्ति व्यवस्था की आवश्यक सेवा में लगे आन्दोलित कर्मचारियों की समस्या का तत्काल निराकरण, नियमितीकरण, आन्दोलन समाप्त करने तथा जन–जीवन को सामान्य वातावरण बनाने की मांग करते हैं।

महापालिका के गठन से पूर्व चुंगी कर न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आज सदन एवं शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

बरेली एवं प्रदेश की अन्य महापालिकाएं 5 से 15 गुना तक चुंगी कर बढ़ाने जा रही हैं। इससे उपभोक्ता और व्यापारी दोनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और हर वस्तु के दाम बढ़ेंगे। महापालिका के चुने हुए प्रतिनिधि ही इसे बढ़ाने का अधिकार रखते हैं। सरकार भी इसे न बढ़ाने का आश्वासन दे चुकी है। इसके विरोध में दिनांक 17–7–1985 को बरेली में उद्योग व्यापार मण्डल के आवाहन पर अभूतपूर्व बन्द रहा और अन्य नगरों में भी हड़ताल रही।

जनहित में मांग करता हूं कि नगरपालिका के गठन के पहले चुंगी कर न बढ़ाया जावे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षा खुलवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह––

मान्यवर, जिला शाहजहांपुर के मुमुक्ष आश्रम डिग्री कालेज में बी० काम0 की कक्षायें खुलवाने की मांग को लेकर छात्र आन्दोलित हो गये हैं। 12 जुलाई को नगर शाहजहांपुर को पूर्णतया बन्द रखा गया। छात्र प्रति दिन जुलूस निकाल कर बी0 काम0 खुलवाने की मांग पर जोर दे रहे हैं। 13–7–85 से छात्र कचेहरी में अनशन पर बैठे हुए हैं। अदालतों का काम भी ठप हो रहा है। बी0 काम0 की मांग को लेकर सभी छात्र, अभिभावक, राजनैतिक दल, संगठन, सरकार पर बी0 काम0 कक्षा खोलने का दबाव डाल रहे हैं। ढाई लाख रुपया भी इस कार्य हेतु इकट्ठा कर लिया गया है। परन्तु सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। कोई भी छात्र बाहर बी0 काम0 में प्रवेश नहीं ले रहा है। इन्टर में कामर्स जिले के कई कालेजों में है। छात्र 20 तारीख से आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तुरन्त बी0 काम0 कक्षा शाहजहांपुर में खोलने की सरकार से मांग करता हूं ।

जनपद फैजाबाद के थाना गोसाईगंज क्षेत्र में पुलिस की सांठ-गांठ से व्यापक भ्रष्टाचार की खुफिया जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, विगत कई वर्षों से जनपद फैजाबाद के थाना गोसाईगंज क्षेत्र राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों और स्थानीय पुलिस में सांठ-गाठ के परिणामस्वरूप अपराधों में बाढ़ सी आ गई है । किसी की सम्पत्ति और आवास पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से हिंसा और आतंक के सहारे अनधिकृत कब्जा कर लेना, किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके किसी की सम्पत्ति का बैनामा करा लेना और बाद में पुलिस की मदद से पीड़ित व्यक्ति का मुंह बन्द कर देना आम बात हो गई है । ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही न होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और दिनांक 14/15 जुलाई, 1985 की रात में कस्बा गोसाईगंज के पास स्थित विद्युत् उपकेन्द्र से बीसों लाख रुपये से अधिक मूल्य का 11 ट्रान्सफार्मर तथा केबिल चोरी चला गया है । जनता में आम चर्चा है कि यह तथाकथित चोरी भी स्थानीय पुलिस अपराधियों तथा हाईडिल विभाग के षडयन्त्र का परिणाम है । इस घटना से समूचा क्षेत्र आतंकित है और लोगों में असुरक्षा की भावना फैल गई है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से समूचे प्रकरण की उच्च स्तरीय खुफिया जांच की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में चालू समन्वित बाल विकास परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बचन सिंह--

मान्यवर, जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में चालू समन्वित बाल विकास परियोजना गत कुछ दिनों से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है । वहां आंगनबाड़ी केन्द्र प्रायः ग्रामों के सार्वजनिक स्थानों पर चलाये जाने पर भी केन्द्रों का झूठा किराया सरकार से प्राप्त करना, कुछ केन्द्रों पर आंगनबाड़ी न होने की दशा में उनका वेतन निकालना, जीप व ट्राली का निजी कार्यों में दुरुपयोग करना, पूरी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री न खरीदने पर ही पूरा पैसा प्राप्त करना, उनका अधिकांश बाजारों में बिक जाना और आंगनबाड़ियों की नियुक्ति में भारी धांधलेबाजी होना आम बात है पर जो कुछ भी सामान बालकों व गर्भवती महिलाओं के बीच बांटा जाता है वह इतना घटिया किस्म और बेमौसम का है कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है । हजारों बालक बुखार, खांसी और खूनी दस्तों से पीड़ित हैं । गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर गए हैं जिससे क्षेत्र में भारी क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है ।

उक्त केन्द्र के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के समाप्त करने तथा परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं । यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है उसे शासन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मधुबन, आजमगढ़ में थानाध्यक्ष, श्री तौफीर हसन के बर्बरता-पूर्ण रवैये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव--

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में श्री उदय प्रताप मल, निवासी ग्राम जजौली, थाना मधुबन के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ दिनांक 26-5-85 को देवरिया जनपद के ग्राम भलुवनी से गिरफ्तार किया और थाने में बन्द करके इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई की यातना दी कि उसने पुलिस हथकड़ियों में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय जनता के आन्दोलन से अपराधी थानाध्यक्ष आदि के विरुद्ध दफा 304/161 का मुकदमा कायम हुआ और वे सभी मुअत्तल किये गये परन्तु जनता में भय एवं आतंक पैदा करने के लिए अपराधी थानाध्यक्ष को वहीं रोक रखा गया है और उसके इन कुकृत्यों में सहयोग के लिए कुख्यात थानेदार तौकीर हसन को वहां थानाध्यक्ष बनाकर नियुक्त किया गया है जो कि अपने को एक मंत्री व एक विधायक का सम्बन्धी बताकर जनता में धौंस जमा रहा है। उसने क्षेत्र के कुख्यात अपराधी तत्वों से सांठ-गांठ कर ली है और उनके बल पर अपराधी थानाध्यक्ष, श्री ध्रुव सिंह आदि के विरुद्ध गवाही देने वाले व उनके सहयोगियों को अनेकों प्रकार से परेशान करना, मारपीट व फर्जी मुकदमों में गिरफ्तारी आदि शुरू कर दिया है।

मान्यवर, थानाध्यक्ष मधुवन, श्री तौकीर हसन के अत्याचार से जनपद में भय एवं आतंक की दहशत पैदा हो गई है।

अस्तु माननीय सदन से अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि हत्या के अपराधी थानाध्यक्ष के सहयोगी वर्तमान अत्याचारी थानाध्यक्ष श्री तौकीर हसन को अविलम्ब निलम्बित करके उन्हें दंडित करावें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोहावल, फैजाबाद के अभ्युदय पेपर मिल लि० से निकले हुए गन्दे एवं जहरीले पानी की रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद में अभ्युदय पेपर मिल लि०, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल के मुमताज नगर गांव के निकट है जिसमें कोई इफ्लेन्ट प्लांट न होने के कारण मिल का गन्दा पानी निकलकर पास के तालाब में काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया है जो कि काफी जहरीला हो गया है, उसमें काफी गन्दगी है बहुत जोरों से गैस बन रही है। तालाब के जहरीले पानी से तालाब की सारी मछलियां मर गईं। तालाब के किनारे के समस्त पेड़ पौधे सूख गये। तमाम जानवर बीमार हो गये। पास-पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची है। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह बसने की योजना बना रहे हैं क्योंकि गांव वालों की तरफ से इस सम्बन्ध में काफी लिखा-पढ़ी हो चुकी है। कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस गन्दे एवं जहरीले पानी की रोकथाम की जाय।

गन्ना सहकारी समिति, बभनान, जिला बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डे—

महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान गन्ना सहकारी समिति बभनान, जिला बस्ती के निम्नांकित भ्रष्टाचार, अनियमिततायें गबन एवं सरकारी धन की लाखों रुपये की लूट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सी0 डी0 आई0 एम0 10 वर्षों से बभनान में कार्यरत हैं तथा भ्रष्टाचार की शिकायत शासन एवं विभाग में होने के बावजूद भी उनका गत वर्ष स्थानान्तरण रुकवा लिया। यही नहीं, तमाम आरोप प्रमाणित हुए, अब तक कोई कार्यवाही नही की गई। खाद गोदाम का टेंडर ऊंचे रेट को देकर सन् 1980 से अब तक गोदाम नहीं बना, 500 बोरी सीमेन्ट बेच कर उसके स्थान पर सीमेंट बनियों से लेकर गोदाम में रखी गई। गन्ना सहकारी समिति के खजांची को खजाने का चार्ज दो वर्षों से नहीं दिया गया। सी0 डी0 आई0 एम0 द्वारा मनमाने ढंग से सीजन लिपिक से खजांची का कार्य लिया गया। खाद गोदाम में लाखों रुपये के प्रत्यक्ष रूप से गबन प्रकाश में आया है। मामले को जिला गन्ना अधिकारी तथा सी0डी0आई0 एम0 रफा-दफा करना चाहते हैं।

अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि जिला गन्ना निरीक्षक तथा जिला गन्ना अधिकारी को निलम्बित कर मुकदमा कायम कराकर तत्काल कार्यवाही करके किसानों को राहत तथा रक्षा करायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेशनल हेराल्ड कर्मचारियों द्वारा आत्म हत्या की धमकी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यानाकर्षण

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कल जब नेशनल हेराल्ड का सवाल उठा था, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि यह प्राइवेट सेक्टर का मामला है। इन्होंने झूठ बोलकर सदन को भ्रमित किया और गुमराह किया, माननीय श्रम मंत्री सैयद सईदुल हसन साहब ने भी गुमराह किया। वहां 15 अगस्त को कर्मचारी आत्महत्या करने वाले हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कह कर कि प्राइवेट सेक्टर का मामला है, टाल दिया। इसमें 400 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यह सदन का एक हिस्सा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इस पर स्पष्टीकरण दे दें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय यदुनाथ सिंह जी कार्यवाही देखकर आए होते तो अच्छा होता। मैंने यह बात नहीं कही थी अध्यक्ष जी ने कही थी कि प्राइवेट सेक्टर का मामला है। वैसे जो आप कहेंगे, शिरोधार्य करना होगा, अगर आप कहेंगे तो स्पष्टीकरण दे देंगे। आपके अधिकार में है। कहेंगे तो स्पष्टीकरण दे देंगे।

अभ्युदय पेपर मिल, फैजाबाद में एफ्लूएन्ट प्लान्ट न लगे होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 300 के अन्तर्गत मुझे माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, श्री माता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रसाद पाण्डे, श्री सत्यपाल सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री सरदार सिंह के औचित्य के प्रश्न प्राप्त हुए हैं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैंने भी औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका भी है। आज के इन नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्नों में से कोई भी मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, आप सुन लें। मैं इसी सदन में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं। मैं किसी प्रेस या अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। इसी सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप चाहें तो इस पर क्रम से दो-दो मिनट बोल लें।

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रायः यह सदन में देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से नीति विषयक मामलों में भी जो कि बहुत आवश्यक हुआ करते हैं उसमें प्रश्न के उत्तर में दे देते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मैंने उद्योग मन्त्री से यह जानना चाहा था कि क्या फैजाबाद जनपद में स्थित अभ्युदय पेपर मिल में एफ्लूएन्ट प्लांट लगा हुआ है? क्योंकि पेपर मिल लगाने के लिये एफ्लूएन्ट प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपने इसे नियम 301 में भी दे दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मेरा आशय यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी सरकार की तरफ से यही उत्तर होता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। जब मान्यवर, एक नियम है कि पेपर मिल का लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा, जब तक उसमें एफ्लुएन्ट प्लान्ट न लगा हो।

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वह जो प्लांट है, उसमें माननीय राजीव जी के साथ रह चुके पायलेट श्री शर्मा जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में वहां पर तमाम गन्दगी फैल गयी है और वहां के आस-पास के लोग उजर करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

यह विषय सदन को संज्ञान में आ चुका है। आप इसे नियम 301 के अन्तर्गत दे चुके हैं। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं।

बस्ती जनपद में हैंड पाइपों को लगाने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैं जो विषय रख रहा हूं, उस पर मैंने नियम 301 के अन्तर्गत भी सूचना दी थी। मान्यवर, यह परम्परा रही है जब कोई इसके अन्तर्गत प्रश्न स्वीकार हो जाता है, यदि उसमें उत्तर देने में देरी होती है, तो एक सूचना दे दी जाती है कि इस पर कार्यवाही की जा रही है। वह भी मुझे उपलब्ध नहीं की गयी। जब मैंने अपना पिजन होल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खोलकर उसमें से कागज निकालने चाहें, तो उसमें एक पत्र था, जिसमें था कि उसका उत्तर दे दिया गया है। जब कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है। वहां जल निगम द्वारा तमाम गांवों में जो हड पाईप लगाये जा रहे हैं, वह उतनी गहरी सीमा तक नहीं लगाये जाते। दूसरे, जो नहीं लग पाते हैं, बच जाते हैं, वह नेपाल में जाकर बेच दिये जाते हैं। नेपाल में चीन का सीधा हस्तक्षप हो रहा है। चाहे वहां आवश्यकता हो या न हो, लेकिन वह सीमेन्ट और इस तरह की तमाम चीजें खरीद लेते हैं।

मान्यवर, 80 प्रतिशत पाईप नलों में तो पानी नहीं निकला, सबके सब फेल हैं। मान्यवर, इसमें शासन की जो विकृतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनका भंडाफोड़ हो जायेगा, यदि वास्तविकता का पता लगाया जाये। मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न को प्रस्तुत करके यह आशा करता हूं कि आप शासन को निर्देश देंगे कि इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे दूर करें। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर लें।

विधायकों को दी जाने वाली स्टेशनरी की कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, इससे पहले भी इसे सदन में उठाया था। मान्यवर, महंगाई प्रदेश में हर स्तर पर बढ़ रही है। मान्यवर, हम विधायकों को जो दी जाने वाले स्टेशनरी, पैड, लिफाफे आदि हैं, जिसको कि हम लोग जेब से खरीदकर जनता के कार्यों के प्रयोग में लाते हैं, उसकी कीमतें एकदम से दुगनी-तिगुनी बढ़ गयी हैं। जो पैड 1.20 रु0 में मिलता था, अब वह 3.60 रु0 में मिलता है। जो 1.60 रु0 में था, अब वह 4.25 रु0 में मिलता है। 1.80 वाला 4.25 रु0 में मिलता है। और 2.25 वाला 5.20 रु0 में मिलता है। इसके अतिरिक्त इन पैडस में जिस कागज का इस्तेमाल किया है, उसमें भी घटिया किस्म का कागज है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते थे। इस कागज के दाम भी तीन गुने कर दिये गये हैं। पिछले सदन में भी यह प्रश्न आया था। उस समय भी सरकार से इस सम्बन्ध में मांग की गयी थी, किन्तु आज तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को इसके लिए एक समयबद्ध निर्देश दें और अगले एक हफ्ते के अन्दर इस स्टेशनरी को ठीक कर दिया जाय और इसकी कीमत को पूर्ववत रहने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के किसी भी नियम का इसमें उल्लंघन नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष इस मामले में माननीय उद्योग मन्त्री तथा माननीय सभापति विधान परिषद् से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। यह सामग्री फ्री दी जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

औचित्य का प्रश्न चल रहा है और आप सुझाव दे रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्रि-परिषद् में संयुक्त उत्तर-दायित्व के अभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस समय मन्त्रि-परिषद् में संयुक्त जिम्मेदारी का अभाव हो गया है। मन्त्रि-परिषद् संयुक्त जिम्मेदारी के लिए विधान सभा के प्रति जवाबदेही है। मैं आपका ध्यान भारत का संविधान की धारा 164 (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बारे में वासु की जो कामेन्ट्री है उसके वाल्यूम 6 के पृष्ठ 119 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है "दिस प्राविजन इम्बोडीज दि पालिटिकल रिसपान्सेबिलिटी रिलेटेड टु दि पालिटिकल रिसपान्सेबिलिटी, रिलेटेड टु दि राइट आफ ए मिनिस्ट्री टु कन्टेन्यू इन आफिस एज डिस्टींग्वीसड फ्राम दि लीगल लाइबेलिटी आफ ईच मिनिस्ट्री। कलेक्टिव रिसपान्सेबिलिटी मेक्स ईच मिनिस्टर बिकेरियसली रिसपान्सेबिल टु दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली फार दि एक्ट्स आफ अदर मेम्बर्स आफ दि काउन्सिल आफ मिनिस्टर।"

मान्यवर, इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है। यह धारा मंत्रिमन्डल के ऊपर राजनैतिक उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। जो वैधिक उत्तरदायित्व से भिन्न है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रत्येक मन्त्री को विधान सभा के समक्ष समस्त मंत्रिमन्डल के संयुक्त कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है।

मान्यवर, अब मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मन्त्री की जान को खतरा हो गया है। यह खतरा किसी अपराधी से नहीं हुआ है बल्कि पुलिस के एक पुलिस इन्सपेक्टर से हो गया है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक श्री जे0 एन0 चतुर्वेदी ने अभियोजन विभाग से रिपोर्ट मांगी और वह जांच रिपोर्ट 21 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी। उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद उन्होंने शासन को अवगत कराते हुए उस पुलिस इन्सपेक्टर का तबादला कर दिया। यदि उसे मिर्जापुर में रखा जायेगा तो उससे एक मन्त्रि परिषद् के सदस्य की जान को खतरा रहेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पुलिस इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले मंत्रिमन्डल के एक सदस्य ने उसे रुकवा दिया। गृह विभाग से लेकर सामान्य प्रशासन तक उसने दबाव डलवाया और उस पुलिस इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने दी।

इसके बाद जिस मन्त्री की जान को खतरा था उसने स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहा कि यह जो हो रहा है, ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा कथन नहीं है। आप इसकी जांच करा लें, पत्रावली मंगा लें, सदन में न मंगा सकें तो स्वयं मंगा कर देख लें--पुलिस महानिदेशक की तरफ से इस तरह की टिप्पणी लिख कर भेजी गई है कि जब मन्त्रिमन्डल के सदस्य को खतरा है तो दूसरे सदस्य उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दायित्व और सांविधानिक दायित्व की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है।

इस मामले में मैं किसी न्यायालय के आदेश की ओर इशारा नहीं करना चाहता क्योंकि राजनीतिक दायित्व का फैसला न्यायालय में नहीं सदन में होगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर वाणी और कर्म की स्वतन्त्रता एक साथ हो जायगी तो संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह हो ही नहीं सकता। न भाषा के सवाल पर, न उद्योग के सवाल पर, न कर्म पर कोई नियन्त्रण रह गया है। मंत्रिपरिषद्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के एक सदस्य बायें जाने के लिए तैयार हैं तो एक दायें। आज उत्तर प्रदेश का मंत्रिमन्डल वाणी के जरिये नहीं बल्कि कर्म के जरिये बंट गया है। इसलिए यह सदन सक्षम है कि संयुक्त जिम्मेदारी के ऊपर विचार किया जा सके। मैंने पूरी नियमावली देखी है, कहीं भी यह प्राविधान नहीं है कि औचित्य के प्रश्न पर विचार न कर सकें। यह सदन सक्षम है, संविधान में दिया हुआ है, यह न्यायालय के पास नहीं जायगा, यहीं सदन के अन्दर आयगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय मंत्रि-परिषद् बंट गया है, संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो सका है इसलिए आप से प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी ने जो मामला उठाया है बहुत ही गम्भीर मामला है और जहां पर दो मन्त्रियों के बीच इतना जबरदस्त मतभेद हो और इस मतभेद को हम केवल सदन तक ही सीमित नहीं रख सके, यह सारे हिन्दुस्तान में उजागर कर दिया गया, खास तौर से माया जो अखबार है ...

(व्यवधान)

माया की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार और प्रशासन के बीच खींचा-तानी हो रही है। एक पुलिस महानिदेशक, इस सूबे का, उत्तर प्रदेश के सारे आई0 जी0, डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 को लिखता है कि यहां पर मुख्य मन्त्री, गृह सचिव और कुछ मन्त्री बिना मेरी जानकारी के, बिना मेरी सूचना के कुछ नियुक्तियां और ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए जब तक मेरी स्वीकृति न मिले तब तक इनका पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन और सरकार के बीच इस तरह की खींचा-तानी और दूसरी तरफ एक मन्त्री परेशान है। सचिवालय में आप देखते हैं, बहुत से लोगों को जान को खतरा है लेकिन राइफलधारी किसी के साथ चलते नहीं देखे गये। आमतौर पर आपने देखा होगा कि रायफलधारी केवल एक मन्त्री के साथ रहता है, मिलने वालों की सर्च होती है तभी मिल पाते हैं। पुलिस के लोग जिनसे उम्मीद है कि सुरक्षा करेंगे, उसी पुलिस के एक अधिकारी से एक मन्त्री को खतरा है। प्रशासन और सरकार के बीच कितनी दूरी हो गई है। दूसरे मन्त्री जिससे खतरा है उसको संरक्षण दे रहे हैं। जहां एक पार्टी की सरकार पूरे देश के अन्दर एक बात कहती है कि देश की एकता को बनाये रखने की जिम्मेदारी है, जिस मन्त्रिमन्डल में एकता न हो, वह देश और प्रदेश की अखन्डता की रक्षा करेगा, यह उम्मीद नहीं की जाती। यह एक गम्भीर मामला है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को आना चाहिये और स्थिति को साफ करना चाहिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने से व्यवधान।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

इसी प्रश्न पर माननीय सदस्य फरेंदा ने विशेषाधिकार अवहेलना की एक सूचना दे रखी है, जिस पर माननीय सदस्य वाराणसी (कैन्ट) के भी हस्ताक्षर थे। जब माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में ऐसी चीज ला दी जाती है, जो कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था, अगर इसको तभी लिया जाता तो ठीक था, किन्तु आपने माननीय सदस्य को अनुमति दे दी इस बात के संज्ञान में होते हुए भी कि यह विषय विशेषाधिकार के रूप में माननीय अध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कार्यालय में है । जब आप विशेषाधिकार के उस प्रस्ताव पर पूरी बहस चला लें तब ही अपना निर्णय दें । नियमों के तहत ही कोई बात उठती है । कोई माननीय सदस्य इस जल्दी में कि उनका नाम अखबार में पहले आ जाय, तो जहां तक परम्पराओं और मान्यताओं का सवाल है, सदन की नियमावली की गरिमा और संवैधानिक गारन्टी को दांव पर लगा दिया जाता है । केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपने इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रस्ताव है उस पर ही पूरी चर्चा करा लें । माननीय नेता, विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, माननीय नेता, सदन को भी बुला लें और चर्चा हो जाय । मामला गम्भीर है, इसकी गम्भीरता से कोई इन्कार नहीं कर सकता, इसीलिए विशेषाधिकार अवहेलना के रूप में दिया गया था ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरे बारे में कहा गया है इसलिए स्पष्टीकरण दे दूं । माननीय सदस्य विद्वान हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है । जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया गया है, वह दूसरे मामले में है । वह सदन की गरिमा से सम्बन्धित मामला है और मैंने जो प्रश्न उठाया है औचित्य का वह मन्त्रिपरिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी के हनन से सम्बन्धित है । विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है सदन या किसी माननीय विधायक की अवमानना से । मन्त्रिपरिषद् में अगर संयुक्त जिम्मेदारी का अभाव हो तो संवैधानिक या राजनीतिक संकट हो जाता है इस सम्बन्ध में किसी गलतफहमी की जरूरत नहीं है । विशेषाधिकार का प्रश्न दूसरे पहलू पर है और यह औचित्य का प्रश्न दूसरे पहलू पर है । मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्री और सिंचाई मन्त्री से सम्बन्धित है । सिंचाई मन्त्री की जान को खतरा है कोमल मिश्रा से, जो कि मिर्जापुर में तैनात है । इसके तबादले को रुकवाने के लिए प्रयास किया गया है । स्वास्थ्य मन्त्री के द्वारा कदम उठाया गया है, उसके जरिये से हुआ है । ये दो अलग अलग प्रश्न विचाराधीन हैं, किसी प्रकार की गलतफहमी की कोई गुंजायश नहीं है ।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

श्रीमन्, उस ओर से जो आरोप लगाये गये हैं, कुछ तथाकथित तथ्यों का उल्लेख किया गया है इसलिए मैंने स्थिति को स्पष्ट करने की अपनी जिम्मेदारी समझी । जहां तक मंत्रिपरिषद् की जिम्मेदारी का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद् उसे पूर्ण निष्ठा से निभा रही है, इसमें आपकी आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है । केवल विषय को रोचक बनाने के लिए माननीय सदस्य ने एक कहानी गढ़ ली है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप इसकी जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि गढ़ी हुई बात नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह--

श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि केवल समाचार-पत्रों के आधार पर या कोई पत्रिका के आधार पर यहां कोई बात कहनी उचित नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है । मैं कहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री पहले इसकी जांच करा लें तब ऐसी बात यहां कहें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

मैंने बड़ी शान्ति से आपकी बातों को सुना, अब आप भी कृपया शान्ति से मेरी बात को सुन लें। आपकी एकता का परिचय तो अभी-अभी मिल ही गया। इसके अलावा जब आप स्वयं मंत्री थे तब भी मिला था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरा कथन केवल पत्रिका के आधार पर नहीं है इसकी जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिख कर दी गई है, आप पता कर लें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जो बात माननीय सदस्य ने यहां उठाई है उसका कोई आधार उन्होंने नहीं दिया है। इनकी जानकारी का आधार क्या है इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। केवल उत्तेजना पैदा करने के लिए और विषय को रोचक बनाने के लिए कोई कहानी गढ़ ली और उसे सदन में सुना दिया। माननीय सदस्य मात्र विषय को रोचक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय तिवारी जी ने जो बात कही है, वह सही है।

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का जो संबन्धित संहत संकलन मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक का है, इसमें से पेज 103 पर पैरा 124 का हवाला इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि औचित्य का प्रश्न सदन में विचाराधीन विषय के बारे में अथवा कार्यविन्यास या नियमों के पालन के बारे में उठाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद् की गोपनीयता के सम्बन्ध में नहीं उठाया जा सकता -- 17 अप्रैल, 1978 को गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में गोलीकाण्ड की घटना के सम्बन्ध में दो घंटे की चर्चा की मांग के समय श्री राम आसरे वर्मा ने कहा -- "मंत्रि-मन्डल के जो सदस्य गोपनीयता को भंग करते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व से मुकरते हैं उनको निकाला जाना चाहिये।" उन्होंने यह भी कहा -- "अगर मुख्य मन्त्री जी इन मंत्रियों को निकाल नहीं सकते तो आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिये। इस मंत्रि-मन्डल को इस समय कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।" इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा -- "औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिये। औचित्य का प्रश्न जब कोई भी विषय विचाराधीन हो उसके बारे में या कार्यविन्यास के बारे में या नियमों के पालन के बारे में होता है, मंत्रिपरिषद् की गोपनीयता के सम्बन्ध में कोई नियम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए यह प्रश्न सदन में उपस्थित करना कि यह औचित्य का प्रश्न है उचित नहीं है और यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।"

मान्यवर, एक बार नहीं बल्कि बारम्बार औचित्य का प्रश्न क्या है, यह यहां बताया जा चुका है और इस बात का उल्लेख किया जा चुका है। आपने कोई बात कह दी और वह यों ही औचित्य का प्रश्न बन गया? जिन तथ्यों का आपने यहां उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में मैं पूरी गम्भीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ उसका खन्डन करता हूं।

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। यह इस सदन की अब सम्पति बन गया है। यह मंत्रियों का मामला है और अब इसमें कोई गोपनीयता की बात रह नहीं गई है। मान्यवर, जब मंत्री की जान को खतरा है, मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों मंत्रियों को आप बुला लें और सदन में जानकारी कर लें कि उनको खतरा है या नहीं। आप यहां जानकारी कर लें तो हम लोगों की भी चिन्ता दूर हो जायेगी। वरिष्ठ मंत्रियों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है, यह तथ्य पर आधारित बात है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मामले को रोचक बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो मेरा निवेदन है कि यह ऐसी बात नहीं है, यह तथ्यों पर आधारित है। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा गया है। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसलिए आप दोनों मंत्रियों को बुला लें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाये और हम लोगों का भ्रम भी दूर हो जाये और जो चिन्ता है वह भी दूर हो जाये।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री गुलाब सिंह के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को वापस लेने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की हस्तपुस्तिका के पृष्ठ 38 पर पांचवा उपखंड है, "किसी सदस्य को सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों को ऐसे मामले में जिसमें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय हित से सम्बन्धित हो, अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए" मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ 39 के उपखंड 12 पर दिया हुआ है, "किसी सदस्य को अपने किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्तियों के लिए जिनसे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, न हो तो कोई सेवा प्राप्त करना, या व्यापार के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों को न कोई सिफारिशी पत्र लिखना और न उनसे कुछ कहना चाहिए।" मान्यवर, संसदीय प्रणाली के ज्ञाता महेश्वर नाथ कौल ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 276 पर लिखा है कि "सदस्यों को ऐसे किसी मामले में जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हित हो, सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों पर अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहिए।"

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला है और जो आपके संज्ञान में है और सदन के संज्ञान में है। माननीय गुलाब सिंह जी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। देहरादून जिले की चकराता तहसील के नायब तहसीलदार श्री बी० डी० शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि नारकोटिक्स विभाग के नियमों का उल्लंघन करके वह अफीम पैदा कर रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग के उपयुक्त ने छापा मारा और उनके फार्म को देखने गये और 3-4 चीरे लगे हुये पाये जिनसे दूध निकल रहा था, जिससे अफीम बनती है। मान्यवर, उनको लायसेन्स लेना चाहिए था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माननीय गुलाब सिंह जी का एक सार्वजनिक बयान भी निकला और जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जमीन उनके नाम है लेकिन खेती उनके भाई करते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें उनका वित्तीय हित है। इसी कारण उनको मंत्रि-परिषद् से निकाला गया और माननीय मुख्य मंत्री जी पर दबाव डाला गया कि उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसको वापस ले लिया जाये। यह बात सुनिश्चित है, किसी समाचार पत्र के आधार पर नहीं कही गयी है और माननीय मुख्य मंत्री ने मुकदमों को वापस लेने के लिये लिख दिया। यह मेरी सही जानकारी है। मान्यवर, आप विधि के जानकार हैं। वह कम्प्लेन्ट केस नायब तहसीलदार ने दायर किया था, इसलिये सरकार उसको वापस नहीं ले सकती है। यह मामला उजागर हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया । अनेक दलों के नेताओं ने भी इसके बारे में शिकायत की । यह ऐसा मामला है जिससे कानून के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो जायेगा, जनतंत्र की हत्या हो जायेगी और जिससे हम सब लोगों के सम्मान को धक्का लगेगा क्योंकि हम सब विधायकों से एक विशिष्ट आचरण की आकांक्षा की जाती है । मुख्य मंत्री पर भी इसके बारे में दबाव डाला गया और उसी के तहत मुख्य मंत्री ने 11 मार्च को देहरादून के जिलाधिकारी को टेलेक्स भेजा कि इस मुकदमे को वापस ले लो। लेकिन चूंकि यह मुकदमा किसी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ था इसलिए वह वापस नहीं हुआ । इसलिए फिर दुबारा यहां से टेलेक्स गया कि इस मामले पर फिर से विचार कर लिया जाय । इसके बाद दबाव डाला गया चकराता के तहसीलदार पर कि वह मुकदमा वापस ले ले । चकराता के तहसीलदार को बुलाया गया । इन्होंने कम्प्लेन्ट की थी । उससे कहा गया कि मुकदमा वापस ले लो । लेकिन उसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ सकता हूं लेकिन जो मुकदमा दायर हुआ है वह वापस नहीं लूंगा । इसमें अफीम की तस्करी की जाती रही है, उसने मुकदमा वापस लेने से इन्कार कर दिया । उसके पश्चात् उस तहसीलदार के खिलाफ कई कार्यवाहियां की गयी और नौकरी से निष्कासित करने की धमकियां दी गई । अन्त में मजबूर होकर उसने मुकदमा वापस ले लिया ।

आज यह सरकार स्वच्छ प्रशासन देने की बात करती है । यह सरकार उन लोगों को प्रश्रय देती है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं । तहसीलदार पर दबाव डालकर मुकदमा वापस हो गया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा । जहां पर मैंने उपरोक्त अंश पढ़े हैं वहां पर यह भी दिया है कि हम माननीय सदस्यों से ऐसे व्यवहार और गरिमा की कामना करते हैं जिससे इस आदरणीय सदन की अवमानना न हो । माननीन गुलाब सिंह द्वारा नियमों का उल्लंघन साबित हो गया है इसलिए हम सबको शंका पैदा हो रही है । उन्होंने अपने निजी आर्थिक स्वार्थ हेतु दबाव डालकर यह साबित कर दिया है कि उन्होंने एसा आचरण किया है और नियमों का उल्लघंन किया है । इसलिए मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है । नियम 300 में लिखा हुआ है कि औचित्य के प्रश्न उन्हीं विषयों से सम्बन्धित उठाये जायेंगे जिनके अधीन हमारे सदन के कार्य का निर्वहन होता है या संविधान की किसी धारा का उल्लंघन होता है इसलिये मान्यवर, यह हमारे नियमों और शिष्टाचार का सवाल है । यही नहीं, इस तरह के औचित्य के प्रश्न पंजाब और हरियाणा में भी उठे हैं । वहां जिन विधायकों के आचरण में भ्रष्टाचार पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसको स्वीकार करें ।

यहां पर मुख्य मंत्री जी इस समय उपस्थित नहीं हैं । हमें एक दुखद सूचना मिली है कि माननीय गुलाब सिंह जी का लड़का बीमार है । इसके बारे में उन्हें बोलने का मौका दिया जाय, वे भी यहां पर नहीं हैं । हमलोग उनकी बात सुनना चाहते हैं । इसलिये मान्यवर, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह प्रश्न उपस्थित किया है । अपने इस औचित्य के प्रश्न पर मैंने टेलेक्स का नम्बर भी लिखा है; तहसीलदार का पत्र भी नत्थी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं किन्तु बाद में उसे वापस ले लिया गया । माननीय गुलाब सिंह के खिलाफ कदाचार का मामला साबित हो गया है । उनको यहां से निष्कासित किये जाने की कार्यवाही सम्भव हो सकती है । इसके साथ ही मैं इस प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपके विशाल हृदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आपने कहा कि माननीय गुलाब सिंह उपस्थित नहीं हैं। इसकी आपको जानकारी दी गयी थी। आपने उनके प्रति उदारता भी दर्शायी और आरोप भी उनके ऊपर लगाये। श्रीमन्, यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो आरोप आपने लगाये हैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। गत विधान सभा में भी कई बार यह मामला उठाया गया और उसके अग्रणी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी रहे। उसके बाद भी जो सबसे बड़ी हमारी जनता की अदालत है उसमें माननीय गुलाब सिंह जी गये और यह घटना उस क्षेत्र की थी उसमें वह ही हमारे एक मात्र ऐसे सदस्य हैं जो निर्विरोध चुनकर आये हैं। लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

भ्रष्टाचार के आधार पर चुन कर आये हैं।

श्री राम सरन--

वह आपके भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

अगर यही आपका आधार है कि जनता ने निर्विरोध चुन कर उनको भेजा है तो वह आपके राजीव गांधी से बड़े हो गये उनको इसी आधार पर प्रधान मंत्री बना दीजिये। उनके बाद माननीय संजय सिंह का नम्बर होता है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अगर यही तरीका रहा तो कोई बोल नहीं पायेगा। जब आप बोल रहे थे तो हम बड़ी शांति से सुन रहे थे।

श्री बाबूराम यादव--

अगर आप जनता की अदालत को मानते हैं तो जनता के चुने हुए लोगों को मीसा में क्यों बन्द कर रखा है?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री सरदार सिंह--

यहां से आपने ही यह आरोप लगाया था।

श्री हुकुम सिंह--

मेरा आग्रह यह है कि एक औचित्य के प्रश्न के रूप में मामला सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय गुप्त जी जानते हैं कि किसी मुकदमें को वापस लेने की क्या प्रक्रिया है। क्या तहसीलदार वापस लेने के लिए सक्षम है केवल मात्र कल्पना के आधार पर किसी भी सदस्य की छवि को धूमिल करने के लिए आप कुछ भी कह दें यह उचित नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस सरकार के किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने कोई दबाव किसी पर नहीं डाला है न तहसीलदार पर डाला है और न किसी अधिकारी पर दबाव डाला है। यह सारी की सारी कहानी काल्पनिक है और तथ्यहीन है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि माननीय गुलाब सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुन कर आये हैं और इसीलिए मुकदमा वापस ले लिया। तो जो विषयक

रासुका में बन्द हैं वह भी चुन कर आये हैं, जनता ने उनको चुन कर भेजा है। माननीय गुलाब सिंह जी ने क्या हथकंडे अपनाये वह हम जानते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय कार्य मन्त्री जैसे गुलाब सिंह जी को निर्विरोध चुनकर आने के कारण उन पर से मुकदमा उठा लिया उसी प्रकार रासुका में बन्दी विधायकों को भी छोड़ने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मैंने यह नहीं कहा कि मुकदमा वापस ले लिया है मैंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में इस प्रकार की कई वारदातें हुई हैं और इस पीठ से जहां पर आप बैठे हैं वहां से बराबर कुछ न कुछ निर्देश हुए हैं कि जो आदरणीय सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके सम्बन्ध में कोई चर्चा हो तो उनको स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिये। माननीय गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से माननीय गुलाब सिंह जी एवं माननीय मुख्य मन्त्री जी पर स्पष्ट आरोप लगाये हैं। वे दोनों इस वक्त सदन में नहीं हैं।

इसलिये मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि उनकी अनुपस्थिति में इस पर कोई चर्चा क्या सम्भव है ? औचित्य का प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित करें और जब माननीय मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी उपस्थित हों क्योंकि जिन पर गम्भीर आरोप लगे हों और श्री गुलाब सिंह जो निर्विरोध चुनकर आये हों और माननीय मुख्य मन्त्री जो 11 करोड़ जनता के मसीहा हों उन पर गम्भीर आरोप हों तो इन दोनों लोगों को स्पष्टीकरण का मौका न दिया जाये तो यह उनके प्रति अन्याय होगा। इसलिये इसको आज स्थगित करें, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इस पर एक बार चर्चा हो गयी तो बार-बार यह चर्चा कैसे हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने स्पष्टीकरण देने की बात कही है तो यदि वह स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो विचार कर लिया जायेगा लेकिन उनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता है कि वह अपना स्पष्टीकरण दें।

अधिकांश मन्त्रियों के एनेक्सी में बैठने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो औचित्य का प्रश्न दिया है वह इस सदन से सम्बन्धित है। श्रीमन्, इस बार एक नई प्रक्रिया हुई है कि मंत्रिपरिषद् के अधिकांश सदस्य एनेक्सी भवन में बैठ रहे हैं और विधान सभा का सत्र चल रहा है तो सत्र चलते अधिकांश विधायक-गण को अपने क्षेत्र के काम से या अपने निजी काम से या प्रदेश की जनता के काम से एनेक्सी भवन में आना-जाना पड़ता है, इसलिये सदन में उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है और कभी-कभी यहां कोरम न पूरा होने की स्थिति हो जाती है। माननीय मुख्य मन्त्री का यहां कार्यालय खुला हुआ है लेकिन माननीय सदस्यों के पत्र प्राप्त करने वाला कोई अधिकारी या कर्मचारी यहां नहीं है, इसलिये माननीय सदस्यों को पत्र देने एनेक्सी जाना पड़ता है। इससे माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित रह जाते हैं, यह स्थिति दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों की है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि इसकी विश्व में गरिमा है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि सदन में वाद-विवाद का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है और चिन्ता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही पर शोध किया जायेगा तो वाद-विवाद का स्तर गिरा हुआ पाया जायेगा। चूंकि जो वर्तमान स्थिति है उसमें मंत्रियों के यहां दौड़ के कारण दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही से वंचित होना पड़ता है और सत्र चलते मंत्रिगण प्रायः यहां सदन में बैठकर माननीय सदस्यों का काम करते हैं जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है जिससे विधान सभा में वाद-विवाद का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एनेक्सी में बैठने वाले माननीय मन्त्री जी चाहे जहां बैठें, लेकिन क्या कारण है कि वह मुख्य भवन में न बैठकर, केवल थोड़े से चमक-दमक और अच्छे कमरों के कारण वह वहां पर बैठते हैं, जो यहां मुख्य मन्त्री का कैम्प कार्यालय है, वहां भी हमारे पत्र प्राप्त नहीं किये जाते हैं....

(व्यवधान)

425 लोग यहां पर जनता के चुने हुए बैठे हैं, वे अपना भत्ता बनाने और तनख्वाह लेने के लिए ही यहां नहीं आते हैं, वह अपने क्षेत्र की जनता की बात कहने के लिए यहां आते हैं। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि स्तर विधान सभा का गिर रहा है....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाइये, अब आपका सब तो आ चुका है जो कुछ कहना चाहते थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है आप मुझे दो मिनट और सुन लें।

श्री विजय सिंह राणा—

श्रीमन्, आज बजट पर सामान्य चर्चा का अन्तिम दिन है और अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। वैसे ही समय की कमी रहेगी और इनकी बात बहुत लम्बी हो गई है, समय जाया हो रहा है, आप इनको रोकिये, जिससे चर्चा शुरू हो।

श्री अधिष्ठाता—

अब सरदार सिंह जी आप औचित्य के प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। चौधरी जी, आप बैठें, आपका बहुत हो गया है।

(व्यवधान)

पिछले सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही के विवरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह—

श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न नियम 301 के सम्बन्ध में है। आज पिजन-बाक्स में, जो पिछले सत्र में सूचना दी थी उसका पूरा संकलन मिला है। करण सं0 14 (1) में आप देखें, इसके विषय में उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हम अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाते हैं, उसका 30 दिन में माननीय मन्त्री जी की ओर से उत्तर मिल जाना चाहिए, लेकिन मंत्रियों की ढिलाई और निकम्मेपन के कारण उस नियम का साफ उल्लंघन हुआ है और....

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात का सब सं0 3 से सम्बन्ध है, जब वह लिया जाएगा तब उस समय आप अपनी बात कह लीजिएगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य मन्त्री श्री वासुदेव सिंह द्वारा उर्दू के सम्बन्ध में दिये गये बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी--

मैं भारत के संविधान की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके आर्टिकल 164, सबक्लाज (2) में, जिसका बार-बार हवाला यहां पर आ रहा है, यह कहा गया है कि कैबिनेट के मेम्बरों की ज्वायन्ट रिस्पांस्बेलिटी होती है। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक वर्सेस यूनियन आफ इंडिया के एक केस के सिलसिले में अपने निर्णय में लिखा है कि--

> टू बी रेस्पांसिबिल इन दिस सेंस सिम्पली इज टू शेयर दि कांसीक्वेंसेस आफ रेस्पांसिबिलिटी नेमली टू बी सब्जेक्ट टू दि रूल दैट नो मेम्बर आफ दि गवर्नमेन्ट मे प्रोपरली रिमेन ए मेम्बर एन्ड डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्राम इट्स पालिसीस। ए0 आई0 आर0 1978, एस0 सी0, पा0 95, पैरा 45।

इसका तर्जुमा यों हुआ--आमतौर से कोई मेम्बर जो कैबिनेट का है, वह कैबिनेट का मेम्बर बना हुआ नहीं रह सकता है, यदि वह गवर्नमेंट की पालिसी से डेवियेट करता है। मेरा कहना यह है कि सदन में 22 मार्च को एक वरिष्ठ मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया और उस अपने भाषण में उन्होंने यह कहा जिस पर हमको एतराज है। इसके लिए आप खंड 366, पेज 85 दिनांक 22 मार्च, 1985 की कार्यवाही देखें, उसमें यह कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इसको मैं मानता हूं उसके बाद, इस रिमार्क के बाद वह कहते हैं अपने भाषण में-'उर्दू समर्थकों को धर्मनिरपेक्षता में मुझे शक है, वह धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं, साम्प्रदायिक हैं। मान्यवर, यह तो सदन के अन्दर की बात है। इसके अलावा वह माननीय मन्त्री जी सदन के बाहर भी अक्सर और बेशतर इस तरह की बातें कहते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि भारत का संविधान सबके ऊपर है। उसके तहत सब लोगों को चलना है और उसके जो आर्टिकिल्स हैं उनके बारे में सुप्रीमकोर्ट के फैसले हैं, उनकी वजाहत होती रहती है। वह मन्त्री उस वक्त भी मन्त्री थे और आज भी मन्त्री हैं, जिन्होंने यह बयान दिया है और यह बयान कार्यवाही का अंग है और कार्यवाही में मौजूद है। तो फिर उत्तर प्रदेश के करोड़ों मुसलमान यह समझेंगे कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को सांप्रदायिक समझती है। उसके एक वरिष्ठ मन्त्री ने कहा है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। उन्होंने यह भी कहा, उर्दू अकेडमी की इंक्वायरी की बात की। यह अच्छी बात है कि इंक्वायरी होनी चाहिये लेकिन इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी की भी इंक्वायरी होनी चाहिये कि पहले उनके पास क्या एसेट्स थे और आज जब वह मन्त्री हैं कितने एसेट्स उनके पास हैं, कितनी बसेज उनकी चल रही हैं। मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां आकर जवाब दें और माननीय खाद्य मन्त्री वासुदेव सिंह जी जो हैं वह अपनी वजाहत करें कि आया वह इस पालिसी को मानते हैं कि उर्दू को दूसरी राज-भाषा की मांग करना या कोई बात करना सांप्रदायिकता है। अगर है, ऐसा मानते हैं तो कांग्रेस की सरकार इस बात का एलान करे कि वह भी सांप्रदायिक है, चूंकि उन्होंने उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का वायदा ही नहीं किया है बल्कि इस हाउस में विधेयक भी पेश किया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, जिन माननीय सदस्यों ने उनको दिया है, मैंने उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया है। नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है कि जब प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन हो अथवा संविधान का उल्लंघन हो और घटना सदन के संज्ञान में हो। औचित्य का प्रश्न सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए, सदन के कार्य-विन्यास से ही सम्बन्धित होना चाहिये। इसलिए मैं सभी सूचनायें जो हैं इनको अस्वीकार करता हूं।

श्री फजलुल बारी—

यह कार्यवाही का अंग है इसलिए सदन से सम्बन्धित है।

विधान सभा के 1985 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1985 के प्रथम सत्र (दिनांक 16 मार्च, 1985 से 22 मार्च, 1985 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न लिखित है।

†छापा नहीं गया।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, आप करण संख्या 14(1) को देखें। उसमें नियम 301 सूचनाओं का निस्तारण किस प्रकार से होगा उसकी विधि दी गयी है। विधि यह दी हुयी है कि एक महीने में उसका उत्तर हमको अवश्य मिल जाना चाहिये। आज जो सदन के पटल पर कागज रखा गया है उसमें 82 सूचनाओं का उत्तर है। उसमें से 60 सूचनायें ऐसी हैं जो विलम्ब से दी गयी हैं। केवल 22 सूचनायें ऐसी हैं जो यथा समय दी गयी हैं। अगर मान्यवर, 2-4 सूचनाओं का उत्तर विलम्ब से दिया गया होता तो वह क्षम्य था लेकिन 60 सूचनायें विलम्ब से दी गयी हैं। 60 में से 30 ऐसी हैं जो 4-5 महीने के विलम्ब से दी गयी हैं। मैंने उद्धरण भी नोट किये हैं। एक सूचना मेरे जिले सीतापुर की नगरपालिका की गन्दगी के बारे में है। 5 महीने के बाद उत्तर दिया गया है जबकि नगर विकास मन्त्री दसियों बार वहां गयी हैं, वह वहां की रहने वाली हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य इसके साथ जुड़े हैं। 301 की सूचनाओं का अगर समादर नहीं होता है, अगर यह मात्र अरण्य रोदन है, जंगल में रोना है तो यह अत्यन्त अनुचित है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आपके यहां से, आपकी अनुमति से हम सब माननीय सदस्यों को एक सरकारी राजाज्ञा की एक पुस्तिका मिली, उसमें भी निर्देश दिये हुये हैं, उसका नम्बर मैं कोट कर सकता हूं। यह तो सामान्य शिष्टाचार सचिवों से कहा गया है, जिससे मैंने सूचना मांगी है, वह हमको 30 दिन में भेज देंगे। जब सचिवों को निदेश दिये गये हैं कि 30 दिन के अन्दर वह हमको सूचना दे देंगे, तो सदन में पढ़ी गयी सूचना का उत्तर 30 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, 82 सूचनाओं का उत्तर दिया गया है, जिसमें से 62 सूचनाओं का उत्तर विलम्ब से दिया गया है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। या तो मान्यवर, इस नियम को समाप्त कर दिया जाय, अगर समाप्त नहीं करना है, तो जो उसकी स्प्रिट है, उसकी जो भावना है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु शासन को निर्देशित करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

इस बात से तो मैं मान्यवर, सहमत हूं कि सीतापुर की नालियां साफ होनी चाहिये।

श्री विजय सिंह राणा--

क्या सीतापुर का ही मामला महत्वपूर्ण है और नहीं ?

श्री सरदार सिंह--

मथुरा का नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--

मथुरा का भी मामला महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पहली बार यह हो रहा है जब कि सारी सूचनाओं के उत्तर दिये हैं, एक भी सूचना ऐसी नहीं जो कि अनुत्तरित हो। मान्यवर, मैंने स्वयं प्रयास किया और एक दर्जन सचिवों की बैठक की। रही महीने की बात और एक सप्ताह की बात, कई सूचनायें ऐसी थीं, जो एक नहीं तीन-तीन विभागों से सम्बन्धित थीं, तो तीन विभागों की सूचनायें एकत्रित करके उनको संकलित करने की बात है। जो सूचनायें हैं, उनका उत्तर 30 दिन के अन्दर आ जाना चाहिये, इसको मैं कबूल करता हूं, लेकिन जो विलम्ब होता है, वह व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण होता है। मैं इस बात की अपेक्षा करता था कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी प्रशंसा करेंगे कि सारी सूचनाओं के उत्तर दे दिये गये, कोई सूचना अनुत्तरित नहीं रही।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण की धारा 14(1) की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसके अनुसार इस अध्याय के अधीन किसी सूचना का सदन में उत्तर देने के लिए कोई मन्त्री बाध्य नहीं है, किन्तु मन्त्री ऐसी सूचना के सम्बन्ध में जांच के उपरान्त सम्बन्धित सदस्य को अपने हस्ताक्षर से 7 दिनों के अन्दर अन्तिम अथवा अन्तरिम उत्तर भेजेंगे, और अन्तरिम उत्तर की दशा में, अन्तिम उत्तर अधिकतम एक माह के अन्दर अवश्य भेजा जायेगा। मैं इससे सहमत हूं और यही अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में 301 की सूचना, जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अन्दर माननीय सदस्यों को मिल जायगी।

कतिपय विश्वविद्यालयों एवं राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा

श्री अधिष्ठाता--

सदन में दिनांक 20 मार्च, 16 जुलाई तथा 17 जुलाई, 1985 को पारित प्रस्तावों के अनुसरण में,

1--गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों,

2--(1) लखनऊ विश्वविद्यालय, (2) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (3) गोरखपुर विश्वविद्यालय, (4) आगरा विश्वविद्यालय, (5) कानपुर विश्वविद्यालय, (6) मेरठ विश्वविद्यालय, (7) कुमायूं विश्वविद्यालय, (8) गढ़वाल विश्वविद्यालय, (9) रुहेलखंड विश्वविद्यालय, (10) बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, (11) अवध विश्वविद्यालय,

(12) काशी विद्यापीठ एवं (13) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के 5-5 सदस्यों,

3--रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट की सदस्यता के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों,

4--चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो-दो सदस्यों तथा,

5--राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता के लिए विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी,

के निर्वाचित हेतु निम्नलिखित कार्य क्रम निर्धारित किया गया है :--

(1) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 23 जुलाई, 1985 को अपराह्न 4.00 बजे तक ।
(2) नाम-निर्देशनपत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	24 जुलाई, 1985 को अपराह्न 2.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय के कक्ष में) ।
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	29 जुलाई, 1985 को अपराह्न 4.00 बजे तक ।
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	दिनांक 9 अगस्त, 1985 को पूर्वाह्न 10.30 से अपराह्न 4.30 तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

6--उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

7--इस सम्बन्ध में नाम-निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।

माया पत्रिका तथा ब्लिट्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिये जाने का प्रयास

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, कार्यसूची में कल पांचवें नम्बर पर विषय है उसमें विशेषाधिकार की सूचना कल से विचाराधीन है । मान्यवर, आपके सामने उसी मसले पर दूसरे माननीय सदस्य ने चर्चा छेड़ी है तो उस मामले पर चर्चा करा लीजिए । मान्यवर, माया पत्रिका में 31 जुलाई तथा ब्लिट्ज 13 जुलाई के अंक में खबर छपी है कि इस सदन के एक सदस्य, जो मंत्री हैं अपराधी हैं, दूसरे सदस्य मंत्री की हत्या के लिए प्रयासरत हैं । इस प्रकार की पीत पत्रकारिता को रोकना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मान्यवर, इस तरह की खबर छापने से उत्तर प्रदेश के इस सदन के सदस्य जो हैं वह हत्यारे हैं यह समाज में प्रचारित होता है । इस पर रोक अवश्य लगनी चाहिए । मान्यवर, इन्हीं मंत्री जी के विरुद्ध गोपालपुर फार्म में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार करने तथा उसको मार डालने की खबर छपी थी, जो बाद में निराधार पायी गयी । इस तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि षड्यंत्र रचकर हत्यायें करने की चेष्टा की जा रही है । इस तरह की खबर छपने से सदन का अपमान होता है । समाज हमको हत्यारा समझता है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि

आप इसे विशेषाधिकार के रूप में उठाने की अनुमति प्रदान करें ।

श्री अधिष्ठाता--

जो आपने विशेषाधिकार की सूचना दी है वह माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

श्री हर्षवर्धन--

ठीक है मान्यवर, धन्यवाद ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिये कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 47 के अधीन निर्धारित प्रबन्ध योजना (स्कीम आफ मैनेजमेन्ट) के खंड 2 (ए) के साथ पठित खंड 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा तथा माननीय सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 47 के अधीन निर्धारित प्रबन्ध योजना (स्कीम आफ मैनेजमेन्ट) के खंड 2 (ए) के साथ पठित खंड 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा तथा माननीय सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 6 में जो कार्यक्रम की सूचना दी गई है वही कार्यक्रम मद संख्या 8 प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन पर लागू होगी।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 18-7-85 को नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई। इसमें जो सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह, औसान सिंह, दिनेश जौहरी की तालकटोरा प्रभारी निरीक्षक द्वारा राजकुमार की हत्या के सम्बन्ध में, उस पर नियम 51 में विचार किया जा रहा है। जो सूचना अन्य माननीय सदस्य श्री सरदार सिंह, श्री हाफिज मो० उमर, बाबूराम यादव, ने मोदी नगर, मेरठ में मोदी उद्योगों से 12 हजार श्रमिकों को निकालने के सम्बन्ध में है, यही सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां और श्री विजय सिंह राणा की है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने कलकत्ता तथा बम्बई के बूचड़ खानों में वध हेतु उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में गोवंश के निर्यात के सम्बन्ध में है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मोहम्मद मसूद खां, माननीय कमलेश पाठक....

श्री शतरुद्र प्रकाश--

ऐसा कौशल न दिखायें कि पुरुष को महिला कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो प्लास्टिक सर्जरी काफी डेवलप कर गई है। माननीय कमलेश पाठक, राम सरन, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, जवाहर सिंह, शतरुद्र प्रकाश, त्रिलोक चन्द्र तथा माता प्रसाद पान्डेय का जिला परिषद्, इटावा के अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये के गबन से सम्बन्धित है। श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री जवाहर सिंह ने कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में हड़ताल के सम्बन्ध में दिया है, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की सूचना बुन्देलखंड विशेष कर ललितपुर में पान की खेती में भयंकर रोग के सम्बन्ध में दी है, श्री विक्रमादित्य पान्डेय ने बक्सर कोयलर बांध के निर्माण से बलिया जनपद के सैकड़ों गांव जलमग्न होने की सूचना दी है। श्री मित्रसेन श्री हफीज भारती ने जिला पूर्ति कार्यालय कानपुर में सीमेंट का घोटाला के सम्बन्ध में दी है, श्री यदुनाथ सिंह ने नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसी की नियुक्ति न किए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है, श्री राम

†दिनांक 20 जुलाई, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

गोविन्द चौधरी की सूचना प्रदेश में पुलिस की सांठ-गांठ से 30 लाख रुपये के मूल्य की मूर्तियों की चोरी से सम्बन्धित है। श्री सत्य पाल सिंह, ने प्रदेश में भयंकर महगाई से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में सूचना दी है, श्री रेवती रमण सिंह की सूचना बांदा में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस द्वारा छापा मारने तथा मारपीट के सम्बन्ध में है, श्री देव कुमार यादव की सूचना बांदा की महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में है। श्री रघुवर दयाल वर्मा की सूचना फिरोजाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा श्री चिरौजी लाल की हत्या के बारे में है। श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की सूचना लगान, सिंचाई एवं सहकारी देयों की सख्ती से वसूली से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में है, श्री मनोहर लाल ने कानपुर में 5 मिलों के बन्द होने से श्रमिकों के समक्ष भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में सूचना दी है, श्री गौरी शंकर भइया ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में जहरीली दवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में सूचना दी है तथा श्री राम नरेश, श्री शरदा प्रताप और श्री जनार्दन ओझा ने मत्स्य निदेशालय के बारे में सूचना दी है। इस तरह 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी उसे नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कमला नेहरू अस्पताल महिला प्रसूति एवं चिकित्सा के लिए एक जाना-माना अस्पताल है। इसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने गरीबों के लिए आसानी से चिकित्सा के लिए, ईमानदारी से चिकित्सा के लिए इसकी स्थापना की थी। यह अस्पताल कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है और इसके ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधान मंत्री हुआ करते हैं यह नियम है। सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री हुए तब इस अस्पताल को राज्य सरकार के साथ जोड़ दिया गया, ट्रस्ट से निकालकर राज्य सरकार को दे दिया गया। किन्तु सन् 1980 में जब फिर कांग्रेस सरकार आयी तो उसने इस अस्पताल को फिर कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को दे दिया और उसके बाद जब राज्य सरकार में इसका परिवर्तन हुआ था तो वहां के सेवारत कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन हो गया और उसके अनुसार जो उनका बकाया है उसका भुगतान ट्रस्ट नहीं कर रहा है।

इस मामले को लेकर वहां की यूनियन के लोगों ने कई बार अपनी बात कही लेकिन इस दौरान भी प्रबन्धक मंडल और उनके बीच में बहुत ही स्वस्थ वातावरण रहा और बातचीत होती रही। लेकिन इधर एक-दो वर्षों से डाक्टर सुषमा कौल नाम की एक अधीक्षिका आयी हैं, जो अपने को श्री राजीव गांधी का रिश्तेदार बतती हैं और उनके अनुसार वे केवल प्रधान मंत्री से ही बात करती हैं। इसके अतिरिक्त न वे किसी व्यक्ति को जानती हैं, न यूनियन को जानती हैं, न किसी कर्मचारी को जानती हैं और न भारतीय संविधान को ही जानती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया केवल दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। उनके इस कार्य से वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ और उसके परिणामस्वरूप लगातार तीन महीने से वहां पर हड़तालें चल रही हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर जवाहर लाल और गणेश प्रसाद, जो यूनियन के संयुक्त मंत्री हैं और

वार्ड ब्वाय के पद पर नियुक्त हैं, उनसे स्वीपर का काम लिया गया और बाद में उन दोनों संयुक्त मंत्रियों को निकाल दिया गया और इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और वहां की महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार कराया गया। अधीक्षका की इस तानाशाही के कारण वहां बहुत ही आक्रोश व्याप्त है और उसके परिणामस्वरूप तीन महीने से अस्पताल बन्द है। यह एक मात्र जच्चा-बच्चा अस्पताल है जहां गरीब लोग और ग्रामीण क्षेत्रों से महिलायें आती हैं। लेकिन उनको महंगे नर्सिंग होम वाले लूट रहे हैं। वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 का कैम्प डाल दिया गया है और आतंक का वातावरण है। इसलिए मेरी मांग है कि यह सदन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी से यह पूछे कि क्या वह उनकी रिश्तेदार हैं, जिनके आतंक से वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 कायम है और सभी लोग आतंकित हैं। मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा की जाय जिससे कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह जिस स्तर का हो प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर आतंक न पैदा कर सके और कर्मचारियों पर नाजायज दबाव न डाल सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस पर सरकार को निर्देशित करें।

श्री अधिष्ठाता--

अब श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री जवाहर सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री राम सरन, श्री कमलेश कुमार पाठक एवं श्री बेनी प्रसाद वर्मा, में से एक माननीय सदस्य जो चाहे, बोले।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद इटावा में जिला परिषद् के एक विभाग में जो लाखों रुपयों का गबन हुआ था, उसके सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत गम्भीर मामला है। मान्यवर, 16 जुलाई को इटावा के जिलाधिकारी ने लाखों रुपये के गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज अभी तक न तो किसी कर्मचारी को निलम्बित किया गया और न किसी को गिरफ्तार किया गया। मेरी निश्चित जानकारी है कि इटावा जिला परिषद् में लाखों रुपयों का जो घोटाला चल रहा है, उसमें एक ही व्यक्ति को इतने ज्यादा अधिकार मिल गये हैं जिसके कारण यह हो रहा है। एक अभियन्ता द्विवेदी हैं, जिन्होंने लाखों रुपयों के घोटाले का सिलसिला शुरू किया। लेकिन कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को भी जानकारी दी गयी कि पिछले 10 वर्षों से लाखों रुपये के गबन और अनियमितता का मामला चल रहा है। वह अभियन्ता पहले ट्रेसर था, बाद में अभियन्ता बना। इसको प्रोमोशन भी अनियमित तरीके से दिया गया। मेरी निश्चित जानकारी है कि 1974-75 में क्रेश योजना में वह भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाया गया। इसके अतिरिक्त मान्यवर, 17 अगस्त, 1981 को करीब 3 लाख रुपये के गबन का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया। सतर्कता आयोग की जांच भी बैठायी गयी, उसमें वे दोषी भी पाये गये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा पता लग रहा है कि उस विभाग के जो माननीय मंत्री जी हैं उन पर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है जिससे वे इस भ्रष्टाचार को रोकने में सफल न हो पायें।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि तत्काल इस अभियन्ता को निलम्बित करें वहां पर जो भी अनियमिततायें हो रही हैं उनके लिए कोई जांच कमेटी का गठन हो सकता हो, तो वह भी किया जाय। मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव ग्राह्यता की समस्त शर्तें पूरी कर रहा है। इसे स्वीकार कर लें। यदि इसमें कोई कमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो उसके लिए हमें निर्देश दें, उसको ठीक करने के लिए हम तैयार हैं। मान्यवर, मैं फिर अनुरोध करूंगा कि सदन के अन्य कार्य रोककर, विभाग के सम्बन्धित मंत्री जी को सदन में बुलाकर उनसे, इनके निलम्बन का आश्वासन दिलाने का कष्ट करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, वह भ्रष्ट अभियन्ता उस जगह पर जमा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी इस पर अपनी बात कह चुके हैं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, उसको न हटाने के लिए प्रशासन पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, इसके वहां बने रहने से जिला प्रशासन के कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है। यदि इसे तत्काल न हटाया गया तो वहां जिला परिषद् के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित विभाग के माननीय मंत्री जी या मुख्य-मंत्री जी सदन में आकर उनके निलम्बन की घोषणा करें या माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी आश्वासन दें कि उस अभियंता को निलम्बित कर दिया जायेगा और आज ही से उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही शुरू हो जायेगी। अन्यथा हम इस सदन की कार्यवाही न चलने देने के लिए मजबूर हैं।

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जिस विषय को मैं सदन में रख रहा हूं, वह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। कानपुर पूर्ति कार्यालय में बड़े अधिकारियों के नाम, बड़े व्यक्तियों के नाम पर लाखों बोरी सीमेंट का फर्जी परमिट जारी कर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। माननीय खाद्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, उनके पास इसके प्रमाण भी हैं मैं चाहूंगा कि वे इस पर कुछ कहें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, पहले उस भ्रष्ट अभियन्ता को हटाने के लिये आश्वासन दिया जाय।

श्री राम सरन—

मान्यवर, वह राजनेताओं को पैसा खिलाते हैं इसलिए उसे न हटाने के लिये प्रशासन पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री राम सरन एवं चौधरी महाराज सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं आप कृपया बैठ जायं। यह विषय सदन की संज्ञान में आ चुका है।

(चौधरी महराज सिंह और श्री गया प्रसाद वर्मा सदन के फ्लोर पर आकर मांग करने लगे कि उक्त अभियन्ता को निलम्बित कराने का आश्वासन दिलाया जाय।)

श्री राम सरन—

मान्यवर, इस पर आपका निर्णय होना चाहिए। माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें कि इस अभियन्ता को निलम्बित करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे, ये लोग अपनी जगह वापस आ जायेंगे। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इस भ्रष्ट अभियन्ता को न हटाये जाने के लिये माननीय मन्त्री जी पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। मान्यवर, यह अभियन्ता वहां बहुत दिनों से है। वहां के नेताओं को वह पैसा देता है। आज हमने तय कर लिया है कि हम सदन नहीं चलने देंगे जब तक हमें यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्वासन नहीं दिया जायेगा कि उसे हम यहां से हटा देंगे ।

(श्री कमलेश कुमार पाठक भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये ।)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

पहले आप इन लोगों को तो यहां से उठवायें ।

(श्री राम सरन के प्रयास से चौधरी महराज सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा और श्री कमलेश कुमार पाठक अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, आप इस मामले पर मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन दिलवायें । वह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया आप बैठ जायें ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी गम्भीर मामला यहां पर उठाया है, मैं भी अपने आपको उस गम्भीर मामले से सम्बद्ध करता हूं । सरकार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देना नहीं चाहती है । उसे बचाना नहीं चाहती है । 16 तारीख को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई ।

(अत्यधिक शोर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, उसने लाखों रुपए का गबन किया है । वह भ्रष्ट अधिकारी है । विजिलेन्स की रिपोर्ट आ चुकी है ।

(अत्यधिक शोर)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस तमाम प्रकरण पर निष्पक्षता से जांच की जायेगी । केवल निलम्बन ही नहीं और भी मामले हैं । आरोपों के सिद्ध हो जाने के बाद वह आदमी जेल भी जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जांच आप क्या करवायेंगे ? विजिलेन्स ने जांच की और उसकी रिपोर्ट आ गयी है ।

(अत्यधिक शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्यों ने जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसमें शासन अपना वक्तव्य 15 दिन के अन्दर सदन में दे दें ।

श्री राम सरन—

हमें वक्तव्य नहीं चाहिए । हमें आश्वासन चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मंत्री जी आप उसे निलम्बन करने की घोषणा कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं तो पहले ही आश्वस्त कर चुका हूं कि····

(व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इसमें वक्तव्य दिलवा दिया जाय । इससे हम लोगों को संतोष नहीं है । दो लाख 87 हजार की रिपोर्ट हुई है, विजिलेंस इन्क्वायरी के बाद, फिर भी निलम्बित नहीं किया गया । इसके बाद जिलाधिकारी ने रिपोर्ट की, फिर भी यह सस्पेंड नहीं किया गया····

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ लगातार बोलते रहे ।)

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मुख्य मंत्री जी आवें और आश्वासन दें कि द्विवेदी को सस्पेंड किया जाता है तब आगे की कार्यवाही होगी। जब तक आश्वासन नहीं होगा मान्यवर, हम लोग मजबूर हैं, कार्यवाही नहीं चलने दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपकी बात सुनी, गम्भीरता को सुनने और समझने के बाद, आपने जो आरोप लगाये हैं उस पर मैंने शासन को निर्देश दिया कि क्या कार्यवाही की और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह 15 दिन के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

नहीं मान्यवर, ...।

(चौधरी महाराज सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा तथा श्री औसान सिंह पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये।)

(अत्यधिक व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 2 बज कर 43 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन को दी। 3 बजे डिप्टी मार्शल ने 15 मिनट सदन और स्थगित रहने की सूचना सदन में दी। 3 बज कर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री हुकुम सिंह--

मैं एक हफ्ते के अन्दर बयान दे दूंगा। मैंने आश्वस्त किया था कि जांच चल रही है और उसके पूरा होने पर कार्यवाही की जायेगी। मैं इस पर एक हफ्ते के अंदर बयान दे दूंगा।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बार नहीं अनेकों बार यह सवाल यहां पर आ चुका है कि इस प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गयी है और जब बार-बार यह बात कही जाती है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि पुलिस फोर्स को डिमार-लाइज नहीं करना चाहिये। मान्यवर, पुलिस फोर्स सरकार के कंट्रोल में नहीं रह गयी है। थानों में हर तरह के गलत काम होते हैं और वह गलत कामों के अड्डे बन गये हैं और जो दरोगा और एस0 ओ0 हैं वह उस जिले के पुलिस कप्तान के नियंत्रण में नहीं रह गये हैं।

मान्यवर, बांदा में 6-7 जुलाई की रात्रि में दो सब-इंसपेक्टर सादी पोशाक में गये और जनता पार्टी के कार्यालय के बगल के मकान में घुस गये और किन्हीं लोगों को पकड़ लाये और जब लौटने लगे, पकड़ कर, तो वह जनता पार्टी के कार्यालय में बिना किसी की इजाजत के घुस गये और जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री राम खेलावन तथा दो अन्य कार्य-कर्त्ताओं को गाली गुप्ता दिया और गाली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुप्ता देकर उन लोगों को कोतवाली पकड़ ले गये और कोतवाली में उन लोगों को बैठाये रखा । दो घन्टे के बाद जब कोतवाल आये तो उनको छोड़ा गया । तो मान्यवर, बड़े शर्म की बात है । दोनों सब-इन्स्पेक्टर शराब पिये हुये थे और नशे में बुरी तरह धुत थे। मान्यवर, पुलिस में 80 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं । पुलिस के इस कुकृत्य से बान्दा जनपद की जनता आन्दोलित है, वहां के लोगों में असंतोष फैला हुआ है। मैं मांग करता हूं कि इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे और दोषी पुलिसजनों पर कार्यवाही की जाय इसकी जांच की जाय तथा सही बात सामने लाया जाये । पुलिस सब-इंसपेक्टर्स को बचाने की किसी प्रकार से कोशिश न की जाये । मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे दे, जिससे पूरा मामला स्पष्ट हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

जैसा आपका निर्देश होगा, किया जायेगा, परन्तु माननीय सदस्य ने तो पूरी बात कह दी है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी अगर इस पर कुछ कहना चाहते हों तो कह दें ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी करा लूंगा और माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में सूचना दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इसकी सूचना कब तक दे देंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

इसकी जानकारी करके एक हफ्ते के अन्दर आप को सूचित कर देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा जब आप यहां बैठा करते थे । कार्य-स्थगन में ऐसे केसेज आये थे जिनमें माननीय नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी तथा कुछ अन्य लोग जेल गये थे । उससे कम प्रकृति के अपराध यह नहीं हैं। सवाल प्रदेश की जनता पार्टी का नहीं है । राजनैतिक दलों के कार्य के बारे में हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

वह तो उन्होंने कह दिया । आप तो एक अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं । साढ़े तीन बज गया है और सामान्य चर्चा भी बजट पर होनी है । इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उन्होंने तो यह कहा कि मैं आपको सूचित कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं एक ऐसे गम्भीर मामले के ऊपर आपका ध्यान नियम 56 के अधीन आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि इस देश के गोवंश से सम्बन्धित है । मान्यवर, हमारे प्रदेश से गोवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध है । हमारी जानकारी है कि मुरादाबाद से कुन्दरकी, रामपुर और दलपतपुर स्टेशनों से सैकड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हजारों की संख्या में जवान बैल और गायें हावड़ा, कलकत्ता और बम्बई के बूचड़खानों में उनका वध करके खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है। मान्यवर, गोवंश से हमारे देश का धार्मिक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में उनका वध करके उन्हें निर्यात किया जा रहा है। आप किसी अधिकारी को वहां भेज दें---दलपतपुर स्टेशन पर, जो कि एक ग्रामीण अंचल है, उसके चारों तरफ से बैल इकट्ठा किये जाते हैं, गाय इकट्ठा की जाती हैं और हजारों की संख्या में हावड़ा की ओर ट्रेन भर कर भेजे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई है, देश की कृषि से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इस गम्भीर मामले पर आप सदन में चर्चा करवा दें और मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें। साथ ही मंत्री जी ऐसे आदेश वहां के अधिकारियों को कर दें जिससे यह प्रक्रिया समाप्त हो।

श्री अधिष्ठाता---

मैं इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से एक बहुत ही गम्भीर मसले की ओर ले जाना चाहता हूं। तारीख 26 मई को फिरोजाबाद संत टाकीज से एक गांव पतैयापुरा के चिरौजी नामक व्यक्ति को थाना अध्यक्ष मटसेना सब के सामने पकड़ कर ले गये और उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे हवालात में बन्द कर दिया उसे सैकड़ों लोगों के सामने मारा पीटा और 4 बजे सुबह से लेकर 5 बजे के बीच चकरा गांव पिपुआ गांव के पास सरेआम उस पर गोली मार दी। मान्यवर, वह दरोगा दस्युओं को मारकर इनाम प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार नागरिकों को सरेआम उठाकर बन्द करना तथा बाद में उन्हें सरेआम गोली मारना एक जघन्य अपराध है। मान्यवर, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिये होती है। उसके हाथ में जान की सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन आज कानून की यह स्थिति हो गई है कि वह लोगों की जिन्दगी ले रहे हैं। पुलिस के सामने न कोई कानून है और न कोई शासन रह गया है। दरोगा अनियंत्रित हो रहे हैं। जिसको चाहें पकड़ लेते हैं और गोली मार देते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अहम मसले की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज पुलिस नागरिकों के साथ दस्यु-मुठभेड़ दिखाकर उनकी जिन्दगी को समाप्त कर रही है। मेरी मांग है कि आप तत्काल उस दरोगा को मुअत्तल करें और इस पर सरकार वक्तव्य दे। सी0 आई0 डी0 जांच कराये।

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अंतर्गत जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया था उसमें आज पूरे प्रदेश में आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कानपुर के पूर्ति कार्यालय में विगत 2 वर्षों से 13,700 मीट्रिक टन सीमेंट आवटित हुआ और यह सारा सीमेन्ट फर्जी लोगों के नाम फर्जी संस्थाओं के नाम बांट दिया गया इससे लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। माननीय खाद्य मंत्री जी के पास निश्चित सूचना होगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने क्या कार्यवाही की?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

मान्यवर, कानपुर नगर के पूर्ति कार्यालय में वितरण के संबंध में हुई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में कुछ समय पहले शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से दो बातें पाई गयीं। एक तो जिला प्रशासन द्वारा अनियमित ढंग से लाइसेंस निर्गत किये। शासन की जानकारी में जब तथ्य आये तो यह निर्दिष्ट किया गया कि 12 व्यक्तियों को जिन्होंने अनियमित

रूप से कार्य किया को लाइसेंस का नवीनीकरण न किया जाय। सीमेंट के वितरण में अनियमितता की गयी और फर्जी रूप से सीमेंट का वितरण किया गया। इस संबंध में मैंने इस प्रश्न के पूर्व ही, जैसे ही समाचारपत्रों में यह निकला मैंने निदेश जांच के दे दिये कि इलाहाबाद के मंडलायुक्त सारे प्रकरण की जानकारी करके एक महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट दें।

श्री मित्र सेन--

एस0 के0 सिंह जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई जिन्होंने दो लाख रुपये का घोटाला किया और अपना ट्रान्सफर गोंडा से फिर बनारस करा लिया और जिन्होंने कानपुर में लूट मचाई थी। उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही ही नहीं हुई।

श्री वासुदेव सिंह--

अगर माननीय सदस्य समझना चाहें तो उनके खिलाफ भी गंभीर कार्यवाही हो रही है।

श्री विजय सिंह राणा--

हमारी सूचना का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले ही कह दिया कि सारी सूचनायें स्वीकार नहीं हो सकती हैं। जिनको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है उनके अलावा सभी कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें अस्वीकार की।

(व्यवधान)

आप बैठें श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री रेवती रमण सिंह की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

हमारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना को नियम 51 में स्वीकार किया गया है।

(व्यवधान)

अब हम आगे चलते हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हमारी सूचना आपने स्वीकार नहीं की बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी।

श्री देव कुमार यादव--

बांदा में महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ ज्यादती हुई है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

नियम 56 में मैंने मोदी नगर के मजदूरों का प्रश्न उठाया था वहां पर 40 लोगों की हत्या हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है।

(व्यवधान)

मेरे लिए यह सम्भव नहीं है जितनी सूचना आयें सबको स्वीकार कर लूं। जो रह गये हैं उनको आप सामान्य चर्चा में उठा सकते हैं।

श्री राम नरेश--

एक बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

*श्री राम नरेश—

सारा प्रशासन ठप्प हो गया है जब मत्स्य निदेशालय में नियुक्ति मनमाने ढंग से की जायेगी तो उसका दुष्प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांत रहें । माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, मत्स्य निदेशालय में बहुत असंतोष फैल गया है । वहां काम ठप्प हो गया है । मत्स्य निदेशालय में निदेशक की नियुक्ति फैजाबाद के एक उप निदेशक की कर दी गयी है लेकिन वह उप निदेशक फैजाबाद में ही रहते हैं, वहीं से कार्य देख रहे हैं । इनकी नियुक्ति मंत्री ने बिना मुख्य मंत्री के अनुमति के कर दिया है जबकि मुख्य मंत्री की अनुमति बिना निदेशक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है । यही नहीं वरिष्ठता सूची तक नहीं बनायी गयी है । इससे मत्स्य निदेशालय ही नहीं पूरे प्रदेश के प्रशासन तंत्र में असंतोष व्याप्त है । इसलिए मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री इस मामले की गम्भीरता को देखें ताकि अधिकारियों में असंतोष की भावना व्याप्त न हो ।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वह देखें कि इसके पूर्व नियम 301 में 6-7 सूचनाओं के बजाय आज 12 लिया है, नियम 56 में 3 सूचनायें लेते थे और आज 7 ले लिया है। इसलिए यदि सभी को बोलने का मौका देंगे तो यह सम्भव नहीं होगा और समय बरबाद होगा । सामान्य बजट पर चर्चा का मौका मिलेगा, उसके बाद विभागीय बजट पर चर्चा का समय मिलेगा । इसलिए जो बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनायें थीं उनको लिया । इसलिए अब मैं अनुरोध करूंगा कि सामान्य बजट पर चर्चा शुरू होने दें ।

(एक साथ माननीय सदस्यों के बोलने पर)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहें और बैठ जायं ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

(क्रमागत)†

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इस बजट में जो संकल्प दोहराया गया है शासन की तरफ से कि वह समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्प है, मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि समाजवाद की स्थापना समाजवादी रुपान्तरण

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

केवल मान्यवर, बजट भाषणों या इस देश के संविधान में संशोधन करके समाजवाद शब्द जोड़ने से ही यह नहीं होगा । वैज्ञानिक समाजवाद के लिये संकल्पबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करनी पड़ेगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में हम उम्मीद कर रहे थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 17 जुलाई, 1985 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि समाजवादी कदम के रूप में यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम के अधिकार की घोषणा करेगी। लेकिन ऐसी कोई घोषणा माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ने नहीं की है आज समूचे देश या प्रदेश की जनता यह महसूस कर रही है कि और गुजरात में आरक्षण के सवाल को लेकर जो आग जल रही है और वर्षों से इस देश की आजादी के बाद आरक्षण के सवाल को लेकर कई कमीशन बिठाये गये और मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूरा करने के लिए भी इस देश में और प्रदेश में आन्दोलन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरक्षण रिपोर्टों को शासन द्वारा रद्दी की टोकरियों में डालने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका स्थायी हल किसी जाति विशेष के लोगों को कुछ आरक्षण प्रदान करने से भी नहीं होगा।

आज 21वीं सदी की देहली पर हम खड़े हैं, समाजवादी समाज बनाने के संकल्प को हम दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है हम इस देश के नौजवानों और बेरोजगारों के लिए काम की गारन्टी नहीं दे सके हैं। हम शासन से कहना चाहते हैं कि यदि वास्तव में समाजवाद की तरफ आपका रूझान है तो संविधान में आप यह संस्तुति करें कि संविधान में संशोधन करके राइट आफ वर्क को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाना चाहिये। अन्यथा आरक्षण के सवाल को लेकर गुजरात जैसी आग दूसरे प्रदेशों में भी फैलेगी और इस देश में, जैसा नेताओं ने कहा है, गृहयुद्ध की परिस्थितियां पैदा होंगी। इसलिए मैं शासन से बड़े विनम्रतापूर्वक और बुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अब वह स्थिति आ गई है जब राईट आफ वर्क को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाना चाहिये।

समाजवाद की घोषणा करने वाली सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की बात छोड़ दी है और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही जाती रही है। लेकिन जो बजट केन्द्र में पेश किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि धीरे-धीरे पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा न देकर व्यक्तिगत सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की नीति अन्दर-अन्दर चल रही है। प्राइवेट सेक्टर की जगह पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देकर समाजवाद की ओर निश्चित रूप से हमें जाना चाहिये। समाजवाद का विस्तार नहीं हो रहा है, समाजवादी संस्थाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदेश और देश में नौकरशाही और कुछ पूंजीवादी एजेन्टों के द्वारा इन समाजवादी कदमों को असफल करने का सुनियोजित षड़यंत्र चल रहा है।

अभी राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में चर्चा शून्य प्रहर में हुयी। यह इतना बड़ा निगम है लेकिन घाटे में चल रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी एक बस खरीदता है तो 4 साल में उसके पास 4 बस हो जाती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का राज्य सड़क परिवहन निगम करोड़ों रुपयों की बसों को खरीदकर केवल घाटा पेश करता है, किराया बढ़ाने की बात करता है। जितने भी निगम चल रहे हैं लगभग हर निगम घाटे पर चलता दिखाया जा रहा है। माननीय खाद्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला है उसको असफल करने के लिये सुनियोजित तरीके से षडयन्त्र किया जा रहा है। अगर समय से इन संस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित नहीं किया गया और कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। लोग कहने लगे हैं कि बसों के काम को प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिये, सरकार लगातार किराया बढ़ाती है तब भी निगम घाटे पर चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाये जाने चाहिये।

एक अहम समस्या जो इस सदन के सत्र के दौरान और पहले भी रही है वह है उर्दू को राजभाषा बनाने का सवाल। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी स्पष्ट नीति को घोषित कर देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी ने भी एक दिन इसी पीठ से बैठकर एक निर्देश दिया था कि उर्दू जैसे नाजुक मसले पर किसी व्यक्ति को गैर जिम्मेदारी से वक्तव्य नहीं देना चाहिये। सरकार ने उप चुनाव के दौरान एक अध्यादेश जारी करके उर्दू को राजभाषा बनाने की घोषणा की लेकिन विधेयक सदन में लाया गया और वापस किया गया और आज भी यह सरकार उर्दू के मसले पर अपनी स्पष्ट नीति नहीं रखती है। मैं न केवल उर्दू के हित में बल्कि समाज और राष्ट्रीय एकीकरण के हित में पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर अपनी नीति को स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह उर्दू को राजभाषा बनाना चाहती है अथवा नहीं। आप स्पष्ट रूप से कहें और इस विवाद को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह का वातावरण बन रहा है, जिस तरह से सदन के अन्दर चीजें कही जा रही हैं वह हमारे देश, समाज और प्रदेश के लिये चिंतनीय स्थिति है।

हमें उम्मीद थी कि इस बजट में बुंदेलखंड के बारे में कुछ होगा। मान्यवर, आजादी के दौरान यह बागी धरती रही है। यह रानी झांसी और नवाब बांदा की जमीन है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय एक मिनट और रह गया है।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं अपने ग्रुप का लीडर हूं। मुझे 25 मिनट का समय मिलना चाहिये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे 25 मिनट का समय दें। मान्यवर, बुंदेलखंड के बारे में यह उम्मीद थी कि इसके विकास के लिये कुछ नयी योजनायें लायी जायेंगी। एक बात कही गयी है कि सोयाबीन की खेती को बढ़ावा दिया जायगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोयाबीन की खेती होगी या नहीं ये तो बाद की बात है, हमारे यहां बांदा का केन जल विवाद मध्य प्रदेश के साथ इतना विषम हो गया है कि पिछले कई वर्षों से गेहूं और धान की खेती नष्ट हो गयी है। अगर यह विवाद तय नहीं किया गया तो बांदा में अकाल होगा और वह रेगिस्तान बन जायगा। इसलिये मैं शासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें ध्यान दिया जाय और विवाद समाप्त कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, परम्परा रही है कि 25 मिनट दिये जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

परम्परा के हिसाब से मैं कह रहा हूं। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, बड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी पुलिस दुर्व्यवस्था बांदा में है, उतनी कहीं पर भी नहीं है, कहीं सुना भी नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय देव कुमार यादव जी, आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

(श्री महरन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, हमको कम से कम 25 मिनट मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने दल के एक ही मेम्बर हैं । अब मैं आपको बिलकुल समय नहीं दे सकता हूं ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना पर आप विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं, मैंने माननीय महरम सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मेरे साथ अन्याय न करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब कोई बात माननीय यादव जी की नहीं लिखी जायगी ।

श्री देव कुमार यादव--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यादव जी, आप बैठ जायं, मैंने माननीय महरम सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री देव कुमार यादव--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आपने जो अधिकार हमको सदन के अन्दर दिया गया है, उसके अनुसार मैं आपसे कह रहा हूं, आप कृपा करके बैठ जायं, मैंने माननीय महरम सिंह जी को बुला लिया है ।

माननीय महरम सिंह जी, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

(श्री महरम सिंह के खड़े होने पर)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन में राजनैतिक विचार-धारा के लोग आते हैं, कुछ 100 की तादाद में आते हैं और कुछ एक की तादाद में । मान्यवर, बजट का यह मकसद है कि बजट पर हर विचार-धारा आ जानी चाहिए । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग अपने दल की पालिसी की निशानदेही करना चाहते हैं और अपनी पालिसी के एतबार से बजट की एनालिसिस करना चाहते हैं, उन्हें आपको अधिक समय देना चाहिए । इसको आप स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

हमारे यहां मान्यवर, इस तरह से पुलिस का उत्पीड़न है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यादव जी, आप इस सदन के पहले भी मेम्बर रह चुके हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कपिल जी, आप बैठें, माननीय सईद साहब, आप बैठें माननीय यादव जी, आप बैठें ।

माननीय महरम सिंह, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री महरम सिंह--

मान्यवर, ये दूसरों का समय खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री देव कुमार यादव के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी, आप बैठिये।

माननीय महरम सिंह, आप अपना भाषण आरम्भ करें।

माननीय यादव जी, आप बैठें। माननीय महरम जी आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री महरम सिंह--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यह समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य न भी होता तो, भी इस बजट का समर्थन करता।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी, आप बैठ जाएं। आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री देव कुमार यादव--

मैंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। (श्री देव कुमार यादव सदन के फ्लोर पर आ गए।)

श्री अधिष्ठात --

यादव जी, कृपया अपने स्थान पर जायें।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इनको सस्पेंड किया जाय।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के प्रयास से श्री देव कुमार यादव अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(व्यवधान)

श्री महरम सिंह--

मान्यवर, बजट में कई योजनायें रखी गई हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में योजनाओं का समावेश किया है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को ही नहीं वरन् पूरी प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए बड़ी योजना है। ऊसर और बीहड़ के सुधार के लिए बड़ी योजनायें बनाई गई हैं। ऐसा प्राविधान किसी सरकार ने बजट में नहीं किया। इसमें तमाम योजनाओं का समावेश किया गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

एक-दो उदाहरण दे दीजिए।

श्री महरम सिंह--

आप हमारी विपरीत विचारधारा के हैं, आप अच्छी बात को बुरी बात कहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं कोई त्रुटि रही भी है तो उनका प्रशासनिक स्तर पर सुधार किया जा सकता है। कुछ सुझाव ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्हें मानने में हमें कठिनाई हो सकती है। लेकिन पूरे बजट की आलोचना करना या उसको खराब बताना, कि इसमें प्रदेश के किसी वर्ग की तरक्की के लिए नहीं सोचा गया है यह गलत है। इस बजट में हरिजन, गरीब, और श्रमिकों के लिए छोटे-बड़े सभी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से प्राविधान किया गया है। इस बजट में तमाम पालिटेक्निक खोलने का प्राविधान किया गया है। आज तक किसी बजट में ऐसा नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जहां ऊसर व बीहड़ सुधार का प्राविधान किया गया है वहीं हमारे यहां दरियाओं के अन्तर्गत बहुत सी भूमि बेकार पड़ी रहती है, वहां बहुत सी फसल पैदा की जा सकती है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कमीशन गठित करनी चाहिए और उसे अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि दरियाओं का सुधार कैसे-कैसे किया

जा सकता है। किन-किन चीजों का उत्पादन वहां किया जा सकता है।

एक सुझाव आपके माध्यम से और देना चाहता हूं। फर्रुखाबाद जनपद, जहां से सौभाग्य से मैं चुनकर आया हूं, वह क्षेत्र ऐसा है जहां हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा पोटेटो पैदा होता है और इतने आलू होने के कारण ही वहां 80 कोल्ड-स्टोरेज हैं। इतने कोल्ड स्टोरेज कहीं नहीं हैं। मान्यवर, 42 हजार हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन किया गया। 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन अकेले एक जिले में हुआ। पौने पांच लाख मीट्रिक टन की खपत हमारे कोल्ड स्टोरेज में हो सकती है। भंडार क्षमता कम होने के कारण यह दूसरे प्रदेशों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने का मौका नहीं मिलता है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बजट में जहां मुख्य मन्त्री जी ने विभिन्न फैक्ट्रियां खोलने, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेकों प्राविधान किये हैं उसमें आलू का जिक्र नहीं किया गया है। मैं आलू के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि आलू को उसी पैमाने पर लिया जाय जिस तरीके से गन्ने को लिया जा रहा है। आलू के रखरखाव के लिये और देश के विभिन्न हिस्सों में आलू भेजने के लिये, आलू कोल्ड स्टोरेज बनाये जायं। आलू का कारखाना फर्रुखाबाद में खोलने पर विचार होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में आलू कारपोरेशन गठित करने की मैं जोरदार मांग करता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि के उत्पादन में बहुत सी चीजों का प्राविधान किया गया है तमाम सुविधायें प्रदान की गई हैं। लेकिन उसमें कपास का उत्पादन करने के लिये कोई प्राविधान जोरदारी से नहीं किया गया है। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिये बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर और इलाहाबाद का जहां जिक्र किया गया है वहीं फर्रुखाबाद का जिक्र होना चाहिये। इसलिये होना चाहिये कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे 20 करोड़ से अधिक लागत की बिल्डिंग बनी हुई है। वहां पर मेला लगता है जिसमें उत्तर के और दक्षिण के हजारों यात्री गंगा में स्नान करने के लिये आते हैं और उसको दूसरी काशी कहा जाता है। गंगा के किनारे 20 करोड़ से अधिक की लागत का विशाल विश्रांत भवन बना है। मैं चाहता हूं कि गंगा का प्रदूषण रोकने का जो प्राविधान है उसमें फर्रुखाबाद का नाम जोड़ दिया जाय ताकि वहां भी कार्यवाही हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपने भाईयों से प्रार्थना करता हूं कि आप सर्वसम्मति से इस बजट को पास करें ताकि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बन सके।

श्री देव कुमार यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री देव कुमार यादव—

मैंने एक सूचना दी थी कि एक महिला....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री देव कुमार यादव—

आपने कहा था कि आपको मौका मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियमों के खिलाफ सदन को नहीं चलने दूंगा। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देव कुमार यादव--

एक महिला के साथ बलात्कार...।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था नहीं आप बैठें

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री देव कुमार यादव सदन त्याग करके चले गये।)

श्री राम सरन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं 10 मिनट से पहले ही अपनी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं आंकड़ों वाला आदमी नहीं हूं। मैं आंकड़ों के जाल बट्टे समझता हूं। आंकड़ों में फंस जाती है सरकार, इन आंकड़ों को सरकारी अधिकारी बनाते हैं न ये बनावें न हम बनावें। यहां की जनता के इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं रहता है यह तो डिसमलब बजट है। अगर अपने प्रदेश के आंकड़े सही आपको हासिल करने हैं तो गांवों में जाना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, गरीबों की झोपड़ियों में जाना पड़ेगा और वहां के आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसर और आप वहां के आंकड़े देखें, तिवारी जी, तो पता लगेगा कितने पर्सेन्टेज घटा और कितने पर्सेन्टेज बढ़ा है। मान्यवर, इन्होंने जिस चालाकी से बजट पेश किया है उसका एक आंकड़ा मैं पढ़ना चाहता हूं कि क्या सच्चाई है इनके बजट भाषण में। पेज 3 पर मान्यवर, चीनी के सम्बन्ध में लिखा है :

चीनी का जो उत्पादन वर्ष 1981-82 में 14·85 लाख मीट्रिक टन था जो 35·2 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 1983-84 में 20·08 लाख मीट्रिक टन हुआ और मुझे यह बताया गया कि 1984-85 का भी अच्छा सीजन रहा लेकिन इस साल का जो सीजन खतम हुआ है जिसको आप 1984-85 कहेंगे, अप्रैल तक की चीनी के आंकड़े उनके पास आ गये हैं उसमें चीनी की पदावार कम हुई है। अगले साल चीनी की पैदावार और घटेगी क्योंकि पाइरिला लग गया है। घाटे की बात तो आप छिपा लेंगे और तरक्की की बात यहां पेश करेंगे। घाटे का बजट वही पेश किया करती है जो मनहूस सरकार होती है। घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार सीना तानकर नहीं चला करती है। यह सरकार घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार है। मैं उनके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। इन 2 बातों का अगर कंट्रोल करें तो बजट घाटे का नहीं हो सकता है। इनमें से एक तो भ्रष्टाचार है और दूसरा है फिजूलखर्ची। यह जो आप करते हैं जनाबे आली, इन दो चीजों पर अगर कंट्रोल कर लिया जाये तो यह बजट घाटे का नहीं होगा आपका। मान्यवर, आज सारे प्रदेश में आपके जो अधिकारी लोग हैं वह बिलकुल बेलगाम हो गये हैं। पान्डे जी, यहां थे कहां गये, बस्ती वाले। इलाहाबाद का कलेक्टर जब यहां आयेगा तो कार से आयेगा, ट्रेन से नहीं आयेगा। यह मान्यवर फिजूल-खर्ची नहीं है तो क्या है। इस पर कोई रोक लगायी गयी ? कोई भी कलेक्टर यहां आयेगा एस0 पी0 यहां आयेगा, एस0 एस0 पी0 यहां आयेगा तो कार से आयेगा, सिर्फ 2-4 जिले छोड़ दीजिए जहां रास्ते ठीक नहीं हैं बाकी इलाहाबाद से, देवरिया से, बस्ती से सभी जिलों से कार से आते हैं। आप इन पर रोक लगाइये।

तहसीलों में आपके आदेश हैं, पिछली सरकारों के आदेश हैं कि एस0 डी0

एम0 तहसील हेडक्वार्टर पर रहा करेंगे। लेकिन होता यह है कि एस0 डी0 एम0 साहब शहर में रहते हैं, सुबह जीप से तहसील जाते हैं और शाम को फिर वापस आ जाते हैं। एस0 डी0 एम0 को तहसील पर भेजने का फायदा क्या हुआ। पेट्रोल का खर्च और बढ़ा। इस पर रोक लगाइये। आपके अभियन्ताओं की बड़ी फौज है, चाहे जिस विभाग का अभियन्ता हो, बिजली का हो, सिंचाई का हो या पी0 डब्लू0 डी0 का। प्रोफेसर साहब (श्री वासुदेव सिंह) आप काफी हाउस में बहुत जाते थे। आप उसके पास के चौराहे पर शाम के पांच बजे खड़े हो जाइये। आप देखेंगे, कारें आ रही हैं लिखा है मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और उस पर बैठा कौन है, अभियन्ता। कार कहां की है, पौड़ी गढ़वाल की। तो श्रीमन्, जब अभियन्ता

(हंसी)

सरों पर बैठी रहेंगी, कलक्टरनी सरों पर बैठी रहेंगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। कलेक्टर बाई कार आयेंगे तो पूरी फैमिली लेकर आते हैं। कलेक्टर मीटिंग में भाग लेंगे और कलक्टरनी हजरतगंज घूमेंगी

(हंसी)

श्रीमन्, इस पर कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ेगी।

भ्रष्टाचार पर तो मैं बाद में आऊंगा, उस तरफ के जितने लोग बैठे हैं, वे जितनी बजट की तारीफ करते हैं, एक कर्नल साहब तारीफ कर रहे थे, बधाई दे रहे थ, लेकिन, श्रीमन्, जब ये उधर के बैठने वाले विधायक लोग अपने जिले और क्षेत्र का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई शफाखाना नहीं है, कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है, कोई सड़क नहीं है, तो श्रीमन्, यह विकास कहां हो रहा है? आप बधाई किस बात की दे रहे हैं? जितने उधर बैठे विधायक हैं पहले तो कहते हो कि देश और प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो फिर शफाखाना, स्कूल, सड़क न होने का रोना क्या रोते हो। पहले कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है और फिर कहते हैं कि लड़कियों का स्कूल नहीं है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे सर कार हो रहा है कि आपके सर का हो रहा है। आपका कम्प्यूटर फेल हो गया है। विकास देखना हो तो गांव की गलियों में जाइये। गरीब के झोपड़े में जाकर देख लीजिये। आपकी तरफ कपिल बैठे हैं, इनका गांव मेरे गांव के पास ही है, जरा आप अपने यहां के हरिजनों की हालत देखिये।

आप उन हरिजनों के घरों में खाने की बात तो दूर रही, केवल एक दिन सो करके तो देखिये, तो समझ लेंगे कि विकास कहां हो रहा है। बेहोश हो जायेंगे, एक रात सो कर। क्लोरोफार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े-बड़े हरिजन बैठे हैं यहां पर, बधाई देते हैं बजट को। हमारे घरों की गंदगी उसी तरह मौजूद है, मजदूरों की वही हालत है, तो फिर किस तरह का विकास हो गया है। राजा साहब बैठे हैं। कह रहे थे कि छः महीने में परिवहन निगम को ठीक कर देंगे। आप मेरे साथ सहारनपुर चलें एक दिन बस पर यात्रा कर लें। राजा साहब आपका यह जो खूबसूरत चेहरा है न, यह एक दिन में काला हो जायगा, ऐसा नहीं रहेगा, जैसा है।

मान्यवर, अब मैं भ्रष्टाचार पर कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम सरन जी आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर।

श्री राम सरन--

हरिजनों को जो लोन दिया गया है कहां बने हैं मकान? मान्यवर, आप देखें गांव के 3 फर्लांग दूर उनके लिए मकान बनाये गये हैं।

मान्यवर, छोटे-छोटे मकान दिखेंगे दूर-दराज में और बताया जायेगा कि हरिजन आबादी है। लेकिन, उसमें रह कौन रहा है। मान्यवर, हालत यह है कि अधिकारी उसम पैसा खा गये हैं। अभी माननीय मुलायम सिंह जी बोल गये, माननीय मुख्य मंत्री कह गये कि हमें थानों में नहीं जाना चाहिये। लेकिन, हम तो मजबूर होकर जाते हैं। मिनिस्टर तक थाने पर पहुंचते हैं। मान्यवर, मेरे जिले के एक एम0 एल0 ए0 हैं, जो पैसा लेकर, वहां लोगों की पोस्टिंग कराते हैं। जब जरूरत पड़ेगी मैं उनका नाम लूंगा। यह ला एण्ड आर्डर ठीक करेंगे, यह दरोगाओं के गुलाम हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री राम सरन—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर, मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने प्रदेश के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा के समय मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के जाने माने नियोजन, आर्थिक विकास तथा वित्त के विशेषज्ञ हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में तल्लीन हैं और उनका यह कथन है कि हमारा प्रदेश इस समय उस स्थिति में आ गया है जिसमें यदि हम पूरे संकल्प और परिश्रम से कार्य करने में जुट जायें तो निश्चय ही हम अपनी जनता को पिछड़ेपन के घेरे से बाहर निकाल सकते हैं। सदन के सभी पक्षों को चाहिए कि मुख्य मंत्री एवं कांग्रेस सरकार के उस संकल्प में सहयोग करें।

मान्यवर, प्रदेश के आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी से होता है कि पिछले वर्ष 372.40 करोड़ रुपये ओवर ड्राफ्ट के रूप में लिया। रिजर्व बैंक ने आगे ओवर ड्राफ्ट ड्रा करने पर रोक लगा दी थी। माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 308.88 करोड़ रुपये का मध्य कालीन ऋण स्वीकृत करके प्रदेश को ओवर ड्राफ्ट के बोझ से उबार दिया।

मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश सरकार 1799.94 करोड़ रुपये योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। जिससे 178.60 करोड़ रुपये बजट में घाटा हो रहा है। हमें खुशी है कि सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए कोई नया कर निर्धारित नहीं किया है। केवल बचत एवं बकाये की वसूली से घाटे को सरकार पूरा करना चाहती है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय विकास के लिए केन्द्र और अपनी सरकार से 1075 करोड़ रुपये की एक अलग योजना तैयार की है। पर्वतों का विकास हो, पर्वतीय जनता की आर्थिक स्थिति सुधरे, हम लोगों की यह सद्भावना है। लेकिन मुख्य मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि प्रदेश के पिछड़े इलाके में सबसे बड़ा सम्भाग पूर्वी जिलों का है। जिसमें गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद मंडल आते हैं। मान्यवर, मुझे खेद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद के विकास के लिए कोई ऐसी योजना निर्धारित नहीं है, जिससे पूर्वांचल का विकास हो सके।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पटेल कमीशन की सस्तुति को लागू करने के लिए विशेष निधि के सृजन की बात कही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और चीन के युद्ध के कारण वह योजना खटाई में पड़ गयी। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के

विकास के लिए पटेल आयोग की संस्तुतियों को लागू करायें और उसके विकास के निमित्त योजनाओं को कार्यान्वित करायें तथा एक मास्टर प्लान बनाकर विकास करायें। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद मंडल में उद्योगों के लिए कोई बात नहीं कही गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप माइक से हटकर बोलें, ताकि आवाज ठीक से आ सकें।

त्रियुगी नारायण मिश्र--

पर्वतीय विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्रदेश और केन्द्र सरकार से धन मांगकर बड़े-बड़े उद्योग लगाने की घोषणा की है परन्तु गोरखपुर और वाराणसी मंडल को उसमें शामिल नहीं किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वीकृत बाढ़-ग्रस्त इलाका है। पूर्वी अंचल को बाढ़ से बचाने के लिए एक जल कुण्डी योजना बनी थी, जिसे जनता पार्टी की सरकार ने खटाई में डाल दिया। आज वहां पर बाढ़ नियंत्रण में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है। रुड़की से जब कोई जांच दल वहां पर आता है तो और नदियों के कटान एवं दिशा देख योजना तैयार करता है। तब तक बाढ़ से वहां कटान दूसरी दिशा में हो जाती है या फिर नदी अपनी दिशा बदल लेती है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी मांग है कि गोरखपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली जाय।

बजट में राजधानी क्षेत्र की चर्चा की गई है और करोड़ों रुपये दिया जाता है, विकास करने के लिए, उसी प्रकार मेरी मांग माननीय मुख्य मंत्री जी से व प्रधान मंत्री से मांग है कि गोरखपुर को भी सीमान्त क्षेत्र घोषित किया जाय। यह क्षेत्र नेपाल से मिला हुआ है और सांस्कृतिक केन्द्र है जहां हर साल अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के वी० आई० पी० आते हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता को देखते हुए इसका विकास किया जाय।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि मेडिकल कालेजों के रख-रखाव के लिए विशेष साज-सज्जा के लिए धन दिया है, जिसमें लखनऊ, आगरा और मेरठ मेडिकल कालेज आते हैं लेकिन अफसोस है कि उसमें गोरखपुर को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के विस्तार एवं साज-सज्जा के लिए विशेष योजनायें बनाई जायं और धन दिया जाय।

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ट्यूबवेल बिछाने का प्रयास किया और अपने पिछले वर्ष निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया, जिससे खाद्यान्न का प्रतिशत भी वहां पर बढ़ा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह जल कुण्डी योजना को भी अमल में लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए बजट में सिंचाई विभाग को इस वर्ष अधिक धन भी दिया गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ को रोकने के लिये तीव्र स्थायी योजना तथा विकास के लिये योजना बनाने का प्रयास करें।

आज ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना भी उपहास बन कर रह गयी है। देहातों में विद्युतीकरण के नाम पर खम्भे गड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर बिजली दी जाय। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास सामान्य बजट व सामान्य योजनाओं से होना सम्भव नहीं है। वहां के लिए विशेष योजनायें बनाई जाय। मैं प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी से, सिंचाई मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह जी

से व विद्युत् मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि वहां के विकास के लिए विशेष योजनायें बनाई जायं। उन योजनाओं को बनाते समय अर्थशास्त्री, पत्रकार व विरोधी दल के श्री चन्द्रजीत यादव, चन्द्र शेखर सिंह तथा कांग्रेस के अनुभवी श्री राम कृष्ण द्विवेदी और श्री कृष्णा नन्द राय को शामिल किया जाय क्योंकि पूर्वांचल का विकास, दल से ऊपर उठ कर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। लेकिन एक मिनट का समय आपको और दिया जाता है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से सड़कों का निर्माण कराया है। आप महानगरियों में एक विशेष शैली की सड़कों को बना रहे हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह काम गोरखपुर व फैजाबाद मंडल में उनकी निगाहें नहीं चढ़ पायी। यहां भी मुख्य मन्त्री जी करने का कष्ट करें।

मान्यवर, गोरखपुर को महानगर-पालिका घोषित किए हुए 4 साल का समय बीत चुका है लेकिन उसे नगर-पालिका की सुविधायें अब तक नहीं मिल पाई हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को महा-नगरपालिका में शामिल किया गया है, उनको अभी महानगरपालिका से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आया हूं जो शहीदों की नगरी है। डोहरिया, जहां 1942 में कांड हुआ था क्योंकि ब्रिटिश गोली वर्षा से 9 व्यक्ति शहीद हुए थे। उसे शहीद स्मारक स्थली बनाया जाय।

मैं मुख्य मन्त्री जी को आपके माध्यम से बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं तथा आपकी आज्ञा से अपने क्षेत्र एवं गोरखपुर के विकास के लिये लिखित योजना भेजना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट पर कुछ कहना चाहता हूं. . .

(एक सदस्य, द्वारा बोलने का अवसर न दिये जाने की शिकायत किये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपने नेताओं से कहें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं उन चीजों को प्रकाश में ला रहा हूं जो कमियां हैं। मैं सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों से अनुरोध करूंगा कि यह बजट जिनके लिए पेश हुआ है, मैं उनकी ओर आप को ले जाना चाहता हूं। इस बजट में 32 करोड़ के टैक्स लगाये गये हैं लेकिन उसके साथ पौने दो अरब का घाटा है जिसका बोझ उत्तर प्रदेश की जनता को वहन करना पड़ेगा। वर्ष 1984-85 में यह घाटा 60 करोड़ का था जो वर्ष के अन्त में बढ़ कर चार सौ करोड़ का हो गया था। इस वर्ष का यह घाटा भी पौने दो सौ करोड़ से बढ़ कर एक हजार करोड़ तक जा सकता है। घाटा और टैक्स, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष इसको स्वीकार कर लेता और इसका स्वागत करता यदि जो कुछ हम जनता से लेने जा रहे हैं उसके स्थान पर उसका अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई मिलती उसे यह भरोसा होता कि उसकी आय बढ़ जायेगा उसका उत्पादन बढ़ जायेगा

उसके खरीदने की शक्ति बढ़ जायेगी और उसको अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुएं सस्ती मिलेगी। लेकिन स्थिति इससे भिन्न है। इसमें व्यय की एक धनराशि दी गई है। सरकार इस साल 5 हजार 383 करोड़ 92 लाख व्यय करेगी। किस दिन यह पास हो जाये शासन की चिन्ता तो इसमें लगी है लेकिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बल पर इसे चलना है उन लोगों को इस बात की चिन्ता है कि किस दिन यह बजट पास हो जाय और यह भारी धनराशि मिल जाये तो हमारा हिस्सा, हमारा प्रतिशत, जो अधिकार बन गया है, वह हम को मिल जायगा।

मैं अभी सचिवालय के एक क्लास वन आफिसर से बात कर रहा था। उनका कहना था कि अगर हम किसी सहकारी समिति के सचिव, खाद्य विभाग के इन्स्पेक्टर हो गये होते तो शायद बहुत अच्छे रहते। यह करोड़ों का बजट पास हो जायगा। सत्ता पक्ष के लोग भी सीने पर हाथ रख कर सोचें, क्षेत्र की जनता की तरफ ध्यान दें, इसमें से आधा जायगा बिचौलियों की जेब में और आधा रुपया जो क्षेत्र में लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इतना लगने के बाद भी 6 प्रतिशत की विकास दर तक हम नहीं पहुंच पाएगें। हमारी चिन्ता है कि यह घट कर 4 पर न चली जाय और जो कुछ जनता को देने जा रहे हैं वह बिचौलियों की जेब में चला जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि 5 वर्ष के बाद स्थिति यह होगी कि हम वहीं खड़े दिखाई देंगे जहां से हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में चले थे।

नियोजन के नाम पर बड़ी योजनायें चल रही हैं। विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए पात्र व्यक्ति छांटे जाते हैं। कौन व्यक्ति पात्र है। पात्रता की सूची में आने के गांव में एक महापात्र (ग्राम सेवक) बैठा है जो बिना सौ-दो-सौ लिये कुछ काम नहीं करता है।

बैंकों का 10 प्रतिशत हिस्सा उनका अधिकार सा बन गया है। दुकानदार जानता है कि माल मुझसे ही लिया जाने वाला है, इसलिये वह भी 300 रु0 500 रु0 बढ़ा कर लेता है क्योंकि उसे भी तो कई लोगों को कमीशन देना होता है। पहले तो रिश्वत के मामले में सिंचाई, पी0 डब्लू0 डी0, खाद्य आपूर्ति और कचहरी बदनाम थी। अब सहकारिता विभाग, ब्लाक और बैंक का नाम आगे है, सभी लूट रहे हैं। यह सारा धन जो जा रहा है, उसका केवल 40 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक जायगा, इसका 60 प्रतिशत बिचौलिये खा जायेंगे जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल रहते हैं।

मैं किसी मन्त्री का नाम नहीं लेता हूं, मन्त्री अगर चाहें तो नीचे के लोगों को रोक सकते हैं। यह लूट बन्द होनी चाहिये, लेकिन यह लूट जारी है। यह जो धन जायगा, बिचौलिये बांट खायेंगे। इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कुछ धन निर्माण में भी लगने वाला है। 50 वर्ष पुरानी सड़कें, गलियां और नालियां और विशेष रूप से पुल अभी ऐसे खड़े हैं कि उनको देखकर लगता है कि अभी कल बने हैं, लेकिन अभी दो साल पहले जिन चीजों का निर्माण हुआ, उनके गढ्ढे और दरारें इस कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह रुपया जायगा, हम आप पास कर रहे हैं, लोगों की आंखें लगी हैं कि जिस दिन पास हो जायगा, उस दिन उनको अपना हिस्सा मिलेगा। कितना किस मद पर लग रहा है, हमें देखना चाहिये। यह उत्तर प्रदेश के विकास का सवाल है, लेकिन 5 साल के बाद हम वहीं न खड़े दिखायी दें जहां से चले हैं, तो आप मुझसे बात कीजियेगा।

लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से उद्योग पति भाग रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता--

आपने क्या कहा कि "पति" भाग रहे हैं ?

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

नहीं मान्यवर, मैंने कहा कि उद्योग-पति भाग रहे हैं ।

(हंसी)

इसका कारण यह है कि जो पैसा उद्योगों के लिए मिलना है, ऋण देने वाली एजेन्सियां पहले ही अपना हिस्सा ले लेती हैं, 20-20 इन्सपेक्टर्स लगे हुए हैं । उनके द्वारा उस उद्योगों का दोहन शुरू हो जाता है । अगर कहीं बिजली विभाग ने 6 महीने तक कनेक्शन न दिया तो वह प्रारम्भ से ही "सिक" उद्योग हो जाता है । उत्पादन शुरू होने से पहले उद्योग चलाने वाला व्यक्ति जब लगातार पैसा देता रहता है और उस पर ऋण का ब्याज बढ़ता जाता है तो वह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है । ऐसी हालत में इस बजट को पास करके क्या करेंगे ?

अब मैं कृषि पर आता हूं । उधर से जब माननीय सदस्य भाषण देते हैं मैं ध्यान से सुनता रहता हूं । कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भूमि है उसकी 50 प्रतिशत उर्वर है, जल का अगाध भंडार है । अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश का नाम भूख से होने वाली मौतों में प्रथम क्यों आता है ? भिखारियों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान क्यों है ? बेरोजगारों में हमारा पहला स्थान क्यों है ? इससे स्पष्ट है कि हमारे पास समृद्धि के लिए स्रोत हैं परन्तु व्यवस्था खराब है ।

मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ विभाग घाटे में चल रहे हैं । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कई तो लाखों के घाटे में चल रहे हैं और कई करोड़ों के घाटे में चल रहे हैं । जल संस्थान यदि लाखों के घाटे में है तो परिवहन विभाग करोड़ों के घाटे में है और बिजली विभाग अरबों रुपये के घाटे में है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

बस मान्यवर, एक मिनट और । सरकार के सारे विभाग घाटे में जा रहे हैं । बजट भाषण में जो योजना व्यय है वह मात्र एक तिहाई है । मान्यवर, आप कम से कम इसको समझा दें कि यह जो एक तिहाई आगे के प्लान के लिए निश्चित किया गया है इसमें किसी नये रोजगार का हमें अवसर नहीं मिल पायेगा । नयी योजनायें नहीं बन पायेंगी और कोई तरक्की नहीं हो पायेगी । तो बजट पास करके हम क्या लाभ उठाने वाले हैं ? सत्ता पक्ष केवल आंकड़ों का खेल खेल रहा है लेकिन इससे प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला है । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

अधिष्ठाता महोदय जी, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे सदन के सम्मुख बजट पर अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर प्रदान किया । अभी-अभी जो हमारे विपक्ष के सदस्य ने जो बात कही मैं उनकी विचारधारा का खंडन करती हूं कि उत्तर प्रदेश में भूख से आदमी मरे हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आजादी से पहले बंगाल में 40 लाख लोग भुखमरी का शिकार हुए थे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी बोल रहीं हैं, कृपया आप लोग शान्त हो कर ध्यान से सुनें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो अपना भाषण दिया, वे भी मंत्री रह चुके हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि आजादी से पहले बंगाल में अकाल पड़ा था और उसमें कितने लाख आदमी मरे थे ? क्या आपको यह मालूम है ? उसमें लगभग 40 लाख। आजादी के बाद हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू के होते हुए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आजादी के बाद से आज तक चाहे जहां सूखा पड़ा, बाढ़ आयी, कभी-कभी 5-5 और 6-6 प्रदेशों में एक साथ सूखा पड़ा लेकिन अन्नपूर्णा की अवतार श्रीमती इन्दिरा गांधी की योजनाओं के प्रताप से कहीं कोई भुखमरी नहीं हुई। आज मैं इस बात का प्रतिरोध करती हूं कि विपक्ष के सदस्य ने जो बात कही है, वह सत्य से परे है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिये कि दोनों तरफ वाले तालियां बजा रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं एक महिला हूं, मैं अपने रसोई की अन्नपूर्णा हूं। आपके घर में भी महिलाएं होंगी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपके घर की महिलायें क्या अपनी रसोई की अन्नपूर्णा नहीं हैं ? यह बजट आपके सामने है, मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिनके जीवन के 50 या 60 साल की जो तपस्या है, त्याग है, उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़, जो कि फाईनेन्स को भलीभांति समझते हैं, इसमें रखा है। प्रदेश को कैसे ऊंचा उठाया जाय, गरीबों को दाना देने के लिये क्या किया जाय वे अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने अपने जीवन का सारा रस निचोड़ कर आपके सामने रख दिया है। यह रस निचोड़ करके रखा है। इसको आप दूर से न देखें, जरा हृदय में धारण करके देखें। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर समझने की कोशिश करें।

मान्यवर, सबसे पहले जो इस बजट का विशेष महत्व है, वह यह है कि यह एक ऐसा बजट है कि जो कर मुक्त है, जनता पर कर लगने और उसका शोषण न करने का प्रयास किया गया है। अब मैं एक बार कहना चाहती हूं कि इसका घाटा कैसे पूरा होगा, तो कल्याणकारी योजनाओं में घाटा तो होगा ही, उनमें खर्च होगा ही।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

बजट कितने का है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

(बजट भाषण की प्रति दिखाते हुए) इसमें सब मौजूद है। सारे आंकड़े इसमें हैं। गुरु की बाजीगरी सीखी है। मैं तो हृदय देखती हूं। हमारा जो घाटा है, वह मितव्ययिता, आवश्यकता और अल्प बचत से पूरा होगा। कोई कर जनता पर नहीं लगाया जायेगा। एक प्रकृति का नियम है, उसका रहस्य मैं बताये दे रही हूं। ममतामयी प्रकृति का यह नियम है कि कोई भी कल्याणकारी योजना हो, आप आजमा लीजिये, उसमें कभी कमी नहीं आयेगी। कल्याणकारी योजना गंगा की धारा के समान है, जो सदा आती रहती है। यह प्रकृति का नियम है। आप अपनी लड़की, कन्या का विवाह करते हैं उसकी विदा करते हैं, जो घाटा होता है उसको भगवान पूरा करता है और आपको दामाद मिल जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपना मकान बनाते हैं तो घाटा होता है लेकिन उससे आपको सुविधा मिलती है और आपको आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। आप अपने बच्चे को घाटा करके, घाटे का बजट बनाकर शिक्षित करते हैं और वह आगे चल कर आपके नाम को

करता है, अपने दादा और परदादा का नाम रोशन करता है, इसके साथ ही साथ अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करता है। इस बजट को आप हर ऐंगिल से देखिये। देखिये तो रोशनी है और आंखें बन्द कर लीजिये तो अन्धकार है। पानी बरस रहा है, अगर घड़े को उल्टा रख दें तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आयेगा और सीधा रख दें तो पानी भर जायेगा, तो इसी प्रकार से यह बजट है। यह भगवान की कृपा पर होता है। हृदय मत बन्द कीजिये, उसे खोलिये। जहां तक महिलाओं का सवाल है, जब तक महिलाओं को दबाकर रखा जायेगा, तब तक न आपका कल्याण होगा और न प्रदेश का कल्याण होगा और न देश का ही कल्याण होगा। मैं अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की ओर से आशीर्वाद देती हूं कि भगवान उनको 101 वर्ष उम्र करे जिसने प्रधान मंत्री का पद भार सम्भालते ही लड़कियों की बारहवीं जमात तक फीस माफ कर दी और साथ ही यह निर्देश दिया कि जो भी अनुदान या ऋण या सहायता लोगों के रोजगार के लिये दिया जा रहा है उसमें से 25 प्रतिशत महिलाओं का अंशदान होना आवश्यक है। यह उस लड़के की भावनायें हैं जिसने अभी इस क्षेत्र में पदार्पण किया है।

मान्यवर, जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, उनके प्रशिक्षण का सम्बन्ध है मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं, हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने इस बजट में ऐसी बेरोजगार कन्याओं के लिए और महिलाओं के लिए उनके प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा के लिए तथा उनकी आगे की उन्नति के लिये वित्त विकास निगम और डी0 आर0 डी0 ए0 जैसी विशेष योजनायें बनायी हैं। मैं अपनी बहनों के लिए जो आपके घर में प्रेम और स्नेह का चिराग जलाती हैं और रसोई करके अन्नपूर्णा की तरह रहती हैं, उनकी ओर से भी धन्यवाद देती हूं।

मान्यवर, कृषि का प्रश्न बहुत मुख्य विषय है। मुख्य चीज खाने-पीने की व्यवस्था है। आप लोग घर जायेंगे। आपको भूख लगी हो तो पहले आप हमारी बहन और भावज से कहेंगे- चाय का प्याला . . .

(व्यवधान)

हमारे यहां इतना गेहूं पैदा हुआ कि वह समा नहीं पा रहा है। यह शस्य श्यामला जो है, हरी-भरी धरती नजर आ रही है वह हमारे प्रोफेसर साहब की साधना है, यह उनके अन्दर की सुन्दर सद्भावना है जो आज प्रकृति हमें इस रूप में दे रही है।

आप लोग गन्ने की बात उठाते हैं। आपने गन्ने का पैसा नहीं दिया है, श्रम मूल्य निर्धारित नहीं किया है। आपको बता दूं कि पिछले वर्ष 329.21 करोड़ रुपया दिया है। जोकि 94 प्रतिशत पिछले साल का पैसा दिया जा चुका है। आपने 1977-78, 1978-79, 1979-80 में दिया है? हमने उसे पे किया है। आपने दिया है? आपके पापों को हम धो रहे हैं। हमने उनका प्रायश्चित किया है। मैं आपको याद दिलाती हूं कि जब यहां पर चौधरी चरणसिंह थे। तो कुछ लोग उनके पास पहुंचे। कहने लगे कि साहब हम आपसे उद्घाटन कराना चाहते हैं। चौधरी साहब ने कहा - किस बात का उद्घाटन, चलूंगा तो मैं अवश्य। तब उन्होंने कहा कि उद्घाटन यह कि जो गन्ना खड़ा है उसमें दियासलाई लगा दें। सन् 1982 से आज तक हमने गन्ने का पूरा मूल्य दिया है। आलू इसलिए सड़ गया कि बोरे नहीं थे, यह कहा गया। तो बोरे क्या बनारसी साड़ी हो गई कि वे उपलब्ध नहीं हो सके। मान्यवर, 7 लाख मीट्रिक टन आलू 1985-86 में अनुमानित है और एक-एक आलू आपके घर की रसोई में जायेगा।

मान्यवर, जहां तक कालाबाजारियों का प्रश्न है उसके लिए मैं आपकी महिलाओं को आमंत्रित करती हूं, वे आगे आयें जहां कालाबाजार होता है वहां पर धरना दें

उसी तरह से जैसे शराब की दुकानों के आगे धरना दिया था। कालाबाजारी और चोरबाजारी समाप्त करने में हमारा सहयोग दीजिये।

बिजली के बारे में मैं क्या कहूं हमारे मन्त्री जी बैठे हैं यह बतायेंगे कैसे चांद से हमारे मन्त्री हैं इनके पीछे इनके स्वर्गीय पिता श्री लाल बहादुर शास्त्री की त्याग और तपस्या का साया है यह एक रोशनी लेकर आपके पास आये हैं। जरा इनको समय दीजिये। जो हमारी थरमल की योजनायें हैं जैसे नानपारा, टांडा, ऊंचाहार आदि जब यह चालू हो जायेंगी तो फिर आप देखियेगा कि गली-गली में, एक-एक हरिजन की झोपड़ी में बिजली चमकेगी।

हमारी सिंचाई की जो योजनायें हैं उनको पूरा हो जाने दीजिये जैसे भाखड़ा नांगल के चालू होने के बाद कितना उत्पादन बढ़ा है उसी तरह जब हमारी योजनायें चालू होंगी तो कितना उत्पादन बढ़ेगा वह आप देखेंगे।

(व्यवधान)

मैं यह बजट पर ही बोल रही हूं और आंकड़े आपके लिए छोड़ रखे हैं।

अब मैं उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। इस बजट से हमारी बहुत सी महिलाओं को काम मिल रहा है मैं अपने उद्योग मन्त्री और माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख छोटे उद्योग लगाने का बीड़ा उठाया है। हमारी महिलाओं का जिनका, आज शोषण हो रहा है उनको उठाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। उनके लिए टेलरिंग, बुनाई, कढ़ाई, चरखा कातने, मोमबत्ती, साबुन, माचिस आदि बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है उनको ऊपर उठाने का स्वप्न हमारे मुख्य मन्त्री जी देख रहे हैं। शीघ्र ही उनके लिए यह सारे काम शुरू होंगे इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। छोटी-छोटी इकाइयां जब घरों में चलने लग जायेंगी उससे आपकी महिलाओं को फायदा होगा, औरतों को लड़ने झगड़ने का समय नहीं मिलेगा। हमारे श्रीवास्तव जी यहां पर बैठे हैं वह मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि तीन साल तक आपने कितने उद्योग खोलने का निर्णय लिया और कितने खोले। हम तो एक लाख उद्योग खोलने की हिम्मत रखते हैं और आपकी महिलाओं के पास छोटी-छोटी मशीनें होंगी, निटिंग मशीनें होंगी और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा।

मैं श्री राजीव गांधी की विशेष रूप से आभारी हूं कि जिन्होंने शासन संभालते ही सबसे पहले अपनी शाश्वत मां जो आपकी भी मां हैं, जो आपकी भी हैं और मेरी भी हैं, के लिए गंगा की धारा की तरह अपनी आंखों में दो आंसू बहाकर गंगा जी को अर्घ्य दिया। गंगा जी एक महिला का रूप हैं, गंगा जी हमारी संस्कृति से, हमारे जीवन से हमारे बाल-बच्चों की भावनाओं से उसी तरह जुड़ी है जैसे मां की गोदी में बच्चा होता है, उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए जो आपको आह्वान किया है कि मां के जल को स्वच्छ करें। इसलिये हमारी कल्याणकारी योजना में आप सहयोग दें और देखें कि हम उत्तर प्रदेश को कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद।

श्री अफजाल अंसारी—

मान्यवर, मुझे आपने मुख्य मन्त्री जी द्वारा पेश किये गये बजट के ऊपर सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट में सातवीं पंच वर्षीय योजना का आकार 11 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें मात्र 1985-86 की वार्षिक योजना का आकार 1750 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस बजट में मुख्य रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कृषि के विकास के लिए बहुत सी बातें कही हैं और विशेष

रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास की बात कही गई है लेकिन सिर्फ योजना बनाने से कृषि में कतई विकास नहीं हो पायेगा। मान्यवर, कृषि के विकास के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यदि समय से किसानों को बिजली दी जाये, कम दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराये जायं, अच्छी खाद की व्यवस्था की जाये तो निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास हो सकेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और अधिकतर मात्र कृषि पर निर्भर है, इसलिए सर्वप्रथम इस सरकार का धर्म होता है कि सबसे पहले गांव का विकास हो और वह तभी संभव है जब कृषि के विकास के लिए विशेष रूप से योजना बनायी जाये और उसे लागू किया जाय।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले गाजीपुर की विपदाओं की ओर इस सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारा गाजीपुर जनपद कभी सूखाग्रस्त, कभी पेयजल से त्रस्त और इस समय बाढ़ग्रस्त है। हमेशा से पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह पिछड़ा जिला रहा है जहां विकास की कोई भी विशेष योजना अब तक नहीं लागू की गई जिसके कारण जिले में बेरोजगारी न दूर हो सकी और न ही कृषि का विकास ही हो सका है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इस बजट में सातवीं पंच वर्षीय योजना में मुख्य मन्त्री ने कहा है कि एक हजार से 1500 तक आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार 1971 की जनगणना को आधार मानकर ये योजना बनाई गई है जबकि 1981 की जनगणना हो चुकी है तो इसको आधार मानकर एक हजार और 1500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनानी चाहिये।

मान्यवर, जहां तक विद्युत् का प्रश्न है, विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन करके विद्युत् व्यवस्था में सुधार की बात कही गयी है जबकि यह संभव नहीं है। यदि टाटा और बिरला को दी जाने वाली विद्युत् में से कुछ भी कटौती की जाये और उस बची हुयी बिजली को किसानों में वितरित किया जाए, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रति दिन गिरती जा रही है। जो क्षेत्र कभी दस्यु प्रभावित भी नहीं रहे, उन क्षेत्रों में भी प्रतिवर्ष पचासों बेगुनाहों को मुठ-भेड़ के नाम पर, फर्जी एन्काउन्टर दिखा कर गोली मार दी जाती है। हमारे गाजीपुर जनपद में एक दरोगा त्रिपाठी जिन्होंने सन् 81 से 83 के बीच में मात्र 13 एन्काउन्टरों में 15 आदमियों को मार डाला था, उसके बाद पनिशमेंट के नाम पर जब उनका स्थानान्तरण उसी जनपद के करीमुद्दीनपुर थाने में किया गया, तो वहां पर एक ही रात में उन्होंने एक ही परिवार के चार लोगों का एक बाप और तीन बेटों को गोली से मार डाला। इन लोगों को भी, डाकू घोषित करके गोली मार दी गयी जबकि उनमें से कोई भी किसी केस में मुलजिम तक नहीं रहा है।

इसी तरह बुनकरों की भी समस्या है। उत्तर प्रदेश में 75 लाख आदमी बुनकर हैं और कपड़े बुनना इनका मुख्य धंधा है। इन बुनकरों का शोषण इस वक्त में इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं समझता हूं कि अन्य किसी मजदूर वर्गों का इतना शोषण इस समय नहीं किया जा रहा है। बाजार से यह महंगे दामों पर सूत खरीदते हैं और फिर उनसे कपड़ा बुनते हैं। उनके बुने हुये कपड़ों को खरीदने के लिए सरकार ने कोई सरकारी एजेंसी की व्यवस्था मुकर्रर नहीं की है, जिससे सेठ और साहूकार लोग उनका मनमाने ढंग से शोषण करते हैं और यह सेठों के रहमोकरम पर छोड़ दिये गये हैं। ये कांग्रेस की सरकार यह दावा करती है कि ग्रामीण अंचलों में जो ग्राम समाज की

भूमि है, उसको भूमिहीनों में आवंटित किया जा रहा है और अधिकतर कर भी दिया गया है, लेकिन मैं अपने गाजीपुर जिले की ओर, खासकर मोहम्मदाबाद तहसील की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर आवंटन की कार्यवाही ढ़ाई साल पहले कर लेने के बाद भी, उस पर अब तक प्रशासन द्वारा स्वीकृति की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार वीरपुर, जोगा, बेशन फिरोजपुर, अवमही और सुनारी आदि तमाम गांवों में अभी तक भूमिहीनों को भूमि नहीं दिलाई गई है।

मान्यवर, अब इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से नेता सदन से विशेष अनुरोध करूंगा कि मोहम्मदाबाद कस्बे में एक डिग्री कालेज की स्थापना राजकीय स्तर से की जानी चाहिये। क्योंकि उसकी आबादी 25 हजार है और वहां के विद्यार्थियों को पच्चीसों किलोमीटर दूर गाजीपुर डिग्री कालेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अब अन्त में मैं ये चार लाइनें इस सरकार की खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो हमारे जनपद के मजदूर किसान और बुनकर भाइयों ने हमें यह कह कर दी हैं कि इनको हमारी तरफ से कांग्रेसी सरकार की खिदमत में यहां पेश कर दीजियेगा। क्योंकि यह कांग्रेसी सरकार सत्ता में आने के बाद मगरूर हो चुकी है। यह लाइनें हैं—

आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जायेगी।
बस वही शाख बचेगी जो लचक जायेगी।
आसमां छूने का हो जायेगा खुद अन्दाजा।
जब जमीं पांव के नीचे से सरक जायेगी।

*उर्जा मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जहां एक ओर नयी-नयी परियोजनाओं को समय के अन्दर पूरा करने की बात कही है वहीं दूसरी ओर विद्युत् वितरण को कितना सुदृढ़ किया जा सके, उसके सम्बन्ध में उन्होंने विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन की चर्चा की। श्रीमन् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया गया है और उसके दो प्रमुख हिस्से बनाये गये हैं, एक उत्पादन और एक वितरण। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि इसका कितना अधिक महत्व है। दोनों हिस्सों का कार्य बिल्कुल अलग है। उत्पादन का कार्य, चाहे तापीय विद्युत् उत्पादन की बात हो या चाहे जल विद्युत् उत्पादन की बात हो। यह उत्पादन हिस्से की जिम्मेदारी है। वितरण के माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं तक विद्युत् की आपूर्ति करते हैं, यह वितरण हिस्से की जिम्मेदारी है। तो आज हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विद्युत् उत्पादन की जिम्मेदारी हम राज्य विद्युत् परिषद् के कुछ अधिकारियों को सौंप दें। यह जिम्मेदारी महाप्रबन्धकों के ऊपर सौंपी जायगी और यह सुनिश्चित किया जायगा कि जितनी भी विद्युत् पैदा की जायगी वह उसे वितरण की जो शाखा है उसको बेच देंगे।

वितरण शाखा का प्रमुख कार्य यह होगा कि जो विद्युत् वह लेंगे उत्पादन शाखा से उसे हर क्षेत्र में चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या चाहे घरेलू बिजली की आवश्यकता की बात हो, उपभोक्ताओं तक वितरण शाखा बिजली पहुंचायेगी। पुनर्गठन के पश्चात् अब इसको दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है और दो मुख्य अभियन्ता, जिनको हम सदस्य कहते हैं उनको, एक को उत्पादन शाखा का और दूसरे को वितरण शाखा के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक लेखा या एकाउन्टिंग सिस्टम का सवाल है वह भी हमारे जो महाप्रबन्धक विद्युत् गृहों के होंगे उनके स्तर पर देखा जायगा। अभी तक सदस्य (वित्त) जो यहां पर परिषद् में बैठते हैं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते थे। बुक कीपिंग को हम कितना सुदृढ़ कर सकें इसकी जिम्मेदारी हमने अब महाप्रबन्धक के स्तर पर सौंप दी है। अब महाप्रबन्धक इसको सुनिश्चित करेंगे कि जितनी बिजली वह पैदा कर सकें उतना ही पैसा उनको वितरण शाखा से प्राप्त होगा और उस पैसे के माध्यम से वह अपने नवीनीकरण की बात सोच सकते हैं और अपनी मशीनों के रख-रखाव की बात सोच सकते हैं। वह वहां पर अगर चाहें तो वहां के कार्यरत कर्मचारी जो हैं उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं। यह धनराशि उनको वितरण शाखा से प्राप्त होगी तब उनके कार्य की समीक्षा सही प्रकार से की जा सकेगी।

इसी प्रकार से वितरण शाखा को भी धनराशि वसूल करनी होगी उपभोक्ताओं से चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हों या चाहे कृषि के क्षेत्र में हों या चाहे घरेलू बिजली के क्षेत्र में हो। यहां पर हम जिम्मेदारी एक सहायक अभियन्ता के स्तर पर सौंप देंगे। तो यह कार्यवाही की जा रही है इसमें कुछ समय लगेगा। जब कोई बड़ा कार्य हाथ में लिया जाता है तो कुछ समय लगता है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसके माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देंगे, क्योंकि अभी एक उपभोक्ता को काफी कठिनाइयां होती हैं, अगर बिल में गलती आ गयी तो उसको जगह-जगह पर जाना पड़ता है। हम एक अधिकारी के स्तर पर यह जिम्मेदारी सौंप देंगे और उपभोक्ता को भी एक ही कार्यालय पर जाकर अपनी जो समस्या है उसे अवगत करा देना होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या समय बढ़ा दिया गया है? समय तो आपने बढ़ाया नहीं है?

श्री अधिष्ठाता--

जब तक हम बठे हैं, उस समय तक समय बढ़ा है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

कोरम भी तो पूरा नहीं है?

श्री अधिष्ठाता--

कोरम पूरा है।

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हर प्रकार से विद्युत् व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और इसके लिए अधिक से अधिक धनराशि हमारे इस बजट में विद्युत् व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए आवंटित की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से हमारी परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिस तरह से हम तापीय क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी जल विद्युत् की क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्रीय निगम है, एन0 टी0 पी0 सी0 योजनायें यहां पर उत्तर प्रदेश में चालू की गयी है, उसमें भी हमारा हिस्सा होता है। उसमें भी हमको कुछ बिजली मिलती है। तो इन सब बातों को देखते हुए आगे आने वाले समयों में हम यहां तक पहुंचेंगे कि जो विद्युत् की मांग है उसकी आपूर्ति हम लगभग 70-75 फीसदी पूरी मात्रा में कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त हम और भी नयी-नयी योजनाओं के सम्बन्ध में भी बात कर रहे हैं, जैसे गैस विद्युत् एवं बाम्बे हाई गैस योजना की बात चल रही है। तो यह अगर मिल जायेंगे तो हम और भी बिजली पैदा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम 1995 तक अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे 1 लाख 12 हजार, 561 गांव हैं, हर गांव में हम बिजली पहुंचा दें। अब तक हमने 63 हजार गांवों में विद्युतीकरण किया है

आगे आने वाले समयों में हम यह प्रयास कर रहे हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्राविधान भी धनराशि का किया है। उसमें 80,000 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, यह जब 5 बज गया, तो बिना सदन का टाइम बढ़ाये हुए, कैसे सदन चला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप नियम देख लें, नियमों में व्यवस्था है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

यह मान्यवर, किस नियम में है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, प्रस्ताव प्रस्तुत करा दें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे हैं, तो क्या और माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इसको हम देखेंगे।

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगों की बिजली काट कर ग्रामीण अंचलों को दी जाय। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ी है, हमने विद्युत की कटौती की है और ग्रामीण अंचलों में विद्युत देने की व्यवस्था की है। अकेले कृषि से विकास नहीं हो सकता है। हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की बात सोचनी होगी और नये-नये उद्योगों को भी लगाना होगा, जैसे हमारे बजट में कहा गया है, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए, डिप्लोमा कोर्स पालिटेक्निक के माध्यम से इंजीनियरिंग पालिटेक्निक के माध्यम से डिग्री कोर्स के लिए कदम उठाया जा रहा है, ताकि हर तरफ से विकास किया जा सके और हम अपने प्रदेश को आगे ले जायें।

मैं समझता हूं ऊर्जा एक ऐसी आवश्यकता है कि अगर बिजली न हो तो किसी भी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं है, तो बिजली की आवश्यकता की पूर्ति की जिम्मेदारी शासन ने बहुत ही चुनौती के रूप में ली है। और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धनराशि हम ऊर्जा की व्यवस्था में विकास हेतु आवंटित करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से इसमें बहुत सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आपका पुनः आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के सम्बन्ध में कहने का अवसर दिया। मैं अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से उनकी भावनाओं का आदर करता हूं साथ ही इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 18-7-85 के उपवेशन में मुझे नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इसमें एक सूचना जो श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दी गई है और जो लखनऊ के थाना तालकटोरा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक द्वारा राजकुमार की पुलिस कस्टडी में हत्या के विषय में है, को स्वीकार करता हूं। शेष अस्वीकार हुई।

अब हम उठते हैं। 22 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 12 मिनट पर सोमवार, 22 जुलाई, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

18 जुलाई, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर।)

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मुख्य-मुख्य मांगों का विवरण

क्रम-संख्या	मांग	कृत कार्यवाही व स्थिति
1	ग्रामीण प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति	ग्रामीण प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में आयुर्वेद निदेशक से प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
2	स्नातकोत्तर भत्ता की स्वीकृति	इस मांग के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।
3	समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति	समयबद्ध वेतनमान के सम्बन्ध में भी वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।
4	वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान में द्वितीय प्रक्रिया द्वारा वेतन निर्धारण में सम्पूर्ण सेवाकाल की गणना किया जाना	इस मांग को शासन द्वारा विचारोपरांत स्वीकार किया जाना संभव नहीं पाया गया।
5	राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालाओं में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दिनांक 21-1-1978 से वेतनक्रम 550-1200 प्रदान करने के सम्बन्ध में	इस मांग के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	मांग	कृत कार्यवाही व स्थिति
6	रिक्त पदों तथा क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा), उपनिदेशक आयुर्वेदिक/यूनानी पर नियुक्तियां की जायं	रिक्त पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
7	सेलेक्शन ग्रेड में चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां की जायं और इसके लिये सम्पूर्ण सेवाकाल को जोड़ा जाय	सेलेक्शन ग्रेड में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मांग थी कि उनके सम्पूर्ण सेवाकाल की अवधि को जोड़ते हुए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय । वित्त विभाग की सहमति के अनुसार अब पहले की व्यवस्था से अधिक सेवा को जोड़ने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।
8	सेवा नियमावली का प्रकाशन	सेवा नियमावली को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है ।
9	वरिष्ठता सूची का प्रकाशन	शासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और प्रकाशित कर सभी सम्बन्धित को वितरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
10	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा का वेतनमान अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के समकक्ष किये जाने के सम्बन्ध में	शासन द्वारा विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है ।
11	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को एन0 पी0 ए0 तथा एन0 पी0 पी0 प्रदान किया जाना	शासन द्वारा विचारोपरान्त यह मांग अस्वीकृत कर दी गयी है ।
12	चिकित्साधिकारियों को निःशुल्क आवास या उसके बदले आवास भत्ता अनुमन्य किया जाना	आयुर्वेद चिकित्सालयों पर आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है । आवास भत्ते के मामले में वित्त विभाग द्वारा संहृत रूप से विचार हेतु एक समिति बनायी गयी थी । उसकी संस्तुति मिलकर उस पर शासन के निर्णय आने पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती की बांसी तहसील में फसल बीमा कराने वाले कृषकों का विवरण।

(क) खरीफ 1983-84

क्रम-संख्या	प्राइमरी सहकारी समिति का नाम	गांव का नाम	किसान का नाम
1	2	3	4
			सर्वश्री—
1	कि0 से0 सहकारी समिति रुधौली	असनहरा	1—राम लखन।
		वेलभरिया	2—मोती राम।
		वेलभरिया	3—धुप चन्द्र।
		वेलभरिया	4—रामदीन।
		वेलभरिया	5—बाबुल्लाह।
		वेलभरिया	6—राम लखन।
		महुआ	7—राम उजागिर।
		बेलभरिया	8—भरथ।
		महुआ	9—प्रहलाद।
		महुआ	10—राम लखन।
		महुआ	11—शिव प्रसाद।
		महुआ	12—कामता।
		महुआ	13—छविलाल।
		महुआ	14—सेत।
		वेलभरिया	15—थम्हन।
2	कि0 सेवा सह0 स0 लि0, तिलौला	डढ़िया	1—दुलारे पुत्र तोखई।
		मखटिया	2—राजकुमार पुत्र दूबर।
		नचनी	3—अवध प्रसाद।
		पोखरा मिटवा	4—गयादीन पुत्र सबल।
		बनकेगांव	5—मु0 मोहरबानों पत्नी बोस्त मु0।
		तुलसिया	6—बद्री पुत्र भरोसे।
		कोल्हुई	7—सुखराम पुत्र कल्लू।

1	2	3	4
2	कि0 सेवा सह0 स0 लि0		सर्वश्री--
	तिलौला	तिलौला	8--झिंकू पुत्र छोटकूने ।
		धंधापार	9--मु0 फारूख ।
		धंधापार	10--श्रीमती श्रीपति देवी पत्नी भइय ।
		बहादुरपुर	11--बरसाती पुत्र फागू ।
		बनके गांव	12--गौरी पुत्र भरोसे ।
		बनके गांव	13--नियाद अली ।
		ननाव	14--धन्नू पुत्र शिव नारायण ।
		ननाव	15--मितई पुत्र भगन ।
3	सा0 सह0 समि0 लि0 कोटिया गड़ोरी	तिगोड़िवा	1--राम फेर ।
		तिगोड़िवा	2--राम लगन ।
		तिगोड़िवा	3--राम संवारे पुत्र बद्री ।
		तिगोड़िवा	4--राम संवारे पुत्र राम नरायण ।
		तिगोड़िया	5--अब्दुल समद ।
		तिगोड़िया	6--अमीन ।
		तिगोड़िया	7--चिरकुट ।
		तिगोड़वा	8--हददीश ।
		तिगोड़वा	9--ओरी ।
		तिगोड़वा	10--सूर्यनाथ ।
		तिगोड़वा	11--सीताराम ।
		तिगोड़वा	12--राजाराम ।
		तिगोड़वा	13--लालजादे ।
		तिगोड़वा	14--बलिराज ।
		तिगोड़वा	15--सुमिरन ।
		(ख) रबी -1983-84	
1	कि0 से0 सहकारी समिति रघौली	लखनपुरवा	1--सन्त राम ।
		लखनपुरवा	2--अधारे ।
		मिसिहरा	3--किताबुल्लाह ।
		कड़सरा	4--चन्द्रभान ।
		बेलमारिया	5--रामहसे ।

1	2	3	4
			सर्वश्री--
		असनहरा	6--राम लखन ।
		पतेड़वा	7--राम सुरेमन ।
		मिसिहरा	8--छोटके ।
		बखरिया	9--अब्दुल रहमान ।
		बुड़सरा	10--हरिशचन्द्र ।
		मेसाहिया	11--राम सरिक ।
		अरदा	12--अगरदी ।
		बड़सरा	13--गंगाराम ।
		असनहरा	14--भोखुल्लाह ।
		असनहरा	15--जैस मुहम्मद ।
		असनहरा	16--नजीर अहमद ।
		पतिया	17--पूदन ।
		कपिया सोमन	18--उदयराज ।
		कपिया सोमन	19--बदरी ।
2	सा0 स0 समिति लि0, उसकी	देवरिया	1--बिसमिल्लाह पुत्र इस्माइल ।
		उसका	2--लल्लन प्रसाद पुत्र चन्द्र बिहारी ।
		महदेवा	3--विश्राम पुत्र सुल्खू ।
		सिहोरिया	4--राजा राम पुत्र भवानी प्रसाद ।
		पड़िया	5--चम्पा प्रसाद पुत्र लल्लन प्रसाद ।
		देवरिया	6--सुकुरू पुत्र मोहर्रम ।
		खाखवारी	7--राम उजागिर पुत्र बृज पाल ।
		सिहोरिया	8--विश्वनाथ पुत्र सुरेश ।
		सिहोरिया	9--जगदम्बिका पुत्र लल्लन ।
		भरमा	10--राम प्रसाद पुत्र धनपत ।
		देवरिया	11--वाजिद अली ।
		सिहोरिया	12--बिभोरी लाल ।

1	2	3	4
			सर्वश्री—
3	सा0 सहकारी समिति सोनखार नानकारा	नगवा	1—रमापति ।
		सुधबक्सी	2—दया राम ।
		सुधबक्सी	3—पुरदीन ।
		सोनरवा	4—सुमेलाल ।
		सोनरवा	5—खेताऊ ।
		सोनरवा	6—श्री राम ।
		सोनरवा	7—हरि राम ।
		बमनी	8—मु0 यूनुस ।
		नगवा	9—राम ललित ।
		बमनी	10—मु0 कोइली ।
		सोनरवा	11—चौथी ।
		सोनरवा	12—सोमई ।
		सोनरवा	13—गंगा राम ।
		सोनरवा	14—गोमती ।
	कि0 सा0 सहकारी समिति लि0, तिलौला	रमवापुर दुबे	1—नरायण दास ।
		रमवापुर दुबे	2—गनपत ।
		रमवापुर दुबे	3—जयनाथ ।
		रमवापुर दुबे	4—भगमल ।
		रमवापुर दुबे	5—बुझारत ।
		रमवापुर दुबे	6—सूर्यमणि ।
		रमवापुर दुबे	7—राम आसरे ।
		रमवापुर दुबे	8—राम आधारे ।
		नदाव	9—दुरको ।
		नदाव	10—ढोलई ।
		नदाव	11—झिन्खू ।
		नदाव	12—भरोसे ।
		नदाव	13—रामवतन ।
		नदाव	14—बेच ।
		नदाव	15—बैठोले ।
		नदाव	16—धन्नू ।
		नदाव	17—सोहन ।

1	2	3	4
			सर्वश्री---
		नदाव	18--छब्बन ।
		तिलौला	19--शिव शंकर ।
		तिलौला	20--मिन्नू ।
		तिलौला	21--विन्ध्याचल ।
		तिलौला	22--छांगुर ।
		तिलौला	23--झिनकू ।
		तिलौला	24--राम अधारे ।
		तिलौनी	25--राम नारायण ।
		तिलौनी	26--सोमई ।
		तिलौनी	27--बीरत ।
		तिलौनी	28--तमेसर ।
		धंधापार	29--जैसमोहम्मद ।
		धंधापार	30--दिलजन ।
		जमुनी	31--राम लाल ।
		पौड़ी खुर्द	32--राम सुन्दर ।
		तिलौला	33--दीना नाथ ।
		पोखरा भिटवा	34--बंसू ।
		पोखरा भिटवा	35--टिल्लू ।
		दानाकोड़ा	36--राम लगन मिश्र ।
		बेलगढ़ी	37--शिव कुमार ।
		पोखरा भिटवा	38--गयादीन ।
		दानोकुईया	39--रामरूप ।
		पोखरा भिटवा	40--बमभोले ।
		पोखरा भिटवा	41--सख्त अली ।
		बेलगढ़ी	42--अब्दुल हई ।
		पोखरा भिटवा	43--रोजन ।
		दान कुईया	44--राम लगन ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)।

सीमान्त पर्वतीय जनपदों (पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली) में खाद्यान्न चीनी की ढुलाई की दरें।

जनपद का नाम	ढुलान दर
	(प्रति कुन्तल)
1—पिथौरागढ़	7 रु० से 30·80 रु०
2—उत्तरकाशी	39·50 रु० से 63·50 रु०।
3—चमोली	11·94 रु० से 29·98 रु०।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सीमेन्ट की ढुलाई की दरें

पर्वतीय क्षेत्र में

	प्रतिटन/कि०मी०
0 से 100 कि०मी० तक	1·40 रु० से 1·50 रु०
101 से 350 कि०मी० तक	80 पैसे से 88 पैसे
351 से ऊपर कि०मी० तक	74 पैसे से 79 पैसे
कच्ची सड़कों के लिए—	
0 से 100 कि०मी० तक	1·66 रु०
101 से 350 कि०मी० तक	95 पैसे
351 से ऊपर कि०मी० तक	86 पैसे

2—पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी सीमान्त जिलों के लिए पूर्व की भांति 20 प्रतिशत अतिरिक्त सड़क भाड़े की दर देय होगी।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।

3 वर्ष से अधिक समय से एक ही काउन्टर पर कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सूची।

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम
	सर्वश्री---
1	बी0 बी0 लाल (द्वितीय)
2	एम0 सी0 तिवारी
3	जे0 एन0 विश्वकर्मा
4	श्याम लाल
5	एस0 कैशर हुसैन
6	बी0 एन0 सिंह
7	बी0 के0 शर्मा
8	जगदीश नारायन
9	एस0 एन0 उपाध्याय
10	राम धनी सिंह
11	ए0 के0 सक्सेना
12	के0 एस0 सिंह
13	ए0 पी0 मिश्रा
14	एस0 एन0 मेहरोत्रा
15	एस0 एन0 चतुर्वेदी
16	डी0 पी0 श्रीवास्तव
17	शुएब अली
18	ए0 सी0 दास
19	सुन्दर लाल
20	सुशान्त बोस
21	आरिफ इरफान
22	के0 एल0 श्रीवास्तव
23	एस0 आर0 गुप्ता
24	ठाकुर प्रसाद यादव
25	जयन्ती प्रसाद
26	कुमारी नीलम मिश्रा
	सर्वश्री---
27	आर0 के0 पान्डे
28	सगीर जैदी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम
	सर्वश्री--
29	अतुल कुमार सक्सेना
30	आर0 एन0 सिंह
31	एच0 एस0 कैडा
32	अशोक कुमार श्रीवास्तव
33	हरीश चन्द्र
34	डी0 एन0 वर्मा
35	एस0 के0 गुप्ता
36	पी0 के0 सक्सेना
37	एस0 सी0 गुप्ता
38	बी0 डी0 लाल
39	के0 एल0 शुक्ला
40	श्रीमती मीरा देवी
	सर्वश्री--
41	एच0 के0 बाजपेयी
42	प्रेम चन्द्र गुप्ता (1)
43	बी0 पी0 आहूजा
44	के0 एस0 निगम
45	ज़की उद्दीन
46	जग्गूराम
47	आर0 सी0 बनर्जी
48	श्रीमती निर्मल शर्मा
	सर्वश्री--
49	प्यारे लाल
50	वाई0 वी0 अस्थाना
51	एम0 एस0 चौहान
52	कु0 कमलेश अग्रवाल
	सर्वश्री--
53	एस0 पी0 एस0 यादव
54	राम कुमार राम
55	अभय कुमार पान्डे
56	ए0 बनर्जी
57	मो0 मजहर
58	जानकी प्रसाद
59	जी0 एस0 अग्रवाल
60	धर्मेन्द्र नाथ
61	लालता प्रसाद

विधान सभा

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम
	सर्वश्री--
62	अब्दुल वहीद
63	नागेन्द्र सिंह
64	नौशाद अली
65	रघुनाथ प्रसाद
66	एस0 एन0 शुक्ला
67	एम0 पी0 जैसवाल
68	बी0 एम0 बालानी
69	एल0 पी0 श्रीवास्तव
70	जे0 आर0 गुप्ता
71	ए0 एच0 खान
72	मोती राम
73	बी0 एन0 मुकर्जी
74	राजबीर
75	आर0 के0 दीक्षित
76	मोईनुल हसन
77	बी0 के0 श्रीवास्तव
78	राम किशोर अग्रवाल
79	राम शंकर श्रीवास्तव
80	डी0 एन0 सिन्हा
81	श्री राम यादव
82	जे0 के0 लाल
83	एम0 सी0 पाण्डे
84	के0 सी0 मिश्रा
85	डोरी लाल
86	एस0 के0 चतुर्वेदी
87	छेदी लाल
88	आलोक कुमार
89	भोला राम गुप्ता
90	जे0 एस0 अग्रवाल
91	आर0 एन0 मिश्रा
92	श्रीमती वहीदा बेगम
	सर्वश्री--
93	सरोज सिंह
94	विकास चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर ।)

अल्मोड़ा जनपद में दिनांक 1-5-1985 तक स्थापित खाद्य विभाग के किराये के खाद्यान्न गोदामों के नाम, क्षमता एवं उक्त अवधि तक संग्रहीत खाद्यान्नों का विवरण (मी0 टन) ।

क्रम सं0	खाद्यान्न भण्डार का नाम	भण्डारण क्षमता	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5
1	अल्मोड़ा	6000	2364	718
2	रानीखेत	3359	2102	1011
3	बागेश्वर	5338	1912	620
4	द्वाराहाट	2215	532	165
5	भराड़ी	1628	306	208
6	उगिया	216	175	15
7	करमी	1520	52	02
8	तलाई	1525	14	01
9	लौहारखेत	965	202	09
10	शामा	1124	144	191
11	सोमेश्वर	2026	627	191
12	शहरफाटक	1845	934	353
13	गरुड़	2253	1029	346
14	बाड़ेछीना	2398	385	471
15	दनियां	2112	143	47
16	चौखटियां	2790	509	412
17	स्याल्दे	2762	183	226
18	खुमाड़	3772	180	101
19	सनणा	2535	160	04
20	काफली	664	204	123
21	जालली	1060	818	578
22	ध्याड़ी	1149	572	368
23	कुलान्टेश्वर	455	318	68

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पिथौरागढ़ जनपद में दिनांक 1-5-85 तक निर्मित खाद्य विभाग के खाद्यान्न गोदामों के नाम क्षमता एवं उक्त अवधि तक संग्रहीत खाद्यान्नों का विवरण (कुन्तल में)।

क्रम सं0	खाद्यान्न भण्डार का नाम	भण्डारण क्षमता	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5
1	पिथौरागढ़	6000	468	2039
2	बेरीनाग	2000	185	148
3	कनालीछीना	2000	295	203
4	डीडीहाट	4000	352	790
5	मुनस्यारी	4000	558	828
6	धारचूला	4000	125	320
7	तेजम	4000	123	842
8	गंगोलीहाट	2000	766	242
9	अस्कोट	2000	522	411
10	पांगू	2000	252	550
11	थल	2000	561	206

पिथौरागढ़ जनपद में दिनांक 1-5-85 तक स्थापित खाद्य विभाग के किराये के खाद्यान्न गोदामों के नाम, क्षमता एवं उक्त अवधि तक संग्रहीत खाद्यान्नों का विवरण (कुन्तल में)।

क्रम सं0	खाद्यान्न भण्डार का नाम	भण्डारण क्षमता	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5
1	बुंगाछीना	1100	136	118
2	मूनाकोट	1400	665	280
3	तवाघाट	2900	226	481
4	चम्पावत	1500	216	318
5	लोहाघाट	2400	128	221
6	धूनाघाट	1300	602	348
7	वाराकोट	850	167	110
8	गणाईगंगोली	450	97	270
9	सिर्दोग	1000	471	679
10	मंच	1300	177	388
11	मदकोट	850	85	278
12	दुग्तू	1000	सीजनल गोदाम होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।	
13	गुंजी	1000	तदेव	
14	वुर्फु	1000	तदेव	

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर ।)

सूची

डीलर : व्यक्ति का नाम	पता
1—मेसर्स सिंह कोल डिपो	636, सिविल लाइन, आजमगढ़ ।
2—मेसर्स शुक्ला कोल सप्लायर्स	गिरधरपुर, पो0 मनोल का बाड़ा, आजमगढ़ ।
3—मेसर्स बर्मा ट्रेडर्स	263, रैदोपुर, नयी बस्ती, आजमगढ़ ।
4—मेसर्स प्रकाश ट्रेडर्स	नयी कोलोनी, रैदोपुर, आजमगढ़ ।
5—मेसर्स किरन एण्ड उषा	सिविल लाइन्स, आजमगढ़ ।
6—मेसर्स जय हनुमान कोल कं0	अजमतपुर, कोडर, आजमगढ़ ।
7—मेसर्स प्रताप कोल सप्लायर्स	खीरहानी, आजमगढ़ ।
8—मेसर्स प्रकाश कोल कम्पनी	मुंशी पुरा, मऊ, आजमगढ़ ।
9—मेसर्स सिंह कोल सप्लायर्स एण्ड कोल कमीशन एजेन्ट	यशोदा भवन, सिविल लाइन्स रोडवेज, आजमगढ़ ।
10—मेसर्स शर्मा कोल कम्पनी	मु0 जलन्धरी, आजमगढ़ ।
—मेसर्स राय कोल कम्पनी	बदरका, आजमगढ़ ।
12—मेसर्स अशोक कोल डिपो	मुहम्मदाबाद, आजमगढ़ ।
13—मेसर्स अशोक एजेन्सी	खत्री टोला, आजमगढ़ ।
14—मेसर्स मिश्रा कोल डिपो	अफसर कालोनी, रैदोपुर, आजमगढ़ ।
15—मेसर्स जय अम्बे कोल ट्रेडर्स	नयी बस्ती, रैदोपुर, आजमगढ़ ।
16—मेसर्स जगदीश प्रसाद गुप्ता	सिविल लाइन रोडवेज, आजमगढ़ ।
17—मेसर्स दि युनाइटेड कोल कन्सर्न	ब्रह्मस्थान, आराजीबाग, आजमगढ़ ।
18—मेसर्स बिहार कोल एजेन्सी	मु0 सिधारी, आजमगढ़ ।
19—मेसर्स नेशनल कोल कम्पनी	636, नयी कालोनी, सिविल लाइन्स, आजमगढ़ ।
20—मेसर्स लक्ष्मी कोल डिपो	अफसर कालोनी, रैदोपुर, आजमगढ़ ।
21—मेसर्स शुक्ला कोल कम्पनी	तिवारी आटोमोबाइल्स, सिविल लाइन्स, आजमगढ़ ।
22—मेसर्स कामर्शियल कारपोरेशन	रैदोपुर, कालोनी, आजमगढ़ ।
23—मेसर्स श्रीमती राजेश्वरी देवी	हट्ठी मारी, मऊ, आजमगढ़ ।
24—मेसर्स रवि प्रताप सिंह	मु0 राजपूताना, उत्तर टोला, मऊ, आजमगढ़ ।
25—मेसर्स सिंह कोल कम्पनी	मु0 सिधारी, आजमगढ़ ।

पी0 एस0 यू0 पी0—22 वि0 सभा—9-9-85—813—(पी0 डी0 ।